

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवाँ सत्र
Tenth Session]



[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों
आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची CONTENTS

अंक 11 मंगलवार, 5 मार्च, 1974/14 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 11, Tuesday, March 5, 1974 Phalguna 14, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
182 पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत पर और अधिक रोक लगाना	Further Curbs on Consumption of Petroleum products	1
183 पंजाब में विद्युत् की कमी	Power Shortage in Punjab	3
184 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमि- टेड के अंतर्गत केरल में औषध एकक की स्थापना करना	Setting up of a Drug Unit in Kerala under IDPL	7
185 इडिक्की परियोजना के निर्माण में लगे श्रमिक	Workers Engaged in Construction of Idikki Project	9
186 राज्य मंत्री द्वारा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में वक्तव्य	Statement by Minister of State on Func- tioning of FACT	11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
181 रतनपुर स्टेशन 'पूर्व रेलवे' पर यात्री गाड़ी का माल गाड़ी से टकरा जाना	Collosion of a Passenger Train with Goods Train at Ratanpur Station (E. Railways)	15
187 तेल की खोज के बारे में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग	Collaboration between India and France on Oil Exploration	16
188 बहु-प्रयोजनीय बांधों के निर्माण के बारे में भारत-नेपाल वार्ता	Indo Nepal Talks on Construction of Multi Purpose Dams	16
189 वैगन अधिग्रहण कार्यक्रम में भारी कटौती	Drastic Cut in Wagon Acquisition Pro- gramme	16
190 पांचवीं योजना में ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को पुनः तैयार करना	Recasting Energy based projects in Fifth Plan	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
191	औषध निर्माण उद्योग को लाइसेंस देने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Licensing of Pharmaceutical Industry	17
192	पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के "ट्रेन एक्जामिनरों" द्वारा नियमानुसार कार्य करने का अभियान आरम्भ करना	Work to Rule Movement by Train examiners of Eastern Railways	19
193	रेलवे बोर्ड पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास आई० डी० ए० एसोसिएशन का दबाव	IDA'S Pressure on Railway Board	19
194	तटदूर भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिये भूकम्प जहाज की खरीद	Purchase of a Seismic Ship for Off shore Geological Survey	19
195	बरौनी उर्वरक परियोजना में उत्पादन	Production at Barauni Fertilizer project	20
196	विदेशी औषध फर्मों और उनका उत्पादन	Foreign Drug Firms and their production	20
197	उज्जैन में लोको यार्ड से कोयले की चोरी	Theft of coal from Loco Yard at Ujjain	21
198	रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना	Availability of Essential commodities to Railway Employees	21
199	केलसिनाइड पेट्रोलियम कोक पर की गई मूल्य वृद्धि को वापिस लेने के लिये एल्युमिनियम उद्योग की मांग	Demand of Aluminium Industry for withdrawal of Price Hike on Calcined Petroleum Coke	22
200	उच्चतम न्यायालय की 'लेबर बेंच' का गठन	Constitution of Labour Bench of Supreme Court	22
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. No.			
1803	साबुन बनाने के लिये नारियल के तेल का प्रयोग	Use of Coconut Oil to Manufacture Soap	23
1804	मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था	Communication System in Madhya Pradesh	23
1805	कोचीन तेल शोधन कारखाने में बनाई जाने वाली कुकिंग गैस के लिए सिलिंडरों की कमी	Shortage of Cylinders for cooking Gas produced at Cochin Refineries	23
1806	कर्नाटक और अन्य राज्यों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग	Industries to be set up in Karnataka and other States	24
1807	एरणाकुलम से बरास्ता एलेप्पी, कायमकुलम तक तटवर्ती रेलवे	Coastal Railway from Ernakulam to Kayamkulam via Alleppey	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. NO.	विषय	SUBJECT	पृष्ठः PAGE
1808	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० ट्रावनकोर के ड्राई आइस प्लांट का अप्रयुक्त पड़े रहना	Dry Ice Plant of F.A.C.T. lying idle	25
1810	पन बिजली परियोजनाओं के लिये केरल को सहायता	Assistance to Kerala for Hydel Projects	25
1811	तेल्लीचेरी (केरल) से मैसूर तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Railway line from Tellichery (Kerala) to Mysore	25
1812	रेलवे प्रशासनिक विभाग का पुनर्गठन	Re-Constitution of Railway Adminis- trative Section	26
1813	बड़ी नदियों को एक दूसरे के साथ मिलाना	Inter Linking of big Rivers	26
1814	रेल यात्रियों के लिये कम कीमत के भोजन के पैकेट	Low priced Meal Packets for Railway Passengers	26
1815	भारतीय रेलवे में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Class III and IV Em- ployees in Indian Railways.	27
1816	मध्य प्रदेश में भागीदारी वाली कंपनियां	Partnership Companies in Madhya Pra- desh	27
1817	मध्य प्रदेश में 'ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां'	Joint Stock Companies in Madhya Pra- desh	28
1818	तटदूर ड्रिलिंग द्वारा अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude by off Shore Drilling	28
1820	पश्चिम रेलवे के अजमेर स्थित निर्माण निरीक्षक कार्यालय के कर्म- चारियों की विधवा माताओं से पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को अभ्यावेदन	Representations to General Manager, Western Railway from Widowed Mothers of Employees of IOW Ajmer (Western Railway)	28
1821	दिल्ली सराय रोहिल्ला के लोको शेड में काम करने वाले वायलर-मेकरों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Boiler Makers Loco Shed, Delhi Sarai Rohilla	29
1822	पश्चिम रेलवे में माल-यातायात (स्थानीय और बाह्य यातायात) के कारण हुई देन-दारियां	Debits Raised on Goods Traffic (Local and Foreign Traffic) on Western Railway	29
1823	दक्षिण-पूर्व रेलवे में गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा अचानक हड़तालें	Wild Cat Strikes by Unrecognised Unions on South Eastern Railway	29

अ.ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1825	कानपुर, टुन्डला और इलाहाबाद में रेलवे भोजनालयों में 'फूड पैकेटों' का बेचा जाना	Food Packets sold in Railway Canteens at Kanpur, Tundla and Allahabad .	30
1826	दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में श्रम मंत्री का हस्तक्षेप	Labour Minister's Intervention in December 1973 Loco Staff Strike .	31
1827	लोको कर्मचारियों के साथ दस्तखत किये गये समझौते में अन्तर	Difference in Agreements Signed with Loco Employees	31
1828	आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ के अनुभाग अधिकारियों को विशेष वेतन	Special Pay to Section Officers of RDSO Lucknow	31
1829	सामान्य लेखा तथा यातायात लेखा शाखाओं में रेलवे के लेखा विभाग के 'सब हैड' की प्रतिशतता में अन्तर	Difference in Percentage of Sub heads in Accounts Department of Railways and General Accounts and Traffic Accounts Branches	32
1830	रामपुर-काठगोदाम मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Rampur Kathgodam Metre Gauge into Broad Gauge Line .	32
1831	पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को स्थाई बनाना	Confirmation of Staff of Western Railway	33
1832	निजामुद्दीन की बजाय शाहदरा को प्रस्तावित अन्तिम स्टेशन बनाना	Shifting of proposed Terminus from Nizamuddin to Shahdara	33
1833	कोचीन स्थित फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड त्रावनकोर के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये राज्य मंत्री का दौरा	Visit of State Minister to study working of FACT at Cochin	33
1834	हरिजन बस्तियों में सड़कों पर बिजली लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को ऋण	Loan from Central Government to Madhya Pradesh Government for providing street light in Harijan Localities	34
1835	उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में राहत कार्य	Relief work in Balasore and Mayurbhanj District, Orissa	34
1836	अशोधित तेल के बदले में इस्पात और कोयला आयात करने के बारे में शाह ईरान का सुझाव	Suggestion by Shah of Iran to Import steel and coal in exchange of Crude Oil	35
1837	प्रधान मंत्री द्वारा नैनीताल में हरी-पुर बांध का उद्घाटन	Inauguration of Haripura Dam in Nainital Terai by Prime Minister	35

अ.ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1838	लाइसेंस देने वाली समिति के अनुमोदन से आज्ञा-पत्रों का जारी किया जाना	Issue of permission letters with approval of Licensing Committee	35
1839	अनुमति जारी करने की प्रक्रिया समाप्त करना	Discontinuance of the practice to Issue permission letters	36
1840	लाइसेंस क्षमता से अधिक "फार्म्यूलेशन" तैयार करना	Production of Formulations beyond Licensed Capacity	36
1841	"साइलेंट वैली" पन बिजली परियोजना के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Silent Valley Hydro Electric Project	37
1842	केरल में कक्कड़ पन बिजली योजना को मंजूरी	Clearance of Kakkad Hydro Electric Scheme in Kerala	37
1843	सरकारी साबुन फैक्टरी, कर्नाटक द्वारा डिटेजेंट यूनियन प्रारम्भ करना	Detergent unit by Government Soap Factory, Karnataka	37
1844	कोयले से पेट्रोल और डीजल निकालना	Extraction of petrol and diesel from coal	38
1845	हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा शेयर पूंजी बढ़ाना	Expansion of share capital by Hindustan Motors	38
1846	मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना में ग्राम विद्युतीकरण	Rural electrification in M.P. during 5th Plan	39
1847	कृत्रिम डेटर्जेंट का उत्पादन	Production of Synthetic detergents.	40
1848	1976 के आम चुनावों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र समाप्त करना	De-reservation of reserved constituencies in the general elections, 1976	40
1849	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर और पांडीचेरी में विधान सभाओं के चुनावों के लिये मत-पत्र	Ballot papers for U.P. , Orissa, Manipur and Pondicherry Assembly elections	41
1850	यूनियन कारबाइड की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता में वृद्धि	Increase in licensed capacity for Union Carbide	42
1851	कर्नाटक में कास्टिक सोडा एकक का विस्तार	Expansion of Caustic Soda unit in Karnataka	43
1852	आंध्र प्रदेश में तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station in Andhra Pradesh	43
1853	इंडियन फार्मस्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा आधारभूत अनुसंधान पर धन का व्यय किया जाना	Spending of amount by Indian Pharmaceutical Industry on Basic Research	44
1854	रेलवे में औद्योगिक संबंधों पर सम्मेलन	Meeting on Industrial Relations in Railways	44

अता० प्र० संख्य U.S.Q No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1856	औषध उद्योगों के पास कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials for Drug Industry	44
1857	ट्राम्बे, अहमदाबाद, धुरावन और बरौनी स्थित बिजली पैदा करने वाले यूनितों के लिए भट्टी तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग	Switch in Fuel for Generating units at Trombay, Ahmedabad, Dhuvaran and Barauni	45
1858	एल्कोहल के मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on Prices of Alcohol	45
1859	गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Fertilizer Plants in Private Sector	46
1860	पांचवीं योजना में केरल में नई रेल लाइनें बिछाना और लाइनों को दोहरा करना	Laying of new Railway lines and Doubling of lines in Kerala during Fifth plan	46
1861	इस्पात उद्योग को की जाने वाली कोयले की ढुलाई में तोड़-फोड़ का संदेह	Sabotage suspected in movement of Coal to Steel Industry	46
1862	केरल के लिए बाढ़ से संबंधित जल निकासी योजनाएं	Drainage Scheme relating to flood control for Kerala.	47
1863	गत तीन वर्षों में सिंचाई के लिए केरल को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Irrigation during last three years	47
1864	"फैक्ट" के कोचीन डिब्बीजन में खराब मशीनों की मरम्मत	Repairs of Faulty Machines of Cochin Division of FACT	47
1865	गुजरात राज्य में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोलना	Setting up of Railway Hospitals and Health Units at Railway Stations in Gujarat State	48
1866	समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Samastipur Darbhanga-Raxaul Metre Gauge Line into Broad Gauge	50
1867	सोनाथाणा रेलवे फाटक (द० म० रेलवे) पर उपरिपुल के निर्माण के बारे में किये गये निर्णय में परिवर्तन	Change in the decision taken on the construction of over Bridge at Sonathan Railway Gate (S.C. Railway)	50
1868	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of CBI Inquiry into working of FCI	51
1870	राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे के आवंटन का आधार	Basis for Allotment of Kerosene Oil Quota to States	51

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUCJEKT	पृष्ठ PAGES
1871	अशोधित तेल के सौदों की प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण भारतीय तेल निगम को हानि	Loss suffered by IOC for Irregularities in procedure for Crude Deal . . .	52
1872	विदेशी औषध-निर्माता फर्मों द्वारा कतिपय रसायनों का उत्पादन	Production of certain Chemicals by Foregin Drug Firms	52
1873	मैसर्स 'में एण्ड बेकर' तथा अन्य फर्मों द्वारा 'मेट्रान्डु जोल' का फार्मूलेशन	Formulation of Metranduzole by M/s May and Baker and other firms . . .	53
1874	स्थानापन्न और नैमित्तिक श्रमिकों को लेखागत भुगतान	On account payment to substitute Workers and casual labours	54
1875	भारत के तेल संकट का कारण भुगतान की समस्या	India's Oil Crisis, a payments Problem	54
1876	आयल इंडिया लि० के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण	Acquisition of Majority shares of Oil India Ltd.	55
1877	भारतीय रेलवे को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से ऋण	IDA Loan to Indian Railways	55
1878	सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को अवकाश कम करने के लिये दी गई सलाह	Advice given to high court by Government to curtail vacation	55
1879	फरवरी, 1974 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में रद्द की गई गाड़ियां	Cancellation of trains on South Eastern Railway during February, 1974 .	56
1880	रतलाम डिवीजन, पश्चिम रेलवे में बन्द की गई गाड़ियां	Train cancelled in Ratlam Division (Western Railway)	56
1881	भोपाल-रतलाम बड़ी लाइन गाड़ी का उज्जैन से रतलाम तक देर से चलना	Late running of Bhopal Ratlam Broad Gauge train from Ujjain to Ratlam	56
1882	विद्युत् प्रजनन में तेल की कमी	Shortage of Oil in Generation of Power	57
1883	विभिन्न भाषाओं में विधियों, नियमों तथा विनियमों के प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध न होना	Non availability of authenticated version of various laws, rules and regulations in the various languages	57
1884	तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों का फर्मों के लाभ पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी मत	OPEC for Curbs on Firms' profits	58
1885	रेल कर्मचारियों के लिये एक-मात्र 'फेडरेशन'	Single Federation for Railway Employees	59

अतां० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1887	पांचवीं योजना में सिंचाई, जल और पन-बिजली के प्रयोग का अनुरोध	Plans for use of water for irrigation and Hydro Electric Power in Fifth Plan	59
1888	भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा तैयार माल भेजने में विलम्ब	Delay in despatch of ready made materials by Bhilai Steel Plant	60
1889	हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल में प्रतापगढ़ या राय बरेली से एक या दो डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to attach one or two bogies to Howrah Amritsar Punjab Mail at Pratapgarh or Rae Bareli	60
1890	उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के पथ निरीक्षकों द्वारा 'नियमानुसार काम करें' आन्दोलन	Work to rule agitation by permanent way inspectors of Northern and North-Eastern Railway	61
1891	नई रेल लाइनें बिछाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Madhya Pradesh Government's request for laying new railway lines	61
1892	तेल का उत्पादन करने वाले देशों में भारत द्वारा तेल की खोज	Oil exploration by India in oil producing countries	62
1893	अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण कोयला-इस्पात क्षेत्र में बाधा	Inadequate transport hindering coal-steel belt	63
1894	दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Delhi Ahmedabad metre gauge line into broad gauge	63
1895	रेलवे के दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों तथा केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference with representatives of recognised Railway Federations and Central Labour Organisations	64
1896	बिराती स्टेशन (सियालदह डिवीजन) पर ब्लाक इंस्ट्रुमेंट का खराब हो जाना	Failure of block Instrument at Birati Station (Seldah Division)	64
1897	एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा पी० वी० सी० 'रेजिन' की विक्रय नीति की प्रस्तावित जांच	Proposed inquiry into the sales policy of PVC resins by MRTP Commission	65
1898	तापीय बिजली-घरों के लिए स्थलों का चयन	Selection of Sites for Thermal Power Stations	66
1899	कर्नाटक में काबिनी परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप कृषि भूमि तथा फसलों का जलमग्न होना	Submerging of Agricultural land and crops due to construction of Kabini Project in Karnataka	66

अ ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1900	पूर्व रेलवे में बरवाडीह से बलराम-पुर तक रेल लाइन	Railway line from Brawadih to Balram-pur on Eastern Railway .	67
1901	कोरबा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant at Korba	67
1902	गैब्रियल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा एकाधिकार आयोग के प्रस्तावों का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Monopolies Commission's proposals by Gabriel's India Limited	67
1903	मंगलौर कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए विशाखन की योजना	Plan for diversification of Mangalore Chemicals and Fertilizers .	68
1904	एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में भारतीय उर्वरक निगम तथा ईराक के बीच करार	Agreement between FCI and Government of Iraq for setting up of a Fertilizer plant	69
1905	डीजल संकट का पश्चिम बंगाल के विद्युत् संयंत्रों पर विपरीत प्रभाव	Diesel Crisis Hits West Bengal Power Plants	69
1906	भारत के नये तेल शोध कारखानों में भारतीय तेल निगम द्वारा ओ० पी० ई० सी० के इक्विटी अंशों के लिए अनुरोध	IOC seeking equity participation by OPEC in new Refineries in India	69
1907	बिहार में बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य	Target fixed for power Generation in Bihar	70
1908	नरकटियागंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और पहलजाघाट के बीच सीधी गाड़ी	Direct train between Narkatiaganj Sitamarhi, Darbhanga, Samastipur and Pahlezaghat	70
1909	लारसन एंड टुब्री लिमिटेड में विदेशी प्रबंध समाप्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध सरकार से की गयी अपील	Appeal made to Government against the orders for discontinuance of Foreign Management in Larson and Touro-Ltd. .	71
1910	बिहार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Bihar for Rural Electrification Schemes	71
1911	रेल डिब्बों की कमी के कारण भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में कोयले की सप्लाई का रुक जाना	Shortage of Wagons resulting Stoppage of coal movement to Bhailai and Rourkela Steel Plants .	72
1912	पूर्वोत्तर रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Casual Labourers of North Eastern Railway	72

अता० प्र० संख्या U.SQ. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1913	तेल खोज के कार्य का वितरण	Distribution of Oil Exploration Work	72
1914	रूस द्वारा तेल के लिए खुदाई करने वाले 'रिग्स' की सप्लाई	Supply of Oil Drilling Rigs by USSR .	73
1915	पेट्रोल पम्प मीटरों में गड़बड़ी करना	Tampering of Petrol Pump Metres .	73
1918	रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण रेलवे को हुई हानि	Losses suffered by Railways due to Strike by Railwaymen.	74
1919	बंगला देश को बिजली देना	Sharing of Power with Bangladesh . . .	74
1920	उद्योगों को तेल की सप्लाई में सुधार करने के लिए नई ऊर्जा नीति	New Energy Policy to Rationalise supply of oil to Industries	75
1921	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्डिजेशन आर्गनाइजेशन लखनऊ का दर्जा	Status of RDSO Lucknow	75
1922	सप्ताह में दो बार चलाई जाने वाली नई दिल्ली-वाल्तेयर बोगी को सप्ताह में तीन बार चलाना	Conversion of Bi-Weekly, New Delhi Waltair Bogie into Tri-Weekly one	76
1923	अंतर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन	International Conference on Oil	76
1924	महाराष्ट्र में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित गोली चलाया जाना	Alleged opening of Fire by Railway Protection Force on Demonstration in Maharashtra	77
1925	औषध उद्योग में विदेशियों की अंतर्ग्रस्तता के बारे में जांच करने के लिए समिति	Committee to Enquire into Foreign Interests in Drug Industry	77
1926	लीबिया, सोवियत संघ तथा ईराक के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में चतुर्मुखी करार	Quadrangular deal with Libya, Soviet Union and Iraq on Crude Oil Supplies	78
1927	मैसर्ज एबट लैबोरेटरी की प्रदत्त-पंजी, उत्पादन तथा मुनाफा	Paid up Capital Production and profits of M/s; Abbot Laboratory	78
1928	पश्चिम बंगाल रेल यात्री संघ द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions made by West Bengal Railway Passengers' Association	80
1929	बर्ड हेलिजर्स, कंपनी कलकत्ता	Bird Heligers Company, Calcutta . . .	81
1930	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की भूमिका के बारे में उसके एक सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by a Member of MRTP Commission on the role played by the Commission	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1931	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अमरीकी सहायता	U.S. Aid for Electrification of Villages	82
1932	सऊदी अरब द्वारा तेल का मूल्य घटाने का निर्णय	Decision of Saudi Arabia to reduce Oil Price	83
1933	भारतीय तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की योजना	Plan to increase capacities of Indian refineries	83
1934	नेप्था और भट्टी तेल की खरीद	Purchase of Naphtha and Furnace Oil	84
1935	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में निर्मित डीजल इंजनों का सुधार	Improvement in Diesel Engines Manufactured at Diesel Locomotive Works, Varanasi	84
1936	प्रथम श्रेणी के रेलवे पास जारी किये जाने का औचित्य	Justification for issue of First Class Passes	85
1937	कण्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के बारे में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों की प्रतिक्रिया	Reaction of Karnataka and Maharashtra States to the decision given by Krishna Water Disputes Tribunal	85
1938	गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय	Tribunal's Decision on Godavari Water Dispute	86
1939	मद्रास में ट्यूब रेलवे	Tube Railway in Madras	86
1940	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में गैस का उत्पादन बंद करना	Stoppage of production of Gas at Durgapur Projects Limited	86
1941	ईरान द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude oil by Iran.	87
1942	फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज के सुझावों के अनुरूप एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन	Amendment to MRTP Act Suggested by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries	87
1943	ऊर्जा संकट विषयक सम्मेलन के लिए अमरीकी निमंत्रण	U.S. Invitation to a Conference on Energy Crisis	87
1944	पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी, इजतनगर और समस्तीपुर मंडलों के स्टेशन मास्टर्स एवं सहायक स्टेशन मास्टर्स द्वारा हड़ताल	Strike by Station Masters and Assistant Station Masters of Lucknow, Varanasi, Izatnagar and Samastipur Divisions (North Eastern Railway)	88
1945	कुरेशी समिति	Qureshi Committee	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1946	शिकायतों के निपटान के लिए रेलवे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र	Joint Consultative Machinery in Railways to deal with Grievances . . .	89
1947	गैस की कमी को दूर करने के लिए इसका उत्पादन	Production of Gas to meet its Shortage .	89
1948	विद्युत् उत्पादन की लागत	Cost of Power Generation . . .	90
1949	मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Kerosene Oil to meet Damands . . .	91
1950	हुबली-करवार रेल योजना का परिव्यय	Outlay on Hubli Karwar Railway Link	91
1951	लूमडिंग के दूर संचार/टेस्ट रूम का रख-रखाव करने वालों को देय राशि का भुगतान करने में विलम्ब	Delay in Payment of Dues to Telecomm. Maintainers Test Room Lumding . . .	92
1952	पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण	Control of Flood in West Bengal	92
1953	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तंजौर जिले में मिट्टी का परीक्षण	Testing of Soil in Tanjore District by ONGC . . .	93
1954	एस्सो यूनिटों का पुनर्गठन करके हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम की स्थापना	Formation of Hindustan Petroleum Corporation by reorganising Esso Units	93
1956	रेलवे अस्पताल, कोटा (पश्चिम रेलवे) में डाक्टरों की संख्या	Strength of Doctors in Railway Hospital, Kotah (Western Railway) . . .	94
1957	रेलवे अस्पताल, कोटा (पश्चिम रेलवे) के साथ लगे कृषि फार्म में खेती	Cultivation on Farm Attached to Railways Hospital, Kota (Western Railway)	94
1958	गुजरात में बिजली की कटौती	Power cut in Gujarat . . .	95
1959	भारत द्वारा तेल की खोज के लिए ब्रिटेन और नार्वे से सहयोग मांगना	India seeking cooperation of Britain and Norway for oil exploration . . .	95
1960	ठेकेदारों द्वारा रेल गाड़ियों में सप्लाई किए जाने वाले भोजन की खराब किस्म	Deteriorated Quality of Food supplied by contractors in trains . . .	95
1961	रेलवे आरक्षण समिति का अंतरिम प्रतिवेदन	Interim Report by Railway Reservation Committee . . .	96
1962	कानपुर में दो उपरिपुलों के निर्माण का आश्वासन	Assurances given on construction of two overbridges in Kanpur . . .	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1963	त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल और वरकाला (केरल) में अतिरिक्त स्टेशन सुविधाएं	Additional station facilities at Trivandrum Central and Varkala (Kerala) .	97
1964	रेलवे यात्रियों को गर्म भोजन देने की योजना	Scheme to provide Hot Meals for Railway Passengers	97
1965	रेलवे कर्मचारियों की दस घंटे की ड्यूटी समस्या का अध्ययन	Study of 10 hour duty problem of Railway Workers	98
1966	सिकन्दराबाद में एक अलग रेलवे सेवा आयोग स्थापित करना	Opening of separate Railway Service Commission at Secunderabad . .	98
1967	विजय-वाड़ा-मद्रास रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Vijayawada Madras Railway Line	98
1968	बंकर ईंधन का राशन	Rationing of Bunker Fuel .	99
1969	तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में उपलब्ध की गई अतिरिक्त सुविधाएं	Additional facilities provided in Third Class Compartment	99
1970	उत्तर-प्रदेश और उड़ीसा और चुनावों के संबंध में प्राप्त शिकायतें	Complaints received in regard to Election held in U.P. and Orissa . .	100
1971	रेलवे कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक मानना	Treatment of Railway Employees as Industrial Workers	100
1972	उत्तर रेलवे जोन के लिए विक्रेता लाइसेंसों का आवंटन	Allotment of vending licences for Northern Railway Zone	100
1973	पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें	New Railway lines in Hilly and Backward areas	101
1974	बाढ़ों द्वारा क्षति	Damage caused by Floods	102
1975	दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बंद होना	Power Failures in Delhi	104
1976	ओरियंटल गैस फैक्टरी की मशीनों का समुचित रख-रखाव	Proper maintenance of machinery of Oriental Gas Factory	104
1977	गैस के उत्पादन में ओरियंटल गैस कंपनी के कर्मचारियों का उपयोग	Utilisation of workers of Oriental Gas Company in production of Gas . .	104
1978	ओरियंटल गैस कंपनी के सियालदह कारखाने में गैस का उत्पादन	Production of gas at the Sealdah Factory of Oriental Gas Company	105
1979	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से गैस की सप्लाई के लिए मीटर रीडिंग प्लान्ट का दोषपूर्ण कार्यकरण	Defective working of the Metre Reading Plant for gas supply from Durgapur projects Limited	105

अता० प्र० सख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1980	सियालदह डिवीजन में डम डम से बारासाट तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Railway Line from Dum Dum to Barasat in Sealdah Division	105
1981	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-economic survey in North Eastern Region States	106
1982	सियालदह डिवीजन के नवीकरण का प्रस्ताव	Renovation proposal for Sealdah Division	107
1983	बनगांव, शांतिपुर बारासाट और कल्याणी लोकल रेलगाड़ियों द्वारा समय अनुसूची का पालन	Time Schedule maintained by Bangaon, Shantipur, Barasat and Kalyani Locals	107
1984	हावड़ा अमता ब्राडगेज लाइन की लागत को पश्चिम बंगाल तथा रेल मंत्रालय के बीच बांटना	West Bengal Government and Railway Ministry to share cost of Howrah Amta Broad-Gauge	108
1985	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में वैगन बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of Wagon Building Factory at Durgapur (West Bengal)	108
1986	रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains.	109
1987	बम्बई में उपनगरीय रेल सेवाएं	Suburban Rail Services in Bombay	109
1988	आगामी मानसून में विद्युत प्रजनन की संभावनाएं	Power Generation Prospects in ensuing Monsoons	110
1989	क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना	Setting up of Regional and National Power Grids	110
1990	भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत प्रस्तावित केपरोलेक्टम संयंत्र	Proposed Caprolactum Plant under FCI	111
1991	राज्यों में नाइलोन परियोजनाओं की स्थापना संबंधी कार्यक्रम	Programme for setting up Nylon projects in States	111
1992	1970-71 से 1972-73 तक की अवधि में बिजली की कमी	Power shortage during 1970-71 to 1972-73	112
1993	हल्दिया में तेल शोधक कारखाने, उर्वरक तथा अन्य संयंत्रों के निर्माण में प्रगति	Progress on construction of Refinery, Fertilizer and other Plants at Haldia	112
1994	हावड़ा और हुगली जिलों को मार्टिन बर्न रेलवे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली परियोजना	Project for replacement of Martin Burn Railways in Howrah, Hooghly Districts	112
1995	बिजलीघरों में बिजली का उत्पादन	Generation of Power by Power Houses	113

अता० प्र० सख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1996 नदियों के किनारे पर लघु पन- बिजली घरों की स्थापना		Setting up of Small Hydel Power Houses along side of Rivers	113
1997 अडारा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के कैरिज तथा वैगन स्टाफ तथा सहायक स्टेशन मास्टर्स द्वारा "नियमानुसार काम करने" का आन्दोलन		Work to Rule Agitation by Carriage and Wagon Staff and ASMs. in Adra Divi- sion (South Eastern Railway)	114
1998 गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री		Re-sale of Tickets at Ghaziabad Murad- nagar and Modinagar (Northern Rail- way)	114
1999 गाजियाबाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को समयोपरि भत्ते की अदायगी न करना		Non payment of OTA to Staff working at Ghaziabad Station	115
2000 डीजलीकरण कार्यक्रम पर तेल संकट का प्रभाव		Impact of oil crisis on Dieselisation programme	115
2001 कोचीन-एलेपी कायमकुलम रेलवे लाइन का सर्वेक्षण		Survey of Cochin Allepy Kayamkulam Railway Line	115
2002 कुट्टीपुरम गुरुवयूर को हिन्दू तीर्थ स्थान से जोड़ना		Linking of Kuttipuram Guruvayur with Hindu Pilgrim Centre	116
2003 गुजरात में नई उर्वरक परियोजना का स्थापित किया जाना		Setting up of a New Fertiliser Project in Gujrat	116
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	116
महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यकों पर शिवसेना के हिंसात्मक हमलों के समाचार श्री ए० के० गोपालन श्री उमाशंकर दीक्षित		Reported violent attacks by Shiv Sena on linguistic minorities in Maharashtra Shri A. K. Gopalan Shri Uma Shankar Dixit	116 116 117
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	122
राष्ट्रपति से संदेश		Message from President	122
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		Resignation by Member	123
(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)		(Shri H.N. Bahuguna)	123
प्राक्कलन समिति		Estimates Committee	123
45वां और 46वां प्रतिवेदन		Forty-fifth and forty-sixth Reports	123
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति आठवां प्रतिवेदन		Joint Committee on Offices of Profits Eighth Report	123

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE S
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Query)	123
नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matter under Rule 377	124
पश्चिम बंगाल में डीजल तेल मिट्टी का तेल और उर्वरकों की कमी का समाचार	Reported shortage of diesel oil, kerosene oil and fertiliser in West Bengal	124
एस्सों (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक	Esso (Acquisition of Undertakings in India) Bill	125
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	125
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	125
श्री देवकान्त बरुआ	Shri D. K. Borooah	127
रेल बजट, 1974-75, सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1974-75 General Discussion	129
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	129
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	132
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	134
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	135
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	137
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	138
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	140
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	142
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	143
सभा का कार्य	Business of the House	144

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 5 मार्च, 1974/14 फाल्गुन 1895 (शक)
Tuesday, March 5, 1974/Phalguna 14, 1895, (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr, Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत पर और अधिक रोक लगाना]

*182. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत पर और अधिक रोक लगा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और
- (ग) उन्हें प्रभावी रूप कब तक दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) विश्व बाजार में कच्चे तेल एवं शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि तथा इन की कठिन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर रोक लगाना आवश्यक है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत तथा मांग में कमी करने के विभिन्न उपाय अपनाये जा रहे हैं और ज्यों ही व्यवहार्य हो पाता है इन्हें साथ ही साथ लागू किया जाता है। इन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार से विभक्त किया गया है :—

- (i) पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कोयले, कोक, विद्युत आदि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का प्रयोग करने के उपाय।
- (ii) निजी खपत के लिये पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में बचत करने के उपाय।
- (iii) ईंधन के रूप में तेल के इस्तेमाल में दक्षता तथा बचत प्राप्त करने के उपाय।
- (iv) तेल से चलने वाले एंजिनों को चलाने में बचत तथा दक्षता प्राप्त करने के उपाय।

Shri Shrikishan Modi: The reply given in regard to this serious problem of oil & petroleum crisis is so vague that the economic measures to be taken by the Government to curb consumption are not at all clear. The hon. Minister has stated that they would convert the diesel railway engines into steam engines whereas in the Budget they have stated that the use of diesel in the Railways is more economical and help efficiency. The consumption of petrol for Government transports is 60 per cent. I want to know as to what extent a cut has so far been affected therein and how much would follow?

Shri D.K. Barooah: This question relates to petroleum products and not about petrol only. Petrol amounts to only 14 per cent of the total petroleum products. We have affected some economy in that also. There has been a reduction in consumption to the tune of 23% during the last two months. As regards the cut in the consumption of petroleum products, many aspect are to be examined into. The hon. Member has pleaded for use of more coal in Railways, but besides that its traction should also not fall down. That has to be coordinated. It is difficult to envisage the percentage of cut in consumption thereof. Diesel oil is used for agricultural and transport purposes. For reduction therein a lot of study is required. In case there is no rains. Then the pumps are run with the help of L.D.O. Similarly public transport also run with the help of diesel oil. Use of fuel oil in the factories can be replaced by coal and that would require changes in the boilers. The Planning Commission has set up separate groups to study possibility of economy in the use of diesel oil, furnace oil etc. Use of petrol and petroleum products has been going on for the last fifty years. So the change therein requires time.

Shri Shrikishan Modi: I would also like to know the measures adopted or being adopted to curb the consumption of oil in the public and private sectors also?

Shri D.K. Barooah: We have written to all the public sector industries and various Ministries and also to all the chief Ministers to affect at least 15 per cent cut in the consumption of petrol

Shri Jaganathrao Joshi: May I know their average consumption till then and also the extent of cut achieved as a result of his advice to them?

Shri D.K. Barooah: We had asked for at least 15 per cent cut. They have replied that they are doing that. We have seen that a reduction of 23.5 per cent in the consumption has been there in January. But it is not possible to detail the information about each place.

श्री जगन्नाथ राव जोशी: पेट्रोलियम उत्पादों में बचत के लिये मंत्री महोदय द्वारा किये गये उपाय सराहनीय हैं। परन्तु डाक कोयला खान का विकास करने में 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं। क्या उन्हें आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी हो जायेगी और उन के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल किया जा सकेगा?

श्री देवकान्त बरूआ : हमने इस्पात और खान मंत्रालय से इस बारे में विचार-विमर्श किया है। उनको आशा है कि वे निर्धारित लक्ष्य से अधिक कोयले का उत्पादन कर लेंगे। फिर भी हमारे प्रयास तो जारी रहने चाहियें। जहां तक तेल की खपत का प्रश्न है, हमें लम्बी अवधि तक इस की खपत को ध्यान में रखना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि यह कार्य पांच वर्ष में ही पूरा हो जायेगा। परन्तु यदि यह योजना के अनुसार हो गया तो पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में काफी कमी हो जायेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर गहराई तथा विस्तार से विचार एवम अध्ययन करना होता है। इस समय मैं कोई परिकल्पना प्रस्तुत करना नहीं चाहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : खपत में कमी के विभिन्न उपाय बताते हुये मंत्री महोदय ने कहा है कि एक उपाय तो पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कोयला, कोक, विद्युत आदि ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना है। ऐसा लगता है कि यह इस रोग का उपचार तो इस रोग से भी बुरा होगा क्योंकि आप तो इसे निश्चित मान रहे हैं कि कोयले, कोक तथा विद्युत आदि की सप्लाई के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके बारे में फिर भी स्थिती इतनी ही खराब है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्चे तेल की उत्पादन के बारे में अपने पंचवर्षीय कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और यह अनुमान लगाया गया है कि पांच वर्षों में, कच्चे तेल के उत्पादन में 40 लाख टन की वृद्धि हो जायेगी, और यदि हां, तो यदि यह काम चरणबद्ध तरीके से चलना है और इसे तेज किया जाता है तो क्या इससे वस्तुतः स्थिति पर दबाव घटेगा तथा क्या कोयले, कोक तथा विद्युत का सहारा लेने की बजाय इस चरणबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाने बेहतर नहीं रहेगा?

श्री देवकान्त बरूआ : हमारी वर्तमान खपत 220 लाख टन है जिसमें से 70 लाख टन हम पैदा करते हैं और शेष का हमें आयात करना पड़ता है। निश्चय ही, यदि हम 40 लाख टन और पैदा कर लें और पांच वर्ष बाद भी खपत के स्तर को उतना ही रखें जितना कि आज है तो हमें निश्चय ही इससे राहत मिलेगी। परन्तु वह राहत भी काफी नहीं होगी। यदि हम अधिक उत्पादन भी करें फिर भी हमें बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ेगा जब तक कि हम देश में इसके उपयोग को कम नहीं कर देते। कच्चे तेल के आयात तथा देश में ही ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने में फर्क है। कच्चे तेल के आयात के लिये हमें विदेशी मुद्रा चाहिये जोकि आज पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है। जहां तक देश में ही ऊर्जा के अन्य संसाधन जुटाने का सम्बन्ध है, उसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बड़ी ही सीमित होगी। यह हमारा अपना प्रयास होगा, अपनी कुशलता और समन्वित उद्यम होगा जिसकी हमें आवश्यकता है।

पंजाब में विद्युत की कमी]

*183 श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में उपलब्ध कुल बिजली के 50 प्रतिशत भाग का उपयोग नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बिजली का अकाल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य से बिजली के अकाल को दूर करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी बिजली की सप्लाई सीधे भाखड़ा से लेती है, न कि पंजाब के भाग में से। इस प्रकार, पंजाब में बिजली की कमी नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी द्वारा बिजली की अधिक खपत के कारण नहीं है किन्तु पंजाब में बिजली की मांग उत्पादन क्षमता के विकास से अधिक हो जाने के कारण है। प्रदेश में बिजली की कमी को दृष्टि में रखते हुये, नंग फर्टिलाइजर फैक्टरी को प्रतिदिन तीन मिलियन यूनिट बिजली दी जा रही है जबकि इसकी आवश्यकता लगभग 4 मिलियन यूनिट है।

बिजली की कमी को पूरा करने के लिये, उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रचालन में तेजी लाई जा रही है। उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणालियां भी समेकित ढंग से चलाई जा रही हैं ताकि विद्युत उत्पादन को अधिकतम किया जा सके और जहां भी संभव हो, अन्तर्राज्यीय विनिमय द्वारा बिजली की कमियों को कम किया जा सके।

श्री प्रबोध चन्द्र : यदि मंत्री महोदय प्रश्न तथा उसका उत्तर देखते तो मैंने कहीं यह नहीं कहा कि नंगल उर्वरक कारखाना पंजाब की विद्युत के एक भाग का उपयोग कर रहा है। मेरा प्रश्न था:—

क्या पंजाब को उपलब्ध कुल बिजली का 50 प्रतिशत भाग.....

मैंने यह कभी नहीं कहा, क्या यह सच है कि पंजाब के भाग की कुल बिजली का आधा भाग नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा अपने उपयोग में लाया जा रहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि पंजाब के हिस्से को नंगल उर्वरक कारखाना अपने उपयोग में ला रहा है। मैं तो यही जानना चाहता था कि क्या यह सच है कि पंजाब में उपलब्ध विद्युत का 50 प्रतिशत भाग नंगल उर्वरक कारखाने द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वह अपना उत्तर सही करेंगे याकि मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे उत्तर को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रश्न का (क) भाग पढ़ा है। वह प्रश्न का (ख) भाग भी पढ़ें जिसमें लिखा है कि “यदि हां, तो राज्य से बिजली के अकाल को दूर करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?”

प्रश्न के (क) तथा (ख) संयुक्त रूप से यही अभिप्राय निकलता है कि क्योंकि नंगल उर्वरक कारखाने को 50 प्रतिशत बिजली सप्लाई की जा रही है इसलिये यह स्थिति पैदा हुई है। इसलिये मेरा उत्तर स्पष्ट है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं मंत्री महोदय को कथन को विरोध नहीं करना चाहता। यदि यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से किया जाता जो अच्छी अंग्रेजी जानता है तो वह यही कहेगा कि मेरा दृष्टिकोण सही है।

अब मैं अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। क्या यह सही है कि जब नंगल उर्वरक कारखाने के लिये बिजली की बड़ी मात्रा में सप्लाई करने की अनुमति दी गई तब पंजाब में बिजली की मांग वहां इसके उत्पादन से कम थी? यह बात परस्पर तय हुई थी जब समय के अनुसार पंजाब की आवश्यकता बढ़ेगी तब नंगल उर्वरक कारखाने की सप्लाई में कटौती कर दी जायेगी और दरें भी बढ़ा दी जायेंगी क्योंकि हम इस कारखाने को उत्पादन लागत से भी कम दरों पर बिजली दे रहे हैं। क्या सरकार ने नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली की सप्लाई में कटौती करने तथा बिजली की उन दरों को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिन पर पंजाब सरकार को भुगतान किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि जब भाखड़ा योजना को चालू किया गया था, उस समय पंजाब में बिजली की खपत बहुत कम थी। नंगल उर्वरक कारखाना उर्वरक के उत्पादन के लिये ऐसी प्रणाली को उपयोग में ला रहा था जिसमें भारी मात्रा में बिजली और पानी की जरूरत थी। इस समय देश के लाभ के लिये बिजली का उपयोग करने के लिये ही इस प्रणाली का उपयोग किया गया था। अब इसी संयंत्र के विस्तृत हो जाने पर वही प्रणाली नहीं चलाई जा रही है अर्थात् उर्वरक के उत्पादन के लिये बिजली की प्रक्रिया उपयोग में नहीं लाई जा रही है, वहां पर कोयले या तेल पर

आधारित उर्वरक का उत्पादन किया जायेगा, यहां तक तो माननीय मित्र सही हैं। परन्तु मुझे किसी ऐसे मन्त्री का पता नहीं है कि यदि पंजाब में बिजली की खपत बढ़ी तो नंगल को जाने वाली बिजली दूसरी तरफ भेज दी जायेगी। इस का साधारण सा कारण यह है कि नंगल द्वारा बनाये जाने वाले उर्वरक का सारे देश के किसान उपयोग कर रहे हैं जिसमें पंजाब भी शामिल है पिछले तीन वर्षों से यह प्रक्रिया रही है विशेषकर सर्दी के मौसम में नांगल की बिजली की सप्लाई में कटौती करने का प्रयास किया जाये। परन्तु इस वर्ष मुझे बताया गया है कि उर्वरक तो विदेशों में भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और हमें अपने उर्वरक उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करनी है फिर भी, पंजाब की कठिनाई को देखते हुये मैं पेट्रोलियम और रसायन; कृषि, सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों के मध्य विचार विमर्श की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हम पंजाब की यथासंभव सहायता कर सक।

श्री प्रबोध चन्द्र : : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है :—

“बिजली की कमी को पूरा करने के लिये उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रचलन में तेजी लाई जा रही है। उत्तरी क्षेत्र को विद्युत प्रणालियां भी समेकित ढंग से चलाई जा रही हैं ताकि विद्युत उत्पादन को अधिकतम किया जा सके और जहां भी संभव हो, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वारा बिजली की कमियों को कम किया जा सके।”

क्या यह सच है कि थ्री बांध योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने लगभग तीन वर्ष पूर्व स्वीकृति दी थी और पंजाब सरकार को अनेक बार आश्वासन दिये थे कि ज्यों ही ब्यास बांध पूरा होगा, वहां के श्रमिक थ्री बांध पर लगा दिये जायेंगे और वह परियोजना तुरन्त ही आरम्भ हो जायेगी। परन्तु इसके बावजूद कि इसे सभी स्तरों पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसे अब तक आरम्भ नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि थ्री बांध को जो कि पंजाब की एकमात्र आशा है कब आरम्भ किया जायेगा इसमें यदि कोई कठिनाइयां हैं तो वे क्या हैं?

श्री कृष्णकान्त पन्त : थ्री बांध को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। कठिनाई यह है कि सम्बद्ध राज्य बिजली तथा पानी के बटवारे के बारे में परस्पर कोई समझौता करने में असफल रहे हैं। परन्तु पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से मेरी अब तक जो बातचीत हुई है उससे मुझे अनुभव होता है कि दोनों एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयास कर रहे हैं और अब यह महसूस कर रहे हैं कि जब तक वे परस्पर कोई समझौता नहीं करेंगे तब तक उत्तरी क्षेत्र के लिये आवश्यक अधिक बिजली का प्रजनन करने का अवसर नष्ट होता रहेगा। यह अनुमान उन्हें है और प्रयास करने के बाद इसपर कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। परन्तु अभी तक वे कोई समझौता नहीं कर पाये हैं। योजना मंत्री ने भी उनसे बातचीत की है। मैं पंजाब के मुख्य मंत्री से फिर बात की है और मुझे आशा है कि वह आगे बातचीत के लिये शीघ्र ही दिल्ली आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई मामला ही नहीं था इसे तो आपके पूर्ववर्ती मंत्री ने पैदा किया था।

Shri Sarjoo Pandey : It is not the problem of Punjab only but the entire country is facing power crisis. The condition in U.P. is very grave, the entire crops are starving for water, tube wells factories are at a stand still. I want to know.....

Mr. Speaker : Although U.P. and Punjab are at the same level but still there is some difference.

Shri Sarjoo Pandey: Sir, That is really a very backward area, every body is in difficulty, no water, no electricity. In view of this what steps are being taken by the hon. Minister.

Mr. Speaker: Please make this at least a bit relevant to the main question.

Shri Sarjoo Pandey: We want to know the urgent measures which the Govt. propose to take to overcome power shortage because entire cultivation, tube wells, pumping sets and factories are blocked up. What action is being taken by the Government ?

Shri K.C. Pant: U.P. is more deficit than Punjab. The position is likely to improve when in next six months 370 MW power would be available from the four units at Bhatinda, Faridabad, Badarpur and Ohra in Northern region. In the meantime one state can help the other and are trying to get maximum help but since Haryana, Punjab, and U.P. are also in deficit Rajasthan is also not having surplus.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्थूलो : अध्यक्ष महोदय.....

Mr. Speaker: I did not object to this question because the question as well as the replies both belonged to U.P. So I did not intervene but it does not arise out the main question. If anybody can ask a question about Nangal, he is most welcome.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्थूलो : माननीय मंत्री ने कहा है कि नंगल परियोजना को भाखड़ा से बिजली सप्लाई की जाती है। मंत्री महोदय जानते हैं कि गाद के कारण भाखड़ा परियोजना की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है इसलिए क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या देश में भाखड़ा सहित अधिकांश जल परियोजनाओं की गाद के कारण उत्पादन शक्ति कम होती जा रही है; और यदि हां, तो भाखड़ा तथा अन्य जल परियोजनाओं के उन क्षेत्रों में, जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वनरोपण के तरीके से गाद को रोकने के लिये क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नांगल उर्वरक परियोजना को बिजली सप्लाई करने के बारे में है। उर्वरक में गाद का प्रभाव कैसे फैला हो गया।

सिंचाई और विभूत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : जहां तक मुझे पता है भाखड़ा में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बिजली का उत्पादन अधिक हुआ है। उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि स्लवण क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। गाद की समस्या अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंची जहां पर उसका बिजली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी विषय को ध्यान में रखते हुये यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और स्लवण क्षेत्र में उचित भू संरक्षण के लिये प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है ताकि बांधों से लम्बी अवधि तक पूरा लाभ उठाया जा सके।

Shri Achal Singh: Will the hon'ble Minister be pleased to state whether the production in Bhakra is in accordance with its capacity?

Shri K.C. Pant: The production is in accordance with expectations.

**इंडियन ड्रग्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के अंतर्गत केरल में औषध एकक की
स्थापना करना**

*184. श्री एन० श्रीकान्त नायर

श्री बर्कें जार्ज :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के दो औषध एककों की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या केरल के दावों पर विचार कर लिया गया है और एक एकक केरल को आवंटित किया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न सम्भावित स्थानों के प्रौद्योगिकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद नवीन औषध प्रायोजनाओं के स्थान पर विचार किया जायेगा।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि यह परियोजना जब सरकार के समक्ष विचार करने के लिये प्रस्तुत की गई थी उसके काफी बाद जुलाई 1973 में हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन का उल्लेख किया था और कहा था कि केरल में एक एकक अवश्य स्थापित किया जाना चाहिये यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में निर्णय करने में 9 महीने का समय लिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री देवकान्त बरूआ : यह ठीक है कि हमें केरल के मुख्य मंत्री का पत्र मिला था। परन्तु इस प्रकार के सभी मुख्य मंत्रियों से प्राप्त हुए थे और वे भी पिछड़ेपन के आधार पर ही लिखे गये थे। फिर भी आई० डी० पी० एल० तथा सरकारी क्षेत्र के औषध एकक में कुछ नये फार्मूले शन्स है और देश के विभिन्न भागों में एक अथवा एकक स्थापित किये जायेंगे। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। हमने बिहार में नयासिनामाइड संयंत्र लगाना स्वीकार कर लिया है और दूसरों पर विचार किया जा रहा है। केरल के अनुरोध कर भी अन्य राज्यों के साथ-साथ उन्हीं आधारों पर विचार किया जायेगा।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केरल में कोई राजनीतिक गड़बड़ नहीं है जबकि बिहार और अन्य राज्यों में राजनीतिक गड़बड़ है और फिर केरल एक पिछड़ा हुआ राज्य है, क्या सरकार केरल में दूसरा औषध कारखाना लगाने पर विचार करेगी? हमारे राज्य के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में फाइटो केमिकल प्लांट भी नहीं दिया गया है। क्या सरकार केरल में राजनीतिक दंगे होने से पूर्व इन एककों को स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री देवकान्त बरूआ : जहां तक इस एकक का सम्बन्ध है, यह अलकोहल पर आधारित है और उत्तर बिहार में मोतीहारी जिले में अलकोहल उपलब्ध होने के कारण ही हम ने इस एकक को वहां पर स्थापित करने का निर्णय किया है। बिहार में किसी राजनीतिक गड़बड़ को ध्यान में रख कर ऐसा नहीं किया गया है और न ही हमें इस प्रकार की गड़बड़ी की कोई जानकारी है। फाइटो केमिकल

परियोजना केरल में स्थापित करने का निर्णय किया गया था परन्तु बाद में पता चला कि यह परियोजना अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकती और इसलिये इसका विचार छोड़ दिया गया। अतः केरल के स्थान पर किसी अन्य राज्य में इसके लगाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री वरके जार्ज : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केरल सरकार द्वारा किये गये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि औषध कारखाना स्थापित करने के लिये केरल सर्वोत्तम स्थान है, क्या भारत सरकार केरल के इस दावे पर विचार करेगी और इस एकक को वहां स्थापित करेगी?

श्री देवकान्त बरूआ : मेरा विचार है कि केरल सरकार ने जो जांच की है कि वह केरल तक ही सीमित है। अतः यह कहना कठिन है कि समस्त भारत में केरल ही उपयुक्त स्थान है। फिर भी जैसा कि मैंने तो कहा है कि हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे और हम केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण की सफाई पर भी ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

श्री वरके जार्ज : क्या मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : केवल पहला सदस्य दो प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। अतः मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बालकृष्ण पिल्ले : सरकार देश में दो औषध कारखाने लगाने की योजना पर विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चार पंचवर्षीय योजनाओं में जहाज बनाने वाले कारखाने को छोड़ कर केरल में कोई मुख्य उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। क्या सरकार विशेष मामले के तौर पर केरल में एक औषध कारखाना स्थापित करेगी?

श्री देवकान्त बरूआ : इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा परन्तु हमें अन्य राज्यों के अनुरोध पर भी विचार करना है।

Shri Naval Kishore Sinha : May I know whether it is the same Petro-chemical complex, action on which was initiated when he was Governor of Bihar and if so, whether the site has been selected for this purpose?

Shri D.K. Barooah : It is Niacinamide Acid Unit. It is not petro-chemical. It is based on Alcohol and therefore it is a drug unit. It is not part of petro-chemical complex.

Shri Naval Kishore Sinha : I had asked whether site has been selected?

Shri D.K. Barooah : The site has been selected in Motihari District of North Bihar.

श्री के०एस० चावड़ा : क्या दो औषध एकक लगाने के लिये स्थान का निर्णय करने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि अनलजिन बनाने का लाइसेंस मैसर्स रोयचस्ट को और टेट्रसाइक्लिन बनाने का लाइसेंस मैसर्स प्रिजर्स को दिया जा रहा है और ये दो एकक इन दोनों वस्तुओं को बनाने में समर्थ हैं।

श्री देवकान्त बरूआ : इन दोनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, हम इस समय आई० डी० पी० एल० के दो अतिरिक्त एककों की स्थापना के स्थान के चयन पर चर्चा कर रहे हैं, अतः प्राइवेट कम्पनियों को लाइसेंस देने के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती एम० गौड़के : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केरल में जड़ी-बूटियों आदि वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में हैं जो औषध बनाने और मसूड़ों तथा अन्य कई कामों में आ सकती हैं, क्या मंत्री महोदय केरल में एक अन्य औषध परियोजना स्थापित करने पर विचार करेंगे?

श्री देवकान्त बरुआ : जहाँ तक केरल का सम्बन्ध है, मैं ने पहले ही कह दिया है कि केरल में ऐसे एकक स्थापित किये जाने के कई कारण हैं, परन्तु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन्हें भारत के अन्य भागों में भी क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री बसंत साठे : मैं आसाम के बारे में पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मूल जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। अब यह सभी राज्यों के बारे में पूछा जाने लगेगा। अगला प्रश्न।

इडिक्की परियोजना के निर्माण में लगे श्रमिक

***185 श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इडिक्की परियोजना के निर्माण में इस समय कुल कितने श्रमिक लगे हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने कारीगर हैं ;

(ग) क्या इन श्रमिकों की शीघ्र ही छंटनी कर दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं में खपाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) इडिक्की परियोजना के सिविल निर्माण कार्य केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मुख्यतः ठेकेदारों के जरिए करवाए जा रहे हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि जनवरी, 1974 में परियोजना पर निर्माण कार्य में लगभग 6,700 कामगार लगाए गए थे तथा उन में से लगभग एक चौथाई कुशल कामगार थे।

(ग) और (घ) ज्यों-ज्यों काम उत्तरोत्तर पूरे होते जाएंगे, इन कार्यों पर लगाए गए कामगार भी परियोजना की आवश्यकता से फालतू होते जाएंगे। ठेकेदार, स्वभावतः, जहाँ तक संभव होगा, अपने फालतू कामगारों को, उसके द्वारा लिये गये अन्य कार्यों पर काम देने का प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त, इंदियलायर तथा सायलेंट घाटी जल-विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा हाथ में ली जा रही हैं। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों पर भी, जब प्रारंभ किये जाएंगे, इडिक्की जल-विद्युत परियोजना की आवश्यकताओं से फालतू अनेक कामगारों को रोजगार दिये जाएंगे।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सरकार को पता है कि हाल ही में इस परियोजना के लगभग 4,000 श्रमिकों ने केरल सचिवालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे श्रमिकों के इस प्रदर्शन अथवा उनकी मांगों की बारे में जानकारी नहीं है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : श्रमिकों ने अपने मांगपत्र पर जोर देने के लिये सरकार को हड़ताल की धमकी दी है। क्या सरकार ने इन श्रमिकों को कोई आश्वासन दिया है? यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका संबंध राज्य सरकार से है। केरल विद्युत बोर्ड इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है और यह ज्ञापन पत्र उसे ही दिया गया होगा। कम से कम मैं ने यहां इस ज्ञापन की कोई प्रति नहीं देखी है। अतः मुझे इस बारे में पता नहीं है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : यह केन्द्रीय प्रायोजन परियोजना है। केन्द्रीय सरकार इसे वित्त दे रही है। अतः, श्रमिकों की शिकायतों पर यहां की सरकार द्वारा भी ध्यान दिया जायेगा। इसी लिये मैं ने यह प्रश्न पूछा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम इन परियोजनाओं के लिये ऋण देते हैं। किन्तु, इन्हें राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाता है और यह काम राज्य योजना के अन्तर्गत होता है।

श्री बी० बी० नायक : चूंकि इन परियोजनाओं में ठेकेदारों के आधीन काम करने वाले कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों दोनों की सेवा शर्तें असुरक्षित होती हैं और वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में कुछ पुरानी हो चुकी हैं, क्या इन लोगों को संगठित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना है अथवा जिसके बारे में मुख्यतः संबंधित सरकार को सुझाव दिया जाता है ताकि उनकी नौकरी कुछ स्थायी तो बन जाये? उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र में कालीनदी में काफी बड़ी संख्या में कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः, उनकी नौकरी को स्थायी बनाने के लिये, क्या किसी प्रकार की एक व्यापक योजना लागू की जायेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रकार के स्थायित्व के मार्ग में कुछ कठिनाइयों को देख सकता हूं। उदाहरणतः जब किसी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित की जाती है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त करने की आशा हो जाती है। किन्तु यदि हम समस्त श्रमिक बल को एक परियोजना से दूसरी परियोजना में ले जाते रहें, तो स्थानीय लोगों को उस क्षेत्र में कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। अतः इस संबंध में परस्पर विरोधी हित हैं। दूसरी ओर से कुशल तथा अर्धकुशल कर्मचारी होते हैं जिन्होंने कुछ वर्षों के लिये किसी परियोजना में काम किया होता है। जहां कभी भी यह सम्भव होता है, तो इस निरन्तरता के आधार पर उनके कौशल का उपयोग करते हैं। ऐसा करना ही वांछनीय होगा।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि इटिकी परियोजना के पूरा हो जाने पर लगभग 6,000 कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जायेगा। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस बात को देखते हुये कि केरल में जल-विद्युत बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है और सामान्य रूप से देश में बिजली की कमी है। केन्द्रीय सरकार केरल में और जल-विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिये और अधिक धन का नियतन करेगी और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार और अधिक परियोजनाएं शुरू करने हेतु, राज्य के अधिक धन का नियतन करेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में, जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि दो अन्य परियोजनाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार शुरू कर रही है। 1974-75 में इन परियोजनाओं के लिये कुछ धनराशि का प्रावधान

किया गया है। राज्य सरकार अधिक धन प्राप्त करना चाहेगी, किन्तु, योजना आयोग उन्हें अधिक धन नहीं दे सकता है। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम राज्य को अधिक धन दिलाने में किस प्रकार सहायता दे सकते हैं; किन्तु यह ऐसा मामला है जिसके बारे में देश के कुछ संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, आखिर कार योजना आयोग को ही निर्णय करना होगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस तथ्य को देखते हुए कि इंदिकी तथा चोरुथानी परियोजनायें अगले दो महीनों में पूरी हो जायेंगी और अनेक कर्मचारी, विशेषकर अकुशल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जायेगा और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली सायलेंट घाटी परियोजना के संबंध में सहायता करने के लिये कनाडा सरकार तैयार हो गयी है जिसका काम बिल्कुल वही तथा उसी तरह का किये जाने वाला काम है, क्या सरकार इंदयलायर तथा सायलेंट घाटी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के बारे में विचार करेगी, ताकि इस क्षेत्र में, विशेषकर चोरुथानी परियोजना से नौकरी से निकाले गये अकुशल कर्मचारियों को बिना विलम्ब तुरन्त सायलेंट घाटी परियोजना में रोजगार मिल जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सायलेंट घाटी परियोजना को योजना आयोग द्वारा फरवरी 1973 में मंजूरी दी गयी और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दो परियोजनाओं में से यह एक परियोजना है, जिसका उल्लेख मैं मुख्य उत्तर में कर चुका हूँ जिसके लिये 1974-75 के लिये राज्य योजना में कुछ धन का नियतन किया गया है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि कनाडा की सरकार सहायता करने के लिये तैयार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस दृष्टिकोण से सहानुभूति है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

राज्य मंत्री द्वारा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में वक्तव्य

*186. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री वायलर रवि :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जनवरी, 1974 में कोचीन में कोई वक्तव्य जारी किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया था, तथापि राज्य मंत्री ने कोचीन में एक प्रैस सम्मेलन का आयोजन किया था जिस में उन्होंने और बातों के साथ साथ संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में समग्र सुधार लाये जाने के लिये प्रबन्धकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों का जिक्र किया था। इस दिशा में उठाये

जा रहे कदमों में उद्योग मंडल के पुराने संयंत्र का नवीकरण, बाधाओं का दूर किया जाना तथा उत्पाद-मिश्र में अनेकता लाना और कोचीन में उच्च स्तरों पर उत्पादन को स्थिर करने के उपाय शामिल हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस सभा में यह एक खेदपूर्ण बात बन चुकी है कि इस माननीय मंत्री द्वारा बहुत ही अनुचित तथा असंगत उत्तर दिये जा रहे हैं। उनके वक्तव्य में उत्तर देने के बारे में प्रयास करने की अपेक्षा बहुत अधिक छुपाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने गत जनवरी में एक विशेष दिन कोचीन में सम्वाददाताओं के सामने वक्तव्य दिया था। मेरा समाचार पत्रों के लिये दिये गये उनके वक्तव्य से कोई विवाद नहीं है, मैं इस बात को उनकी अपनी सामान्य बुद्धि पर छोड़ता हूँ। किन्तु जिस के बारे में मुझे और इस सभा को चिन्ता होनी चाहिये। क्या उन्होंने केरल से संसद सदस्यों का अपमान करके तथा जैसा इस सभा का अपमान करने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह कोई एक मामले के संबंध में विशेष आरोप का, जिस के संबंध में यहां सभा में एक आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा, उत्तर देने के लिये गये थे। वहां मंत्री महोदय एक प्रेस सम्मेलन में यह कहने के लिये गये थे कि "संसद सदस्यों को इस ओर ध्यान नहीं दे सकते, वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कहने वाले कौन होते हैं"। क्या यह बात सच है कि नहीं? यदि नहीं, तो उन्होंने क्या कहा था?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे वह बात कहने का अवसर तो दें जो मैं कहना चाहता हूँ.... (व्यवधान) संसद के गत सत्र के दौरान इस सभा में चर्चा हुयी थी और मैंने वचन दिया था कि मैं वहां जाऊंगा और कोचीन के एफ० ए० सी० टी० के कार्यकरण का अध्ययन करूंगा। मैं जनवरी के तीसरे सप्ताह वहां गया था। जब मैं वहां गया था, तो मैं वहां सभी मजदूर संघों के जिन्हें मान्यता मिल चुकी है अथवा जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, प्रतिनिधियों से मिला था। ये मजदूर संघ सात या आठ थे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं एक संघ का अध्यक्ष हूँ, उन्होंने मुझे सूचित करने का शिष्टाचार नहीं निभाया, वह प्रबन्धक निदेशक के साथ रहे।

अध्यक्ष महोदय : शान्त हो जाइये। अब वादविवाद नहीं हो रहा है। यदि आप महसूस करते हैं कि उन्होंने उचित रूप से उत्तर नहीं दिया है, तो आप इस बात के बारे में विवाद खड़ा करने की बजाये कि उन्होंने क्या किया अथवा क्या नहीं किया, अपने अनुपूरक प्रश्न के द्वारा और सूचना प्राप्त कर सकते थे। आप बाद में इन मामलों को आपस में निपट सकते हैं। मेरा संबंध तो प्रश्न और उत्तर से है। मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं ने कहा है कि मैं पृथक-पृथक सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से मिला और उस समय एफ० ए० सी० टी० का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। मैंने प्रतिनिधियों को कहा कि वे अपनी बात खुल कर कहें। मैं अधिकारियों के संघ के प्रतिनिधियों तथा केरल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केरल के श्रम मंत्री से भी मिला। अधिकारियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों सहित उन सभी लोगों ने, जिन्हें मैं कोचीन में मिला, कहा कि पहले वे महसूस करते थे कि एफ० ए० सी० टी० में पहले व्यवस्था ठीक नहीं था, किन्तु जब से वर्तमान प्रबन्धक निदेशक वहां आये हैं, तब से वे महसूस करने लगे हैं कि वहां व्यवस्था ठीक हो गयी और कि वे इस संगठन

के कार्यकरण में काफ़ी सुधार किया है। यह खेद की बात है कि कुछ लोगों ने इस मामले को व्यक्तिगत मामला बना दिया है। कोचीन के उर्वरक संयंत्र में जाने के पश्चात् मेरा यह मत बन गया है कि वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक अच्छा काम कर रहे हैं, जिस की सराहना श्रमिकों, अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा की गयी है (व्यवधान) जब मैं वहाँ गया था, तो समाचारपत्रों के सम्वाददाता भी मुझे मिलना चाहते थे। इसलिये मैंने प्रैस सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने मुझ से इस उर्वरक संयंत्र के कार्यकरण के बारे में सभी प्रकार के बारे में अनेक प्रश्न पूछे थे . . . (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जनरल साहब जी, क्या मैं आप को बता सकता हूँ कि आप को आजाद हिन्द सेना के व्यक्तियों पर नियंत्रण करना अवश्य ही आसान लगा होगा और आपको इस सभा से लाल किले का अपना मुकदमा आसान लगा होगा। उस समय आप जनरल थे न कि राजनीतिज्ञ अब राजनीतिज्ञ बनने का भी प्रयास कीजिए।

श्री शाहनवाज खां : प्रैस सम्मेलन के दौरान एक सम्वाददाता ने मुझसे पूछा था कि क्या हम एफ० ए० सी० टी० के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक को हटाने जा रहे हैं, क्योंकि केरल के संसद सदस्य उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं। मैंने प्रैस को बताया था कि सामान्यतया हम अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनका स्थानान्तरण इस कारण नहीं करते, कि संसद सदस्य उन्हें नियुक्त तथा स्थानान्तरित कराना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

Mr Speaker : I am trying to find at the equilant word "Order-order",

Shri Hukam Chand Kachwai : "Savdhan",

Mr Speaker : Word "Savdhan" is not correct, I think the word, 'Shanti, Shanti' would be more appropriate.

श्री शाहनवाज खां : जब मैं प्रैस सम्मेलन में उपस्थित था, तो उस समय वहाँ का कोई भी मित्र वहाँ नहीं था। अतः मैंने जो कहा था मैं उसे जानता हूँ कि मैंने वहाँ क्या कहा था। मैंने प्रैस सम्मेलन में कहा था कि हम अधिकारियों की नियुक्ति संयंत्रों के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के हित में करते हैं और हम किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा उसका स्थानान्तरण इस लिये नहीं करते कि हम पर ऐसा करने के लिए कोई दबाव डाला गया है।

श्री हरि किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपना प्रश्न पूछें, तो अधिक अच्छा है।

श्री० के० पी० उन्नीकृष्णन् : श्रीमान् जी, मैं आप से यह आशा करता था कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और मंत्री महोदय को भी निदेश देंगे कि वह सीधे और स्पष्ट उत्तर दें। श्रीमान् जी, मेरा मुख्य प्रश्न क्या था और उन्होंने उत्तर क्या दिया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न पढ़ने तथा उस का उत्तर प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता हूँ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय से अच्छा प्रमाणपत्र मिल जाने के पश्चात प्रबन्धक निदेशक अथवा प्रबन्धकों ने वहाँ की व्यवस्था को सुधारा है और यदि हाँ, तो क्या यह इसी सुधार का ही परिणाम है कि कोचीन डिविजन को बन्द कर दिया गया है ? क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि प्रबन्धकों के आचार के संबंध में राज्य सभा तथा लोक सभा में उनके वरिष्ठ मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्यों तथा उनके अपने वक्तव्य में परस्पर विरोध है ? क्या उन्होंने एमोनिया परियोजना तथा नोरमक हायड्रो संबंधी आरोपों की जांच की है ? यदि हाँ, तो उन्हें क्या मालूम हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : माननीय सदस्य ने मेरे उस वक्तव्य का उल्लेख किया है जिसमें मैंने कहा है कि एफ० ए० सी० टी० के प्रबन्धक बहुत ही अप्रभावी रहे हैं । किन्तु, उसमें मैंने किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं किया था जिसके दौरान ये प्रबन्धक अप्रभावी रहे हैं । क्योंकि व्यवस्था एक निरन्तर प्रक्रिया है, इसलिए यह व्यवस्था रात भर में ही अप्रभावी नहीं हो जाते । वे लोग, जिन्हें व्यवस्था के बारे में ज्ञान है, जानते हैं कि यह व्यवस्था रात भर में ही बिगड़ नहीं जाती ।

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने एफ० ए० सी० टी० के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार की थी । यह मामला संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सामने आयेगा, तब यह समिति इस बात को स्पष्ट करेगी कि कौन दोषी है । सल्फर और राक फास्फेट की सूचियों तथा देखी गयी अनियमितताओं के संबंध में, हमारे द्वारा कहे जाने पर महालेखा परीक्षक द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की गयी थी । इसके प्रतिवेदन को पढ़ने से ठोस बातों का पता लगता है । हमने इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी करायी है और उस प्रतिवेदन पर केन्द्रीय मतर्कता आयुक्त विचार कर रहा है । अतः, मैंने जांच करने के लिए कार्यवाही की है । जब कोई शिकायत की जाती है, तो उसकी जांच उपयुक्त तथा उचित रूप से गठित प्राधिकरण द्वारा करायी गयी है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया हमें आश्वासन दीजिये । हम यही कुछ चाहते हैं ।

श्री देवकान्त बरुआ : ऐसा पहले ही किया जा चुका है । यदि किन्हीं अनियमितताओं के बारे में हमें बताया जाये, मैं तो उनकी जांच कराने के लिये तैयार हूँ । श्रीमान् जी, यदि आप चाहें, तो मैं संसद सदस्यों की एक समिति भी नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ जो एफ० ए० सी० टी० से संबंधित इस समूची समस्या पर विचार करे । मैं यह बात अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूँ कि वह इस बारे में निर्णय करें । जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी रुचि इन दोनों में से किसी बात में भी नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यक्तिगत मनमुटाव के तत्व को न लायें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मंत्रियों द्वारा न तो कोई सिफारिश की जानी चाहिए और न ही कोई प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए ।

श्री देवकान्त बरुआ : क्या वह मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे । मैं अंग्रेजी में आप की तरह प्रवीण नहीं हूँ और न ही मैं आप की तरह शीघ्र ही बोल सकता हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे

आदरणीय सहयोगी जो इस देश के एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी में से हैं, किसी माननीय सदस्य की निन्दा नहीं करना चाहते हैं। मुझे इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जब ही वह बोलते हैं, तो वह केवल प्रक्रिया को ही स्पष्ट करना चाहते हैं। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि मलयालम भाषी लोगों की तरह हम सभी अंग्रेजी बोलने में प्रवीण नहीं हैं।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मैंने सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर ली है और भविष्य में भी मैं सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करूँगा। श्रीमान् जी, मैंने आपको एक सुझाव दिया है। यदि आप इसे उपयुक्त तथा उचित समझते हैं, तो इस बारे में मैं इसका पालन करूँगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रतनपुर स्टेशन 'पूर्व रेलवे' पर यात्री गाड़ी का माल गाड़ी से टकरा जाना

*181 श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के रतनपुर स्टेशन पर 8 फरवरी, 1974 को एक यात्री गाड़ी माल गाड़ी से टकरा गई थी और उसके परिणामस्वरूप ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी:

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच की है:

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल संचालन में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां। यह दुर्घटना 7-2-1974 को हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) जांच समिति ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

(घ) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए रेल कर्मचारियों की विफलता एक बहुत बड़ा कारण है अतएव रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन गाड़ी संचालन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने और विहित संरक्षा नियमों की उचित जानकारी सुनिश्चित करने में कटिबद्ध हैं। इसके अलावा, यह देखने के लिए कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं करते और लाघव तरीके नहीं अपनाते, स्थानिक जांच की जाती है। सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और जिम्मेवार पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि जांच द्वारा कोई अन्य दोष या भूल का पता चलता है तो उनकी पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कदम उठाये जाते हैं। संरक्षा में सुधार करने के लिए उन्नत किस्म के सिगनल और अंतर्पार्शन, रेल-पथ परिपथन आदि के रूप में यथासंभव प्रौद्योगिक सुधार भी किये गये हैं।

तेल की खोज के बारे में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग

*187. श्री डी०पी० जडेजा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने तेल और गैस के उत्पादन और खोज के बारे में सहयोग करने के संबंध में हाल में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : (क) और (ख) हाल ही में फ्रांस सरकार के साथ विचार विमर्श के “दौरान तेल तथा गैस अन्वेषण एवं उत्पादन”, विशेषकर अपतटीय क्षेत्रों में विस्तृत आर्थिक सहयोग के आशाजनक क्षेत्रों में से एक माना गया है। निश्चित प्रस्ताव अभी तैयार किये जाने हैं तथा उन पर विचार किया जायेगा।

बहु-प्रयोजनीय बांधों के निर्माण के बारे में भारत-नेपाल वार्ता

*188. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उत्पादन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बराह क्षेत्र के निकट कोसी नदी पर, शीशापानी के निकट कमला नदी पर और बागमती पर बहु-प्रयोजनीय बांध बनाने के बारे में भारत और नेपाल के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन अधिग्रहण कार्यक्रम में भारी कटौती

*189. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एस०एन० मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे से, वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण अपने वैगन अधिग्रहण कार्यक्रम में भारी कटौती करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इससे देश के वैगन निर्माताओं पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, 1973-74 में 13,000 माल डिब्बों के संभावित उत्पादन की तुलना में वर्ष 1974-75 में माल डिब्बों की खरीद का लक्ष्य लगभग 14,000 माल डिब्बा (चौपहिये) रखा गया है।

चूँकि पहले के आर्डर ही भारी मात्रा में बकाया पड़े हैं तथा 1974-75 के चल स्टॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत और भी आर्डर दिये जाने हैं, अतः आर्डरों की कमी के कारण माल डिब्बा निर्माण उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पांचवीं योजना में ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को पुनः तैयार करना

*190. श्री कमल मिश्र मधुकर :

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल ऊर्जा के संकट को देखते हुए, क्या सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को नये ढंग से पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) ऊर्जा संकट एवं विश्व बाजार में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, तेल की खपत को घटाने तथा तेल के स्थान पर अन्य ऊर्जाओं—जैसे कोयला और कोयले पर आधारित तथा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत का उपयोग करने की संभावनाओं पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया है जो पेट्रोलियम और उसके उत्पादों का बहुमुखी अंतिक प्रयोगों जैसे औद्योगिक बायलरों और भट्टियों, उर्वरक संयंत्रों, रेल तथा सड़क परिवहन और घरेलू उपक्रम विद्युत स्टेशनों, में इनका स्थान लेने या इनकी संभावित खपत में कटौती करने के बारे में गहन अभ्यास कर रही है।

इन अभ्यासों के परिणाम, जिनकी शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। अल्पावधि ऊर्जा नीति को नया रूप देने के लिए व्यापक आधार का कार्य करेंगे तथा उसके पश्चात् दीर्घावधि नीति निर्धारण हेतु और अधिक विस्तारित अभ्यास करने की संभावना है।

औषध निर्माण उद्योग को लाइसेंस देने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

*191. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माण उद्योग में विदेशी स्वामित्व वाली तथा भारतीय फर्मों को लाइसेंस देने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हुए हैं; और यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) औषध निर्माण उद्योग के क्षेत्र में विदेशी स्वामित्व वाली फर्मों की तुलना में औषध निर्माण करने वाली भारतीय फर्मों के औद्योगिक आवेदन पत्रों की पहले जांच किस आधार पर की जाती है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसमें एक मुख्य बात यह है कि केवल बड़ी मात्रा में निर्मित होने वाली औषधियों से संबंधित औषध निर्माण का विस्तार करने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक बिक्री वाले भारतीय फर्म पर ही विचार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क), (ख) और (ग) फरवरी, 1973 में घोषित की गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में औषध एवं भेषज उद्योग को उन उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिन के लिये अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों तथा बड़े-बड़े उद्योग घरानों की कम्पनियां भी योग्य हैं।

2. अधिकांश विदेशी पूंजी वाली फर्मों द्वारा विदेशी साम्य पूंजी में कमी किये जाने के बारे में सरकार की नीति फरवरी, 1972 में घोषित की जा चुकी है जिस के अन्तर्गत जब-जब भी अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियां विस्तार के लिये प्रस्ताव भेजेगीं तो उन्हें निम्नलिखित सीमा तक केवल भारतीय से ही अतिरिक्त साम्य पूंजी लेकर विदेशी पूंजी में कमी करनी होगी :

विस्तार की अनुमानित लागत का 40%	उन कम्पनियों के बारे में जिन में विदेशी साम्य पूंजी है	75% से अधिक
33 1/2% "	"	60% से अधिक लेकिन 70% से अधिक नहीं।
25% "	"	51% से अधिक लेकिन 60% से अधिक नहीं।

3. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सरकार द्वारा हाल ही में निर्देशक सिद्धांत जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि औषध एवं भेषजों का निर्माण करने वाली अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियां भारतीय सहभागिता में वृद्धि करेंगी जो किसी विशिष्ट अवधि के बीच 26% के कम नहीं होगी।

4. उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये विदेशी फर्मों की क्षमता के विस्तार को निम्न प्रकार से नियमित किया जा रहा है:—

- (i) निर्माण संबंधी योजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है;
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रपुंज औषधों का बड़ी संख्या में निर्माण;
- (iii) सूत्रयोग निर्मित करने के लिये, जब तक कि वे प्रपुंज औषधों के उत्पादन से संबद्ध न हों, विदेशी फर्मों को सामान्य तौर पर औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं;
- (iv) क्षमता में विस्तार करने अथवा नया कार्य शुरू करने की इजाजत के लिये शर्त के तौर पर उन्हें अधिक मूल अवस्थाओं से प्रपुंज औषधों का उत्पादन करने और प्रपुंज औषधों के अपने उत्पादन का उपयुक्त भाग देश के असम्मिलित निर्माताओं को उपलब्ध करने के लिये कहा जाता है ;
- (v) क्षमता में विस्तार अथवा नया कार्य शुरू करने की इजाजत देने के लिये शर्त के तौर पर उपयुक्त निर्यात बाध्यताएं लगाई जाती हैं।

5. औषध एवं भेषजों के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रपुंज औषधों में वृद्धि की जाये। 2 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक बिक्री करने वाली कम्पनियों द्वारा इस ओर योगदान दिये जाने की आशा की जा सकती है।

**पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के "ट्रेन एक्सांमिनरों" द्वारा नियमानुसार कार्य करने का अभियान
आरंभ करना**

*192. श्री झारखण्डे राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के "ट्रेन एक्सांमिनरों" ने 1 फरवरी, 1974 से नियमानुसार कार्य करने का अभियान आरम्भ किया है;

(ख) उक्त अभियान आरम्भ करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों के गाड़ी परीक्षकों ने 30 जनवरी 1974 की आधी रात से नियमानुसार काम करने का ढंग अपनाया।

(ख) अधिक अच्छे वेतनमानों और बेहतर पदोन्नति सरणियों की मांग पर जोर देने के लिए यह आन्दोलन किया गया था।

(ग) वेतन आयोग ने उनके वेतनमानों के प्रश्न पर विचार किया है, और सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली हैं। जहां तक पदोन्नति की सरणियों का सम्बन्ध है, लगभग 1100 पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, गाड़ी परीक्षकों के मान्यता-प्राप्त फेडरेशनों के साथ, बातचीत की गयी थी और इस बातचीत के दौरान यह बताया दिया गया था कि गाड़ी परीक्षकों की वास्तविक शिकायतों की जांच की जायेगी।

रेलवे बोर्ड पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास आई० डी० ए० एसोसियेशन का दबाव

*193. श्री रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन (आई० डी० ए०) ने अपने वर्तमान ढांचे को मान्यता देने के लिए रेलवे बोर्ड पर कोई दबाव डाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एन० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटदूर भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिये भूकम्प जहाज की खरीद

*194. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर भूगर्भीय गहन सर्वेक्षण हेतु भूकम्प जहाज और उपयुक्त संगणक खरीदने के लिये आर्डर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किस देश को आर्डर दिये गये हैं और उनके कब तक यहाँ प्राप्त हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) भूकम्पकीय तथा रेडियो स्थिति का पता लगाने वाले यंत्र एवं उपकरण से सुसज्जित एक भूकम्पकीय जहाज का एक आर्डर दिया गया है। एक संगणक का कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

(ख) यू० एस० ए० की एक फर्म को आर्डर दिया गया है। जनवरी 1974 में यू० एस० ए० में प्राप्ति की आशा है।

बरौनी उर्वरक परियोजना में उत्पादन

*195. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री राम भगत पाशवान :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक परियोजना में इस वर्ष के मध्य तक उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना का उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ग) अब तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हाँ।

(ख) पूर्ण परिचालन क्षमता पर चलने पर लगभग 330000 मीटरी टन यूरिया प्रति वर्ष।

(ग) 31-12-73 को 54.14 करोड़ रुपये।

विदेशी औषध फर्मों और उनका उत्पादन

*196. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध कम्पनियों की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी इन्क्विटी शेयर वाली फर्मों कितने प्रतिशत औषधियों का निर्माण करती है; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार उन विदेशी कम्पनियों ने प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की औषधियाँ निर्यात कीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) विदेशी औषध फर्मों अर्थात् वे फर्म जिनमें 50 प्रतिशत से विदेशी साम्य पूंजी अधिक लगी है, कुल बिक्री के लगभग 45% है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी फर्मों के नाम तथा उनके द्वारा वार्षिक निर्यात किये गये औषधों का मूल्य युक्त विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6315/74] प्रत्येक मद की अधिक संख्या को मध्यनजर रखते हुए विभिन्न एकक तथा गैक साइज के मद निहित ; प्रत्येक औषध की मात्रा की विस्तृत रचना उपलब्ध नहीं है।

Theft of Coal from Loco Yard at Ujjain

*197. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the value of coal stolen from the loco yard of Ujjain during the last year;

(b) whether theft of coal has increased ; and

(c) if so, the action taken so far and proposed to be taken in future for preventing the theft of coal?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Coal worth Rs. eleven only was reported stolen from Loco Yard, Ujjain during 1973.

There has been no increase in the thefts of coal, from this Loco Yard. However, the following measures have been taken to prevent theft of coal from there:—

- (1) Loco Yard is guarded round the clock by RPF personnel.
- (2) Plain clothed RPF staff are being utilised for collecting intelligence. Besides surprise raids are also conducted periodically.
- (3) Assistance of Railway Police and District Police is sought for exercising surveillance on persons who have a bad reputation and are suspected of dealing with coal obtained through illegal means.
- (4) Assistance and co-operation of recognised Railways trade unions and other railway staff is sought to prevent theft of Coal.
- (5) Cases of unlawful possession of railway coal, when detected, are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 which provides for deterrent punishment.

रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना

*198. **श्री एस० सी० सामान्त :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) रेल कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की उनकी अपील पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है;
- (ख) रेलवे प्रशासन को अपनी उचित दर की दुकानें खोलने और उचित मूल्यों पर वस्तुओं की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं; और
- (ग) ये प्रबन्ध कब तक हो जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) अब तक जितने उत्तर प्राप्त हुए हैं उनमें राज्य सरकारों ने रेल कर्मचारियों को यथासंभव सहायता देने के लिए तत्परता दिखायी है।

(ख) जहां तक रेलों द्वारा अपनी उचित मूल्य की दुकानें खोलने का प्रश्न है, ऐसी प्रणाली 1942 से 1949 तक चलायी गयी थी। लेकिन विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों और इस योजना को

चलाने में हुई भारी हानि के कारण यह योजना बन्द कर दी गयी। किन्तु, इस मामले की जांच की जा रही है ताकि राज्य सरकारें रेल कर्मचारियों के लिए अधिक संख्या में उचित मूल्य की दुकानें खोल सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केलसिनाइड पेट्रोलियम को पर की गई मूल्य वृद्धि को वापिस लेने के लिए एल्यूमीनियम उद्योग की मांग

*199. श्री राम प्रकाश : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के एल्यूमीनियम उद्योग ने सरकार से केलसिनाइड पेट्रोलियम कोक के मूल्य में की गई वृद्धि को वापिस लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) एल्यूमीनियम उद्योग ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि उनके कच्चे माल की लागत में, विशेषकर निम्नलिखित पेट्रोलियम कोयले के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण पर्याप्त रूप में वृद्धि हुई।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

उच्चतम न्यायालय की 'श्रम बेंच' का गठन

*200. श्री मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की एक पृथक "श्रम बेंच" का गठन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के पास छंटनी, भविष्य निधि, बोनस तथा श्रम संबंधी अन्य कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय की इस "श्रम बेंच" का कब तक गठन हो जाने की आशा है ताकि श्रम संबंधी सभी अनिर्णीत मामलों का निपटारा हो सके ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय में, विशेष रूप से निर्दिष्ट कतिपय अन्य अपीलों के अतिरिक्त उन श्रम मामलों की सुनवाई के लिए, जो शीघ्र निपटाए जाने के लिए अपेक्षित होते हैं, वस्तुतः सदैव ही एक बेंच होती है।

(ख) 1-1-1974 तक औद्योगिक अधिकरणों/न्यायालयों के पंचाटों से प्रोद्भूत 1276 अपीलें थीं।

(ग) चूंकि उच्चतम न्यायालय को सांविधानिक याचिकाएं और अपीलें, निर्वाचन अपीलें, बन्दी प्रत्यक्षीकरण अर्जियां, आपराधिक अपीलें, कर अपीलें, पुरानी सिविल अपील आदि निपटानी पड़ती हैं अतः यह संभव नहीं है कि अनन्य रूप से श्रम मामलों की सुनवाई हेतु पूरे साल के लिए विशेष बेंच गठित की जाए।

साबुन बनाने के लिए नारियल के तेल का प्रयोग

1803. श्री पी० आर० शिनाय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साबुन बनाने के लिये कुल कितनी मात्रा में नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) क्या नारियल के तेल के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के उद्देश्य से साबुन उद्योग में नारियल के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) संगठित क्षेत्र में यूनिटों द्वारा साबुन के उत्पादन के लिए नारियल के तेल की वार्षिक खपत 5000 मीटरी टन है।

(ख) जी नहीं।

Communication System in Madhya Pradesh

1804. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the States Reorganisation Commission had made a specific recommendation that in order to improve the communications in Madhya Pradesh it should be provided assistance on a large scale;

(b) whether no concrete step has so far been taken to lay Railway lines in the state;

(c) if so, whether Government of India is contemplating to improve the conditions of communication system there; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d) For the Second Plan, the Madhya Pradesh Government, after taking into account the suggestions of the States Reorganisation Commission, recommended the following proposals for consideration:—

- (i) Doubling between Durg (Bhilai) and Champa (Bilaspur).
- (ii) Construction of Durg (Bhilai)-Dhallai-Rajhara section of the already surveyed Durg-Balod-Dhalli Rajhara-Rowghat-Kondagaon line.
- (iii) Extension of Champa-Korba line beyond Korba.
- (iv) Extension of the Durg (Bhilai)-Dhalli-Rajhara sections beyond Dhalli Rajhara via Rowghat-Kondagaon-Jagdalpur to Kottavalasa.

Proposals (i) and (ii) were completed during the Second Plan itself. The work mentioned in item (iii) has also been completed. As regards item (iv) the portion between Jagdalpur and Kottavalasa has been completed and opened to traffic as part of the Bailadilla-Kottavalasa Project and a survey for connecting Dhalli Rajhara to Jagdalpur via Rowghat is in progress.

कोचीन तेल शोधन कारखाने में बनाई जाने वाली कुकिंग गैस के लिए सिलिंडरों की कमी

1805. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सिलिंडरों की कमी के कारण कोचीन स्थित तेल शोधन कारखाने में कुकिंग गैस का उत्पादन कम कर दिया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : सिलिंडरों की कुछ कमी थी जो अब खतम हो गई है। तथापि कोचीन परिष्करण शाला अशोधित तेल की उपलब्धता की कमी होने के कारण पूरी मात्रा तक ईंधन-गैस का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है। आगामी महीनों में इस स्थिति में उत्तरोत्तर विकास होने की आशा है।

कर्नाटक और अन्य राज्यों में स्थापित किये जाने वाले उद्योग

1806. श्री पी० आर० शिनाय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये औद्योगिक एकक कौन-कौन से हैं जिन्हें 1974 से 1979 के वर्षों में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक राज्य में किये जाने का विचार है; और

(ख) अन्य राज्यों के बारे में राज्यवार प्रस्ताव क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जहां तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का सम्बन्ध है 1974—79 में सरकारी क्षेत्र में कर्नाटक राज्य में किसी नए औद्योगिक एकक की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) 1974—79 में सरकारी क्षेत्र में पांच उर्वरक प्रायोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है और इनके लिए प्रस्तावित स्थान इस प्रकार हैं :—

उत्तर प्रदेश में मथुरा

पंजाब में भटिंडा

हरियाणा में पानीपत

उड़ीसा में प्रदीप

महाराष्ट्र में ट्राम्बे

इस अवधि में उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक नई पारिष्करणशाला स्थापित करने तथा गुजरात में वर्तमान कोयाली परिष्करणशाला का विस्तार करने का भी निर्णय किया गया है। इस अवधि में अपने वर्तमान एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना द्वारा अपना उत्पादन वैविधीकरण के लिए हिन्दुस्तान एण्टिवायोटिक्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। हिन्दुस्तान एण्टिवायोटिक्स लि० के मामले में उसके पिम्परी, पूना के वर्तमान कारखाने में विस्तार/वैविधीकरण किया जायेगा।

एरणाकुलम से बरास्ता एलेप्पी, कायमकुलम तक तटवर्ती रेलवे

1807. श्री बायालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने केरल राज्य के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को बताया था कि : रेलवे बोर्ड एरणाकुलम से बरास्ता एलेप्पी कायमकुलम तक एक तटवर्ती रेलवे बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और भविष्य में क्या पग उठाये जायेंगे ?

(ख) 1970 में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा था कि यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी और इस पर इतना यातायात नहीं हो पायेगा कि निकट भविष्य में इसके निर्माण का औचित्य सिद्ध हो सके।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावणकोर के ड्राइ आइस प्लांट का अप्रयुक्त पड़े रहना

1808. श्री वयालार रवि : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावणकोर का ड्राइ आइस प्लांट वर्ष 1971-72 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जब संयंत्र के परीक्षात्मक परिचालन चल रहे थे तब यह पाया गया कि उस सूखी बर्फ का जिसे मछली उद्योग को बेचने की परिकल्पना की, उस उद्योग द्वारा मित्तव्ययता से प्रयोग नहीं किया जा सकता जो परिवहन व्यवस्था का रेलवे के साथ गठबंधन हो जाने ही चलाई जा सकती हैं। उपक्रम के पास बम्बई में सूखी बर्फ बेचने की योजनाएँ हैं।

पन बिजली परियोजनाओं के लिए केरल को सहायता

1810. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पन बिजली परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से विशेष नियतन किये जाने की मांग की थी ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये कब तक आवश्यक नियतन किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केरल सरकार के अनुरोध पर पिछले वर्ष (1972-73) में इंदिरा जल-विद्युत परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ रुपये की अनिश्चित सहायता उपलब्ध की थी ।

तेलीचेरी (केरल) से मैसूर तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1811. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लीचेरी (केरल) से मैसूर तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि यह रेल सम्पर्क अत्यधिक अलाभप्रद होगा और इससे रेलों को भारी हानि होने की संभावना है ।

रेलवे प्रशासनिक विभाग का पुनर्गठन

1812. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने समस्त रेलवे प्रशासनिक विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय रेलों के प्रशासनिक ढांचे से पुनर्गठन से है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन आवश्यक ही समझा जाता है।

बड़ी नदियों को एक दूसरे के साथ मिलाना

1813. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में बड़ी नदियों को एक दूसरे के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और
- (ग) उसके लिये कितनी धनराशि खर्च करने की मंजूरी दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सम्पर्कों को अभिज्ञात करने के लिए अपेक्षित विभिन्न उप-बेसिनों, बेसिनों, क्षेत्रों तथा प्रदेशों की कमियों और बेसिनों के अध्ययनों और तत्पश्चात् अपेक्षित अन्य अनुसंधान को पांचवीं योजना में शुरू करना प्रस्तावित है। आशा है कि पांचवीं योजनावधि के दौरान इन अध्ययनों तथा अनुसंधानों के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाएंगे।

रेल यात्रियों के लिए कम कीमत के भोजन के पैकेट

1814. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) रेलवे विभाग ने किन रेलगाड़ियों में कम कीमत के भोजन के पैकेट की योजना आरम्भ की है ;
- (ख) क्या इस सुविधा को किन्हीं अन्य रेलगाड़ियों में भी किया जाएगा ; और
- (ग) यदि हां तो उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं तथा इस सुविधा को किस तिथि से किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) निम्नलिखित गाड़ियों में कम कीमत वाले भोजन पैकेटों की बिक्री शुरू कर दी गयी है :—

- (1) 153 अप/154 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस—ममस्तीपुर और नयी दिल्ली के बीच।
- (2) 54 डाउन एक्सप्रेस—सिकन्दराबाद और काजीपेट के बीच।
- (3) 2 डाउन गोलकुंडा एक्सप्रेस—सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा के बीच। कम कीमत वाले भोजन पैकेटों की बिक्री चुने हुए कुछ स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर और उन स्टेशनों से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के डिब्बों में भी शुरू की गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) 51 अप मद्रास-नयी दिल्ली एक्सप्रेस और 45 अप हावड़ा—हैदराबाद एक्सप्रेस में अप्रैल, 1974 से कम कीमत वाले भोजन पैकेटों की बिक्री शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय रेलवे में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

1815. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में चौथी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करने के बारे में क्या प्रक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार चौथी तथा तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती की वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता अनुभव करती है ;

(ग) क्या इस प्रकार पुनरीक्षण किये जाने के लिये कोई व्यवस्था बनायी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी फुरेशी) : (क) रेलों में श्रेणी III के पदों के लिए सीधी भर्ती रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और मुजफ्फरपुर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मामले में भर्ती समिति के माध्यम से की जाती है।

कारखानों को छोड़कर, रेलों के सभी विभागों में श्रेणी IV के पदों की खाली जगहें जांच-पड़ताल के बाद नैमित्तिक श्रमिकों और एवजी कर्मचारियों में से भरी जाती होती हैं। कारखानों में 50% खाली जगहों को बाहर से भरने की व्यवस्था है। इसमें प्रशिक्षुता अधिनियम के अधीन प्रशिक्षित ट्रेड अप्रेंटिस भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) : जी नहीं :

Partnership Companies in Madhya Pradesh

1816. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state:

(a) the number of private, public and other firms functioning on the basis of partnership in Madhya Pradesh during 1972-73 together with the amount invested in each of them and also the number of companies and firms registered during the same period indicating the working capital in each case; and

(b) the number of companies which were closed down or which stopped their work during the same period indicating the working capital in each case?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Shri Bedab-rata Barua): (a) Fifty companies limited by shares both public limited and private limited were registered under the Companies Act, 1956, in the State of Madhya Pradesh during the year 1972-73. The authorised capital of each of these companies is given in Statement I annexed. [Placed in the Library. See No L.T. 6316/74]

As regards partnership firms, they form the State subject.

(b) Eight companies ceased functioning either by going into liquidation or being struck off under section 560(5) of the Companies Act, 1956, in the State of Madhya Pradesh during the year 1972-73. The paid-up capital of each of these companies is given in Statement II annexed. [Placed in the Library. See No L.T. 6316/74]

Joint Stock Companies in Madhya Pradesh

1817. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Joint Stock Companies functioning in Madhya Pradesh at the end of 1972-73;

(b) the total paid-up capital of those companies at the end of this year;

(c) the names of the new joint stock companies set up during 1972-73; and

(d) the authorised capital of these new companies for this period?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) & (b) As on 31-3-1973, there were 456 companies limited by shares at work in the State of Madhya Pradesh. Their paid-up capital was Rs. 110.2 crores.

(c) & (d) : The names and authorised capital of the fifty companies registered under the Companies Act, 1956, in the State of Madhya Pradesh during 1972-73, are given in the Statement annexed. [Placed in the Library. See No. L.T.6317/74]

Production of Crude by off-shore drilling

1818. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) the total quantity of crude oil produced in India from 1973 to February, 1974 in her venture of off-shore oil drilling; and

(b) the manner in which this crude was utilized?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

पश्चिम रेलवे के अजमेर स्थित निर्माण-निरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों की विधवा माताओं से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को अभ्यावेदन

1820. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर स्थित निर्माण-निरीक्षण कार्यालय (उत्तरी) में काम कर रहे कर्मचारियों की विधवा माताओं से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अजमेर के निर्माण निरीक्षक के अधीन काम करने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों की विधवा माताओं से

पांच आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से चार उनके पुत्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में थे। उनमें से दो के पुत्रों को नियुक्त कर लिया गया है एक आवेदन रद्द कर दिया गया क्योंकि उसी विधवा के तीन पुत्र पहले से ही रेलवे में नौकर हैं और चौथे मामले पर विचार किया जा रहा है। शेष एक मामले में विधवा ने स्वयं अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना की थी लेकिन स्थान रिक्त न होने के कारण उसे नियुक्त नहीं किया जा सका।

दिल्ली सराय रोहिल्ला के लोको शेड में काम करने वाले बायलर-मेकरों द्वारा अभ्यावेदन

1821. श्री अजीत कुमार साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सराय रोहिल्ला के लोको शेड में काम करने वाले बायलर-मेकरों ने अपनी पदोन्नति के बारे में महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक बायलर मेकर अभ्यावेदन भेजा रहा है।

(ख) इस मामले पर जांच की गयी थी जिससे पता चला कि उसकी वरिष्ठता की स्थिति के अनुसार अभी उसकी पदोन्नति की बारी नहीं आयी है। तदनुसार इस अभ्यावेदनों का उत्तर भेज दिया गया है।

पश्चिम रेलवे में माल-यातायात (स्थानीय और बाह्य यातायात) के कारण हुई देनदारियां

1822. श्री अजीत कुमार साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिम रेलवे में माल-यातायात स्थानीय और बाह्य दोनों में से प्रत्येक प्रकार के यातायात के बारे में जनवरी 1972 से 31 अगस्त 1973 की अवधि के लिए देनदारियों के माह-वार आंकड़ों का व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 6318/74]

दक्षिण-पूर्व रेलवे में गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा अचानक हड़तालें

1823. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों से सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा बार-बार अचानक हड़ताल करने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे में माल-यातायात पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उन यूनियनों के नाम क्या हैं, जिनके कर्मचारियों ने हड़ताल की और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि ऐसे कर्मचारियों को अपनी शिकायतें प्रकट करने और उनके समाधान के लिए सरकार के साथ एक माध्यम प्राप्त हो ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) परिवहन और यांत्रिक विभागों की कुछ कोटियों के कर्मचारियों ने ऐसे अचानक हड़तालें की जो सम्भावतः आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, आल इंडिया ट्रेन एग्जामिनर्स एसोसिएशन,

आल इंडिया टेक्नीकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और आल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जैसी अमान्यता प्राप्त कोटि बार एसोसिएशनों द्वारा करायी गई थीं। मान्यता प्राप्त फेडरेशन द्वारा सभी कोटियों के कर्मचारियों का यथावत् प्रतिनिधित्व हो जाता है, जो एकात्मक संगठन है। ये मान्यता प्राप्त फेडरेशनों और इनके जरिये सभी कोटियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं और इनका समाधान रेलों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे वार्तातंत्र के माध्यम से कर लिया जाता है। प्रत्येक कोटि को अलग अलग वार्ता माध्यम प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि रेलों में ऐसी कोटियां 700 से भी अधिक हैं और यदि इस प्रकार का कदम उठाया गया तो उससे रेलवे के संचालन कार्य में पूरी तरह से गड़बड़ी और अस्त-व्यस्त पैदा हो जायेगी। फिर भी जब कोई कोटि अभ्यावेदन भेजती है तो उस पर भी विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Food Packets sold in Railway Canteens at Kanpur, Tundla and Allahabad

1825. **Shri Jagdish Narain Mandal** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether in the Railway canteens at Kanpur, Tundla and Allahabad only pooris and not chapatis are supplied in food packets and the quantity of vegetables has been reduced and the prices of packets have been raised; and

(b) whether in view of various complaints the scheme to sell food packets will be continued?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Two types of meals are served at Kanpur, Tundla and Allahabad.

(1) Meals are served in the Refreshment Rooms with the following menu:—

Vegetarian	Non-vegetarian
6 Poories	6 Poories
Rice	Rice
One Vegetable Cutlet,	Mutton Masala
Dal Masala,	Vegetable
Vegetable,	Pickle
Curd,	Sweet.
Pickle	
Sweet	

The following changes have been made in the above menu with effect from 15-1-1974:—

(i) 6 Poories have been replaced with 2 Parathas.

(ii) Plain rice has been replaced with Zeera Rice.

(iii) Curd has been added to the Non-Vegetarian Menu.

There has been no reduction in the quantity of vegetable.

The tariff of these meals has been revised with effect from 1-12-1973 from Rs. 2.00 to Rs. 2.50 when served in Refreshment Rooms. A service charge of 50 Paise is levied in addition when the meal is served in trains.

(2) Packets consisting of 6 poories, vegetable, pickle and one sweet priced at Re. 1 each. There has been no change in the tariff of these packets nor the quantity of vegetables has been reduced.

(b) There have been no complaints regarding service of Poories/Parathas in place of Chapatis or in respect of reduction in the quantity of vegetable and there is no proposal to discontinue the scheme for supply of the above two type of meals.

Labour Minister's Intervention in December 1973 Loco Staff Strike

1826. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the reasons for Labour Minister's intervention in the December strike of Railway Loco staff was that he had sought cooperation of the staff for resuming work at the time of the August agreement by giving them some assurances; and

(b) if not, the reasons for which his cooperation was sought in December strike?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) The Minister for Labour was associated in the discussions held with Loco Running Staff in August and December, 1973 as it was considered that this would help in persuading the Loco Running Staff to call off the agitations launched by them.

Difference in agreements signed with Loco Employees

1827. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the difference between the two agreements signed with the loco employees when they went on strike in August last and again in December, 1973; and

(b) the advantages or disadvantages to the employees on account of both agreements?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) No agreement was signed in connection with the agitation of December, 1973. It is not clear what the hon. Member means by profit or loss to the employees. However as a rule, no pay is allowed for the period of absence arising out of an illegal strike.

आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ के अनुभाग अधिकारियों को विशेष वेतन

1828. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० डी० एस० ओ० लखनऊ के उन अधिकांश अनुभाग अधिकारियों को विशेष वेतन मिलता है, जो अन्य विभागों से आये हैं, जबकि वर्तमान अनुभाग अधिकारियों को यह लाभ नहीं मिलता है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल में यह निर्णय दिया है कि विशेष वेतन की इस प्रकार की अदायगी भेदभाव पूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का विशेष वेतन सभी अनुभाग अधिकारियों को अदा किया जायेगा; और

(घ) रेलवे बोर्ड के कितने अनुभाग अधिकारियों को इस समय यह विशेष वेतन मिलता है और क्या ये लाभ अन्य अनुभाग अधिकारियों को भी दिये जायेंगे;

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में अनुभाग अधिकारियों की कोटि को इस प्रकार का कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन वर्तमान आदेशों के अधीन अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के उन अनुभागीय अधिकारियों

को श्रेणी II के वेतनमान के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति मास विशेष वेतन दिया जाता है जो रेलों से बुलाए जाते हैं। जो अनुभागीय अधिकारी अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन की श्रेणी III की कोटियों से पदोन्नत किये जाते हैं, उनका वेतन, श्रेणी III के उनके पद के विद्यमान वेतन में 100 रुपये जोड़कर निर्धारित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के सभी अनुभाग अधिकारियों को विशेष वेतन देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) रेलवे बोर्ड के अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः इस प्रकार का कोई विशेष वेतन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के अनुभागीय अधिकारियों से भिन्न कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कार्य के महत्व की ओर जाने वाली कठिन ड्यूटी के आधार पर कुछ अनुभाग अधिकारियों को 75 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का विशेष वेतन दिया जाता है।

सामान्य लेखा तथा यातायात लेखा शाखाओं में रेलवे के लेखा विभाग के 'सब हैड' की प्रतिशतता में अन्तर

1829. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य लेखा तथा यातायात लेखा शाखाओं में रेलवे के लेखा विभाग में 'सब हैड' की प्रतिशतता में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं और इसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक रेलवे की यातायात लेखा शाखा में होने वाला काम सामान्य लेखा शाखा में होने वाले काम की तुलना में अपेक्षाकृत नेमी किस्म का होता है। उपर्युक्त कारण से ही यातायात लेखा शाखा में सब हैडों के पर्यवेक्षकों पदों की संख्या सामान्य लेखा शाखा के इसी तरह के पदों की संख्या की तुलना में कम है। चूंकि पदों का सृजन काम की वास्तविक जरूरतों के अनुसार ही किया जाता है इसलिए सभी शाखाओं में किसी पद क्रम में पदों की समान प्रतिशत सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

Conversion of Rampur-Kathgodam Metre Gauge into Broad Gauge Line

1830. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the time by which the work of converting meter gauge railway line into broad gauge line between Rampur and Kathgodam is likely to be completed;

(b) the total expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the time by which this work will be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A final location engineering and traffic survey is proposed to be carried out in 1974-75 for the project. The time likely to be taken to complete this project would be known after the proposed survey is completed and the report thereon is received.

(b) The approximate cost of this work is about Rs. 10.10 crores. The precise estimated cost of construction would be known after the survey is completed.

(c) The work on the project will commence after completion of the proposed survey.

Confirmation of Staff of Western Railway

1831. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of employees at present on the Western Railway who are still temporary even after rendering more than five years service; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to confirm these temporary employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 2566.

(b) A special drive has been instituted for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified and for confirmation of the eligible staff against such posts.

निजामुद्दीन की बजाय शाहदरा को प्रस्तावित अन्तिम स्टेशन बनाना

1832. श्री पी० बेंकट सुब्बया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के कारण दिल्ली में निजामुद्दीन पर नया अन्तिम स्टेशन बनाने की योजना समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या प्रस्तावित अन्तिम स्टेशन शाहदरा (दिल्ली) बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन स्थित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड त्रावनकोर के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये राज्य मंत्री का दौरा

1833. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंडल और कोचीन स्थित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड त्रावनकोर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने हाल में केरल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या अपने इस दौरे के दौरान वे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर की सभी ट्रेड यूनियनों तथा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रतिनिधियों द्वारा वैयक्तिक रूप से अथवा लिखित अभ्यवेदनों के जरिये उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बताये गये दौरे के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री ने विभिन्न पहलुओं जो संयंत्र के कार्य निष्पादन, उत्पादकता श्रमिक प्रबन्ध संबंध आदि, पर प्रबन्ध मण्डल श्रमिक तथा अन्य संबंधितों के प्रति-निधियों के साथ विचार विमर्श किया तथा लगभग समस्त क्षेत्र में सुधार करने के लिए आमतौर पर सभी संबंधितों द्वारा किये जा रहे सतत प्रयत्नों के संबंध में भी संतोष व्यक्त किया। राज्य मंत्री द्वारा प्राप्त किये गये एक लिखित अभ्यावेदन में कनिष्ठ इंजिनियरों के पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों के न होने के बारे में बताया गया है।

Loan from Central Government to Madhya Pradesh Government for Providing Street Light in Harijan Localities

1834. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to advance loan to Madhya Pradesh for providing street light in Harijan localities in the State; and

(b) the total amount given to the State so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) & (b) In December, 1971, the Government of India introduced a scheme of concessional loan assistance to State Electricity Boards, through the Rural Electrification Corporation, for electrification of Harijan Bastis adjacent to the villages already electrified. So far five such schemes have been sanctioned for the Madhya Pradesh State Electricity Board. These schemes involve a loan assistance of Rs. 27.553 lakhs and envisage provision of 6082 street light points in 600 Harijan Bastis. Two more proposals involving loan assistance of Rs. 29.34 lakhs, sponsored recently, are under consideration of the Corporation.

उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में राहत कार्य

1835. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बालासौर और मयूरभंज जिलों को परीक्षाणात्मक राहत कार्यों के लिए दी गई धनराशि जनवरी में वापिस ले ली है और कलेक्टरों से उक्त कार्य आगे न करने के लिए कहा है; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को बाढ़ से प्रभावित जिलों में अन्य वर्षों की भांति मकान निर्माण के लिए ऋण दिये गये हैं और क्या उड़ीसा सरकार ने उक्त जिलों को बाढ़-ग्रस्त जिले घोषित कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित करना आवश्यक नहीं समझा है। उन्होंने इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित घरों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए सरकारी कर्मचारियों को भी व्याजमुक्त ऋण नहीं दिया है। बहरहाल, सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन किया गया है जिससे इस प्रकार के उद्देश्य के लिए सरकारी कर्मचारी पुनः अदायगी के आधार पर अत्रिम धन ले सकें और ये 31 मार्च, 1974 तक लागू रहेंगे।

अशोधित तेल के बदले में इस्पात और कोयला आयात करने के बारे में शाह ईराक का सुझाव

1836. श्री राज सिंह देव :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह ने सुझाव दिया है कि वह अशोधित तेल के बदले इस्पात और कोयले का द्विपक्षीय आधार पर आयात करना चाहेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस आशय की प्रेस रिपोर्ट मिलती रही है।

(ख) ईरान के साथ कुछ द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर बात-चीत चल रही है इसका विवरण देना जनहित में ठीक नहीं है।

प्रधान मंत्री द्वारा नैनीताल में हरीपुर बांध का उद्घाटन

1837. श्री राम सहाय पांडे :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में नैनीताल तराई में हरीपुर बांध का उद्घाटन किया था;

(ख) इस बांध पर कुल कितना व्यय किया जायेगा; और

(ग) इस व्यय में केन्द्र सरकार का यदि कोई हिस्सा है, तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्रधान मंत्री ने नैनीताल तराई में हरीपुर स्कीम का उद्घाटन 10 जनवरी, 1974 को किया था।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 481 लाख रुपये है परन्तु इसके बढ़कर 535 लाख रुपये हो जाने की संभावना है।

(ग) केन्द्र राज्यों को अनुदान सहायता तथा ब्लाक ऋण पूरी योजना के लिए ही देता है। हरीपुर परियोजना राज्य योजना का एक अंग है तथा इसके लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है।

लाइसेंस देने वाली समिति के अनुमोदन से आज्ञा-पत्रों का जारी किया जाना

1838. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि फर्मों को सभी आज्ञा / अनापति पत्र लाइसेंस देने वाली समिति के अनुमोदन से जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि, नहीं तो क्यों ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) लाइसेंस समिति के निर्णय के आधार पर सरकार के द्वारा अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुमति जारी करने की प्रक्रिया समाप्त करना

1839. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी शेयरों वाली औषध निर्माता फर्मों को अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और इस प्रकार की प्रक्रिया समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : औषधों के निर्माण के लिए वर्ष 1965 से अनुमति/अनापत्ति पत्रों को जारी नहीं किया है । औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना नवीन उत्पादों के रूप में विविधीकरण के लिए वर्ष 1966 में कुछ सुविधाएं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध करवाने की सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद इस प्रकार के कोई अनुमति पत्र/अनापत्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे ।

लाइसेंस क्षमता से अधिक "फर्म्यूलेशनज" तैयार करना

1840. श्री भालजी भाई परमार :

श्री के० एस० चावड़ा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमति/अनापत्ति पत्रों के अंतर्गत आने वाले 'फार्म्यूलेशनज' का उत्पादन लाइसेंस क्षमता से अधिक हो रहा है ;

(ख) क्या अनुमति पत्रों के द्वारा जिस प्रकार के उत्पाद-मिश्र की अनुमति दी गई है उससे विदेशी फर्मों को भारतीय कंपनियों को दबाने का अवसर प्राप्त होता है ; और

(ग) क्या अनुमति/अनापत्ति पत्रों के जारी करने के पश्चात् भी एककों की विदेशी मुद्रा आश्वय-कनाओं/उपयोग में कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) निम्नलिखित शर्तों पर औषध उत्पादकों को प्रायः अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किये गये थे :—

- (i) इसके लिए कोई अतिरिक्त प्लांट एवं मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी
- (ii) कोई रायल्टी देय नहीं होगी ।
- (iii) इस समय प्रयोग में ट्रेड मार्क के अंतर्गत उत्पादों का विक्रय होगा; और

(iv) समय समय पर जनरल इम्पोर्ट पालिसी (सामान्य आयात नीति) में व्यवस्थित छूट के अन्तर्गत मूल कच्चे माल के संबंध में कोई विशेष छूट नहीं होगी यह संभव नहीं है कि अधिक उत्पादन अथवा भारतीय क्षेत्र पर उत्पाद मिश्रण के प्रभाव को बताया जा सके क्योंकि इन अनुज्ञा पत्रों/अनापत्ति पत्रों में से अनेक पत्रों में ऐसे मदों की क्षमता नहीं बतायी गई है। तकनीकी अधिकारियों तथा आयात नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पुनः पूर्ति के आधार पर कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है तथा विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन उन उत्पादक एककों के उत्पादन से संबंधित हैं जिनमें आयातित कच्चे माल का उपयोग होता है। संभावना है कि अनुज्ञा/अनापत्ति पत्रों पर आधारित उत्पादक एककों द्वारा औषधों के उत्पादन के आधार पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में वृद्धि हो सकती है।

साइलेंट वैली पनबिजली परियोजना के लिए विदेशी सहायता

1841. श्री एम० एम० जोजफः क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइलेंट वैली पनबिजली परियोजना के लिए मित्र देशों, विशेषकर कनाडा में कितनी सहायता मिली है या दिए जाने का वचन दिया गया है ; और

(ख) यदि कोई सहायता नहीं मांगी गई है तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) साइलेंट वैली जल-विद्युत् परियोजना के लिए अभी तक किसी देश से न ही कोई सहायता प्राप्त हुई है अथवा न ही इसके लिए कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है।

(ख) योजना के एक भाग के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही करने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

केरल में कक्कड़ पनबिजली योजना को मंजूरी

1842. श्री एम० एम० जोजफः क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कक्कड़ पन-बिजली योजना को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है ; और

(ख) इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कक्कड़ जल विद्युत् परियोजना की रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत स्कंध) में की जा रही है। इस परियोजना के संबंध में कुछ जानकारी अपर्याप्त हैं तथा अतिरिक्त अन्वेषणों की आवश्यकता है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा इनके पूर्ण किये जाने तथा परियोजना के व्यवहार्य पाये जाने के उपरांत ही परियोजना को कार्यान्वयनार्थ स्वीकृति दी जा सकती है।

सरकारी साबुन फैक्टरी, कर्नाटक द्वारा डिटर्जेंट यूनिट प्रारंभ करना

1843. श्री एस० बी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी साबुन फैक्टरी, कर्नाटक ने डिटर्जेंट यूनिट प्रारंभ करने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या सरकारी साबुन फैक्टरी की डिटरजेंट यूनिट के लिए अपेक्षित दुर्लभ माल उपलब्ध है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दुर्लभ मुद्रा से ऊंचा आयात करना उचित है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । सरकारी साबुन फैक्टरी कर्नाटक को, प्रतिवर्ष 10,000 मीटर टन के सन्थैटिक डिटरजेंट संयंत्र की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है ।

(ख) मुख्य कच्चे माल में से दो अर्थात् एलकाइल बेनजीन तथा सल्फर इस समय देश में उपलब्ध नहीं है । तथापि इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि० एलकाइल बेनजीन के उत्पादन के लिए सुविधाएं जुटा रहा है जिसकी 1976 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ग) मानवीय खपत के लिए अपेक्षित खाद्य तेलों की उपलब्धता में साबुन के स्थान पर संश्लिष्ट प्रक्षालक वृद्धि करती है इसने साबुन के उत्पादन के लिए अपेक्षित आयात में भी कमी की है ।

कोयले से पेट्रोल और डीजल निकालना

1844. श्री शंकरराव साबन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले तथा देश में उपलब्ध अन्य कच्ची सामग्री से पेट्रोल और डीजल निकालने की बाणिज्यिक संभावनाएं क्या हैं ;

(ख) इस प्रकार निर्मित पेट्रोल और डीजल की लागत अरब देशों से आयातित अशोधित तेल से निर्मित पेट्रोल और डीजल की तुलना में कितनी कम या अधिक होगी ;

(ग) क्या भारत में कोयले तथा अन्य पदार्थों से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करने की योजना बनायी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा और कितनी मात्रा में उत्पादन हो सकेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा योजना आयोग की राष्ट्रीय समिति द्वारा अब तक किये गये अन्वेषणात्मक अध्ययनों के आधार पर कोयले से तेल के उत्पादन के लिए एक संयंत्र की स्थापना के संबंध में सम्भाव्य अध्ययन हेतु एक ग्रुप की स्थापना करने का निर्णय किया गया है । इस रिपोर्ट के उपलब्ध होने तक कोयले से निकाले जाने वाले तेल के उत्पादन आंकड़ें, मात्रा तथा तुलनात्मक लागत आदि के बारे में बताना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा शेयर पूंजी बढ़ाना

1845. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की जनरल मोटर्स पहले ही हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल और तमिल नाडु में कार्यरत है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स ने 30 करोड़ रुपये की अपनी वर्तमान शेयर पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है ताकि अमरीका की जनरल मोटर्स इक्विटी पूंजी भागीदार बन सके ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा यू०एस०ए०आई०डी० को 17 करोड़ रुपये का ऋण देय है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बहूआ) : (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना को दर्शाता हुआ एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6319/74]

(ग) तथा (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई 31-12-1973 तक की सूचना को दर्शाता हुआ एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6319/74]

Rural Electrification in M.P. During 5th Plan

1846. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the provision made for rural electrification in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan;

(b) whether the progress made so far in this regard in the state is not satisfactory and only 20 per cent villages have been electrified;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken by the Central Government to increase this percentage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The total proposed outlay for rural electrification in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan amounts to Rs. 75 crores. This includes a sum of Rs. 55 crores under the Minimum Needs Programme.

(b) There are 70,414 villages in Madhya Pradesh. Out of these only 14.60% i.e. 10,278 villages have been electrified upto 31-12-1973. The progress is below the all India level which is 26.2%.

(c) The reasons are (i) lack of adequate transmission and distribution system (ii) constraint of financial resources (iii) scattered nature of villages and tribal areas.

(d) The steps to improve the situation *inter-alia* include (i) additive finances have been provided to the State Electricity Board by the Rural Electrification Corporation. 73 schemes involving loan assistance of Rs. 27.56 crores have so far been sanctioned. These schemes envisage electrification of 3,354 villages and energisation of 84,263 pump-sets. These schemes are scheduled for completion in a period of 3-5 years. Madhya Pradesh stands second in the matter of quantum of assistance sanctioned by the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Boards. (ii) Under the special programme called 'Minimum Needs Programme' to be undertaken in the Fifth Plan, Rs. 55 crores which is 20% of the total outlay (Rs. 272 crores) has been proposed for Madhya Pradesh.

कृत्रिम डिटर्जेंट का उत्पादन

1847. श्री पी०आर० शिनाय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम डिटर्जेंट के उत्पादन के लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं तथा कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया जा चुका है ; और

(ख) देश में कृत्रिम डिटर्जेंटों का उत्पादन करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1969-73 में संश्लिष्ट डिटर्जेंट के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के 105 आवेदन पत्रों में से 35 आवेदन-पत्रों के मामले में अंतिम रूप से निपटारा किया जा चुका है । 15 मामलों में आशय पत्र जारी किए गए हैं जब कि 20 को अस्वीकृत किया गया है । 70 आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) कपड़ा धोने के साबुन के रूप में संश्लिष्ट डिटर्जेंट के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि मनुष्यों के उपभोग के लिए खाद्य तेल उपलब्ध किये जा सकें अन्यथा तेल साबुन बनाने के काम में प्रयत्न किए जायेंगे । इससे साबुन बनाने के लिए अपेक्षित चर्बी के आयात में कमी करने में भी सहायता मिलेगी

1976 के साधारण निर्वाचनों में आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र समाप्त करना

1848. कुमारी कमला कुमारी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में होने वाले आगामी लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र समाप्त किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और उनके नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नोतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) परिसीमन आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अपना अंतिम आदेश सं० 8 तारीख 8 दिसम्बर, 1973 को जारी किया था और बिहार राज्य की वाकत इसका आदेश अभी जारी किया जाना है । 1966 और 1973 के परिसीमन आदेशों में अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, संविधान और परिसीमन अधिनियम, 1972 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, 1971 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है । निर्वाचन-क्षेत्रों का इस प्रकार परिसीमन किए जाने पर, कुछ निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं, उनके गठन और स्वरूप में परिवर्तन हो गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के लिए लोक सभा में अनुसूचित जातियों के स्थान

आदेश, 1966

आदेश सं० 8, 1973

1. 5—बिजनौर (अ०जा०)	5—बिजनौर (अ०जा०)
2. 17—मिसरिख (अ०जा०)	18. मिसरिख (अ०जा०)
3. 18—हरदोई (अ०जा०)	19—हरदोई (अ०जा०)
4. 20—मोहनलाल गंज (अ०जा०)	21—मोहनलालगंज (अ०जा०)
5. 26—अकबरपुर (अ०जा०)	27—अकबरपुर (अ०जा०)
6. 28—रामसनेहीघाट (अ०जा०)	29—बाराबंकी (अ०जा०)
7. 34—बस्ती (अ०जा०)	34—बस्ती (अ०जा०)
8. 37—बांस गांव (अ०जा०)	37—बांस गांव (अ०जा०)
9. 46—लालगंज (अ०जा०)	46—लालगंज (अ०जा०)
10. 49—सईदपुर (अ०जा०)	49—सईदपुर (अ०जा०)
11. 53—राबर्ट्सगंज (अ०जा०)	53—राबर्ट्सगंज (अ०जा०)
12. 57—छैल (अ०जा०)	57—छैल (अ०जा०)
13. 62—जालौन (अ०जा०)	62—जालौन (अ०जा०)
14. 63—घाटमपुर (अ०जा०)	63—घाटमपुर (अ०जा०)
15. 72—फीरोजाबाद (अ०जा०)	72—फीरोजाबाद (अ०जा०)
16. 75—हाथरस (अ०जा०)	75—हाथरस (अ०जा०)
17. 77—खुर्जा (अ०जा०)	77—खुर्जा (अ०जा०) I
18. 84—सहारनपुर (अ०जा०)	85—हरिद्वार (अ०जा०)

Ballot Papers for U.P., Orissa, Manipur and Pondicherry Assembly elections

1849. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state:

(a) the languages in which ballot papers, were issued in recent Uttar Pradesh, Orissa, Manipur and Pondicherry Legislative Assembly elections.

(b) the number of ballot papers printed in the above states separately and the total amount of paper consumed; and

(c) whether Government propose to simplify the ballot papers ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) (a) A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

(b) The information is being collected.

(c) No such proposal is under consideration.

STATEMENT

Uttar Pradesh

- | | |
|---|----------------|
| 1. Assembly constituencies comprised within Rampur, Bijnor, Bareilly, Moradabad, Mujaffarnagar, Meerut, Pilibhit, Lucknow and Saharanpur districts; Fatehpur and Ram Nagar constituencies in Barabanki district; Mahisi, Nanpara and Charda constituencies in Behrich district; Gainsari, Tulsipur, Balrampur, Utraula, Sadullaganagar, Mankapur, and Mujehna constituencies in Gonda district and Ramnagar, Domariaganj, Itwa, Shohratgarh and Naugarh constituencies in Basti district. | Hindi and Urdu |
| 2. All other assembly constituencies | Hindi |

Orissa

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Chatrapur, Berhampur, Parlakhe nundi assembly constituencies Ganjam district and Gunupur and Rayagada constituencies Koraput district | in Oriya and in Telugu |
| 2. All other assembly constituencies | Oriya |

Manipur

- | | |
|---|----------|
| 1. Chandel, Tengnoupal, Phungyar, Ukhrul, Chingai, Saikul, Karong, Mao, Tadubi, Kangpokpi, Saitu, Tamel, Tamenglong, Nungba, Tipaimukh, Thanlon, Henglep, Churachandpur, Saikot and Singhat assembly constituencies | English |
| 2. All other assembly constituencies | Manipuri |

Pondicherry

- | | |
|---|-----------|
| 1. Mahe and Pallour assembly constituencies | Malayalam |
| 2. Yanaon assembly constituency | Telugu |
| 3. All other assembly constituencies | Tamil |

The names of the constituencies were printed in English only.

यूनियन कारबाइड की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता में वृद्धि

1850. श्री मधु लिमये : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कम घनत्व वाले (लो डेंसिटी) पौलीएथिलीन के लिये यूनियन कारबाइड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता में शत प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मूल क्षमता कितनी थी तथा अब कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है; और

(ग) देश के निर्माताओं की तुलना में विदेशी कम्पनियों को अधिमान देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) एल०डी० पौलीथिलीन के निर्माण के लिये अपनी लाइसेंसयुक्त क्षमता में प्रति वर्ष 9000 मीटरी टन से 20,000 मीटरी टन तक भारी विस्तार करने के लिये मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड को एक आशय पत्र दिया गया है ।

इस समय पोलीथिलीन के केवल दो (मैसर्स यूनियन कारबाइड तथा मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया) देशीय निर्माता हैं और इन दोनों में अधिकांश विदेशी शेयर हैं। सरकार को पूर्ण उपभोग योजना के अन्तर्गत मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया को अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मीटरी टन से 13,000 मीटरी टन तक बढ़ाने की इजाजत दी गई है। भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि०, बड़ौदा, जो एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है, 80,000 मीटरी टन लो डेंसिटी पोलीथिलीन के निर्माण के लिये एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के 1976 में चालू हो जाने की आशा है।

कर्नाटक में कास्टिक सोडा एकक का विस्तार

1851. श्री ए० के० कोटाशट्टी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लापुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ बोर्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कर्नाटक में अपने कास्टिक सोडा एकक का डेटरजेंट उद्योग समूह के लिये विस्तार करने हेतु अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त एकक को रियायती दर पर विद्युत् तथा भूमि-सुविधायें प्रदान की हैं; और

(ग) यदि हां, तो दी गई रियायत की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉ बोर्ड मिल कम्पनी लिमिटेड को 33,000 मीटरी टन कास्टिक सोडा, 16,500 मीटरी टन तरल क्लोराइन तथा 10,000 मीटरी टन हाइक्लोरिक एसिड की वार्षिक क्षमता के साथ एक संयंत्र की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस को कार्यान्वित कर रही है, जो प्रति वर्ष 16,500 मीटरी टन कास्टिक सोडा तथा 14,850 मीटरी टन तरल क्लोराइन के विस्तार को प्रभावी करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त विस्तार एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया। इस पार्टी को प्रति वर्ष 1000 मीटरी टन सोडियम ट्रिपोली फास्फेट के निर्माण के लिये भी एक आशय पत्र जारी किया गया है बशर्ते कि इसने यह एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की हो। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र, जो सोडियम ट्रिपोली फास्फेट के उत्पादन से सम्बन्धित है, सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) सूचना कर्नाटक सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में तापीय बिजलीघर की स्थापना

1852. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में शीघ्र ही तापीय बिजलीघर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विजयवाड़ा के लगभग 10 कि०मी० दूर इब्राहीम पतनम तथा कोण्डापाली के बीच किसी स्थान पर 200-200 मे० वा० की दो यूनिटों के साथ एक ताप विद्युत् केन्द्र के प्रतिष्ठापन के प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा धनराशि का व्यय

1853. श्री राम प्रकाश : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने मूल अनुसंधान कार्य पर कोई भी राशि व्यय करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां तो इंडस्ट्री ने इसके लिए क्या कारण बताए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Meeting on Industrial relations in Railways

1854. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways pleased to state:

(a) whether on 4th February, 1974 the Minister of Railways called a meeting in Delhi of the representatives of both the recognised Railway Federations and four Central Trade Unions to discuss the industrial relations in Railways in which he was also present;

(b) whether the Railway Minister along with all the representatives stressed on having a single trade union in Railways; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the manner in which this object is proposed to be achieved?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) & (c) The principle of "One Union in one Industry" has been mentioned by the Minister for Railways. This suggestion received the general support of majority of the persons who attended the meeting. The manner in which this objective is to be achieved has to be worked out.

औषध उद्योगों के पास कच्चे माल की कमी

1856. श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योगों के पास कच्चे माल की तेजी से कमी होती जा रही है और उनकी पुनः सप्लाई करने वाली एजेंसियां अभी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) औषध उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चा माल निम्नलिखित श्रेणियों में आता है :—

(1) आयातित; और

(2) स्वदेशीय।

आयातित कच्चे माल के सम्बन्ध में कुछ मदों के अन्तर्गामी उपलब्धता हाल ही में कठिन हो गई है। इन मदों को ऐसी विदेशी कम्पनियों की शाखाओं एवं सहायक कम्पनियों जिसके मूल संगठन इन मदों का उत्पादन करते हैं की सहायता से प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा प्राधिकार पत्र उपयुक्त मामलों में जारी किये जा सकें, देशीय कच्चे माल के सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ कमी की सूचना दी गई है औषध उत्पादकों के संगठनों के साथ इन कठिनाइयों पर विचार-विमर्श हुआ है तथा उनके उत्पादकों से सम्बन्धित कच्चे माल देने पर प्रभाव डालने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

ट्राम्बे, अहमदाबाद, धुवारन और बरौनी स्थित बिजली पैदा करने वाले यूनिटों के लिये भट्टी तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग

1857. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष दस लाख टन से भी अधिक भट्टी तेल की बचत हो सकती है यदि ट्राम्बे, अहमदाबाद, धुवारन और बरौनी के चार बिजली घरों के बिजली पैदा करने वाले यूनिट कोयले का प्रयोग करने लग जायें, जो इस समय भट्टी तेल का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये सभी संयंत्र कोयले की सुरक्षित सप्लाई पर निर्भर करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है; यदि हां, तो क्या नीति बनाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) यदि ट्राम्बे, अहमदाबाद, धुवारन तथा बरौनी के बिजली घर तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने लग जायें तो तेल की काफी बचत हो सकती है। तथा यह बात कोयले की पर्याप्त सुनिश्चित सप्लाई पर निर्भर करेगी। कोयाली शोधनशाला में सैकन्डरी प्रोसेसिंग सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) उपर्युक्त चार बिजली घरों के उन यूनिटों को परिवर्तन करने में सक्षम है, के बारे में सी० डब्ल्यू० एण्ड पी० ने कोयले का इस्तेमाल करने सम्बन्धी योजनाएं बनाई हैं। प्रत्येक थर्मल बिजली घर को कोयले की अपेक्षित मात्रा को सम्बद्ध तथा उपलब्ध कराने के लिय आवश्यक कदम भी उठाये जा रहे हैं।

एल्कोहल के मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

1858. श्री ई० वी० बिखेपाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें एल्कोहल के मूल्यों में वृद्धि किय जाने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा दिय जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता

1859. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमतानुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं और कमी निरन्तर बनी न रहे, इस उद्देश्य से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6302/74]

पांचवीं योजना में केरल में नई रेल लाइनें बिछाना और लाइनों को दोहरा करना

1860. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अग्रिम के दौरान केरल में नई रेल लाइनें बिछाने सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या केरल में किन्हीं रेल लाइनों को दोहरा करने को कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । किन्तु, तिरुनेलवेलि से तिरुअनन्तपुरम तक बड़ी लाइन और कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन जिसका कुछ भाग केरल में पड़ता है, बनाने का काम रहने से हो जारी है ।

(ख) कोई नयी योजना विचाराधीन नहीं है ।

इस्पात उद्योग को की जानेवाली कोयले की ढुलाई में तोड़-फोड़ का संदेह

1861. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग को की जाने वाली कोयले की ढुलाई को अस्त-व्यस्त करने के लिये रेलवे में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ की जा रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कर्मचारियों के बार-बार आन्दोलनों से, हाल के महीनों में इस्पात कारखानों के लिए बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से इस्पात कोयले के लदान पर असर पड़ा है ।

(ख) सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और रेल परिचालन पर असर डालने वाले ऐसे आन्दोलनों की रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं ।

केरल के लिए बाढ़ से संबंधित जल निकासी योजनाएं

1862. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित कोई जल निकासी योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार केरल को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देगी ; और यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केरल सरकार ने, 1963 में, 22.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य में बाढ़ नियंत्रण की एक प्रारूप योजना तैयार की थी जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चैनलों और जल-निस्सार में सुधार करना परिकल्पित था। प्रारूप योजना की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की गई थी तथा राज्य सरकार से, 1963 के उपरांत अनुभूत बाढ़ों और जलावरोध को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। केरल सरकार से संशोधित योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस योजना को अंतिम रूप दिये जाने तक, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में आवश्यक समझे गये, बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निस्सार में सुधार करने के उपाय राज्य योजना के एक अंग के रूप में किये जा रहे हैं। अब तक किये गये उपायों में से लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ हुआ है।

बाढ़-नियंत्रण और जल निस्सार स्कीमें राज्य योजना के बाढ़-नियंत्रण भाग का अंग होती है। राज्यों को उनकी योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लांक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है। बाढ़-नियंत्रण तथा निस्सार स्कीमों के लिए कोई विशेष अथवा पृथग्रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती।

गत तीन वर्षों में सिंचाई के लिए केरल को दी गई वित्तीय सहायता

1863. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केरल की सिंचाई के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सिंचाई एक राज्य विषय है तथा सिंचाई के लिए प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकास योजनाओं के भीतर किया जाता है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लांक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह विकास के किसी क्षेत्र विशेष अथवा परियोजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती। पिछले तीन वर्षों (1970-71 से 1972-73) में केरल का कुल योजना परिव्यय 170 करोड़ रुपये था जिसमें से केन्द्रीय सहायता 100.70 करोड़ रुपये थी।

'फैक्ट' के कोचीन डिवीजन में खराब मशीनों की मरम्मत

1864. श्री के.पी.० उन्नि कृष्णन :

श्री वायालार रवि :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फैक्ट' के कोचीन डिवीजन में खराब मशीनों की मरम्मत और उन्हें बदलने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस क्षेत्र में किए गए कार्य की रूपरेखा क्या है और क्या उक्त कारखाने में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या दिसम्बर, 1973 में उत्पादन में फिर बाधा पड़ी है और उत्पादन प्रणाली में पाई जाने वाली मूल त्रुटियों में कोई सुधार नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्यों, और

(घ) उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन और कारखाने के विभिन्न भागों में त्रुटियों से उत्पादन में घाटे की वर्तमान स्थिति की रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गुजरात राज्य में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

1865. श्री डी० पी० जडेजा :

श्री बेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिए रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और उनमें उपलब्ध सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक ऐसे स्टेशन पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं जो लाभान्वित होंगे ; और

(ग) क्या सरकार और अधिक अस्पताल खोलेगी, यदि हां, तो कहाँ कहाँ पर ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

क्रम संख्या	अस्पताल/स्वास्थ्य यूनिट	जिनके कर्म- चारियों का उपलब्ध सुविधाएं इलाज किया गया उनकी संख्या
1	2	3
चिकित्सालय		
1. सावरमती	3241 अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं ।	
2. प्रतापनगर	28901	”
3. गांधीधाम	2046	”
4. राजकोट	18115	”
5. भावनगरपारा	14432	”
6. दोहड़ (कारखाना)	4631	”
7. बलसार	11059	”

1	2	3
स्वास्थ्य यूनिट		
1. सूरत	1663	केवल बहिरंग सुविधाएं उपलब्ध हैं
2. उधना	1454	"
3. अहमदाबाद	2670	"
4. कांकरिया	4500	"
5. आणन्द	2562	"
6. बड़ौदा स्टेशन	1501	"
7. बड़ौदा यार्ड	2167	"
8. भड़ौच	2732	"
9. डभोई	1635	"
10. जम्बूरार	507	"
11. गोधरा	2403	"
12. साबरमती (बड़ी लाइन) } साबरमती (मीटर लाइन) }	3241	"
13. वीरमगाम	1544	"
14. स्टाफ कालेज प्रतापनगर	260	"
15. माजिया	399	"
16. धांगधरा	511	"
17. सुरेन्द्रनगर	1942	"
18. बीकानेर	1124	"
19. मोरवी	1150	"
20. जामनगर	1281	"
21. मेहसाणा	3836	"
22. ओखा	829	"
23. हापा	1085	"
24. हिम्मतनगर	860	"
25. जूनागढ़	1197	"
26. जटेलसर	1842	"
27. गोंडल	240	"
28. पोरबन्दर	868	"
29. मानेकवाडी	296	"
30. मुहवा	555	"
31. ढोला जंक्शन	1344	"
32. बोटाड जंक्शन	1377	"
33. वेरावल	957	"

1	2	2
34. ढोलक	593	केवल बहिरंग
35. डी० साइट डिसपेन्सरी दोहद	4631	सुविधायें उपलब्ध हैं
36. दोहद स्टेशन	2017	"
37. राधनपुर	544	"
38. पालनपुर	1339	"
39. कांडला पोर्ट	371	"

उपर्युक्त के अतिरिक्त इन जगहों पर लाक-अप औषधालय भी चल रहे हैं (1) नडियाद, (2) लोको कालोनी, राजकोट, (3) कलोल, (4) द्वारका (5) भुज, और (6) भीलडी ।

समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1866. श्री भोगेन्द्र झा : : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा-रक्सौल तक और मुजफ्फरपुर से बरास्ता मोतीहारी तक बड़ी लाइनें बढ़ाने के बारे में 13, नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और झांझारपुर-लौकहा रेल सम्पर्क के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कार्य आरम्भ और पूरा करने के समय संबंधी क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सर्वेक्षण की रिपोर्टों की जांच हो चुकी है । 4.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम 1974-75 के रेलवे बजट में शामिल करने का विचार है । मुजफ्फरपुर दरभंगा के रास्ते रक्सौल तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है । अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद जिसे 1974-75 में प्रारम्भ करने का विचार है, वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । झांझारपुर-लौकहा बाजार मीटर लाइन रेल सम्पर्क (लम्बाई 42.30 कि० मी०; लागत 2.50 करोड़ रुपये) को भी 1974-75 के बजट में शामिल किया जा रहा है । इसलिए अभी निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि ये निर्माण-कार्य कब पूरे होंगे ।

सोनाथाणा रेलवे फाटक (द० म० रेलवे) पर उपरिपुल के निर्माण के बारे में किये गये निर्णय में परिवर्तन

1867. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में उमरी स्टेशन के निकट सोनाथाणा रेलवे फाटक पर रेलवे उपरिपुल बनाने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह निर्णय इस बीच बदल दिया गया है और किसी अन्य स्टेशन पर उपरिपुल बनाने का अन्य निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में उमरी टाउन के नागरिक अगाडी ने दक्षिण मध्य रेलवे के महा-प्रबन्धक को कोई अभ्यावेदन दिया था ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(च) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मनमाड खण्ड पर उमरी और करखेली स्टेशनों के बीच समपार सं० 166 के बदले एक उपरी सड़क पुल बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने 5-2-1973 को सूचित किया है कि फिलहाल इस प्रस्ताव को त्यक्त समझा जाये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

1868. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री महितघार सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्वे एकक को हुई हानि के बारे में उसके विरुद्ध की गई जांच के बारे में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे के आबंटन का आधार :

1870. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा किस आधार पर आवंटित किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : विभिन्न राज्यों के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का अनुमान इस मंत्रालय के डिमांड फार कास्टिंग सेल द्वारा यथा निर्धारित बढ़ते कारण और निर्बाध उपलब्धता की परिस्थितियों के अधीन गत बिक्री के आधार पर लगाया जाता है। मिट्टी के तेल का कोटा सामयिक कमी-बेशी का ध्यान रखते हुए मास प्रति मास आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है, यदि उत्पाद की कुल उपलब्धता राज्यों की कुल मांग की तुलना में कम हो जाती है या जब अन्य प्रतिबन्ध हो तो कोटे में उपलब्धता के अनुसार यथा आवश्यक कमी कर दी जाती है।

अशोधित तेल के सौदों की प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण भारतीय तेल निगम को हानि

1871. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अशोधित तेल के सौदों की प्रक्रिया में अनियमितताएं होने के कारण भारतीय तेल निगम को गत तीन वर्षों में भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी औषध-निर्माता फर्मों द्वारा कतिपय रसायनों का उत्पादन

1872. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्में यथा, एम० एम० डी०, हेक्ट और मैसर्स एवोट ने गत तीन वर्षों में 'इंडोमेथामिन', 'प्रिनिलेमाइन लैक्टेट', 'साइप्रोहेप्टाडीन', 'फरसेमाइड' और 'इरीथ्रमाइसीन स्टिअरेट' का आयात किया था और यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्यों पर;

(ख) क्या इन विदेशी फर्मों द्वारा आयात पर अधिक मूल्य दिये जाने के कारण इनमें से कुछ वस्तुएं सारणीबद्ध (केनेलाइज्ड) हैं; यदि हां, तो इन विदेशी फर्मों ने विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजने के रूप में अपनी मूल कम्पनियों को अधिक मूल्यों पर आयात करके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में क्या-क्या लाभ पहुंचाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी-मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है अथवा मुकदमा चलाने की सिफारिश की है या निर्माण-लाइसेंस निलम्बित करने जैसी कोई अन्य कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1 अप्रैल, 1970 से आयातों को सारणीबद्ध किया गया ताकि उपभोक्ताओं के लिए सूत्रयोगों के मूल्यों में मूल्य लाभ सुनिश्चित किया जा सके और समुच्चम मूल्य पद्धति के माध्यम से देसी सामग्री के उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। सारणीबद्ध करने से विश्व बाजार में प्रतियोगी मूल्यों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीददारी की जा सकती है अन्यथा मूल्यों में कम्पनी-कम्पनी के मामले में अन्तर रहता है।

(ग) तथा (घ) इस संबंध में इस मंत्रालय के समक्ष विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन का कोई मामला नहीं आया है।

मैसर्ज मे एंड बेकर तथा अन्य फर्मों द्वारा "मेट्रानाइडोजोल" का फार्मूलेशन

1873. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज मे एण्ड बेकर, जो 100 प्रतिशत विदेशी फर्म है, के लिये "मेट्रानाइडोजोल" की वार्षिक क्षमता 600 किलोग्राम से बढ़ा कर 12 टन कर देने की सिफारिश की गई है और क्या इसके फार्मूलेशनों तथा इस औषधी का उत्पादन सीमित उपभोग (कैप्टिक कंजम्पशन) और अधिक लाभ कमाने के लिये 10 गुना अधिक किया जाता है;

(ख) क्या मैसर्ज यूनिकेम, सिपला, इंडो-फार्मा, आई०डी०पी०एल० और सुन्नेटा ने आवेदन-पत्र दिये हैं और "मेट्रानाइडोजोल" की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 80 टन करने की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या इस औषधि का पांचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य केवल 50 टन वार्षिक है;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि इस औषधि के विस्तार सम्बन्धी में एण्ड बेकर के प्रस्ताव को भारतीय प्रस्तावों के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया; और

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा के नये मार्ग दर्शी सिद्धांतों के अनुसार विदेशी फर्मों की शाखा अपनी इक्विटी 60 प्रतिशत तक कम करने के लिये बाध्य है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 602 किलोग्राम प्रतिवर्ष से 24 मीटरी टन प्रति वर्ष तक मेट्रानाइडोजोल की क्षमता का विस्तार करने के लिए मैसर्ज मे एण्ड बेकर लिमिटेड बम्बई का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मैसर्ज मे एण्ड बेकर सहित विभिन्न कम्पनियों द्वारा अधिक उत्पादन का संपूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जबकि मैसर्स इण्डो फार्मा फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड को 4 मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता सहित मेट्रानाइडोजोल का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। अन्य कम्पनियों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, हां। योजना आयोग द्वारा स्थापित औषधों और फार्मास्यूटिकलों पर टास्क फोर्स ने पांचवीं योजना के अन्त अर्थात् वर्ष 1978-79 तक 50 मीटरी टन मेट्रानाइडोजोल की मांग का अनुमान लगाया है।

(घ) मेट्रानाइडाजोल का निर्माण करने के लिए मैसर्स मे एण्ड वेकर का आवेदन पत्र दिसम्बर, 1971 में मिला था जबकि मैसर्स यूनिकम, सी० आई० पी० एल० ए०, आई० डी० पी० एल० और सुनीता के आवेदन पत्र उससे बहुत पहले मिले थे ।

(ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए निर्देश सिद्धांतों के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक विदेशी नियन्त्रण वाली कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित समय के अन्दर केवल भारतीयों से अतिरिक्त साम्य-पूँजी (प्रिमियम को मिलाकर यदि कोई हो) जारी करके विस्तार की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत एकत्र करें ।

स्थानापन्न और नैमित्तिक श्रमिकों को लेखागत भुगतान

1874. श्री झारखंडे राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानापन्न और नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्हें अस्थायी दर्जा दे दिया गया है और जो भविष्य नीधि में अंशदान करते रहे हैं, तीसरे वेतन आयोग के अनुसार वेतनों के बकाया का लेखागत भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जो एवजी कर्मचारी और नैमित्तिक मजदूर 1 जनवरी, 1973 को प्राधिकृत वेतनमान में वेतन ले रहे थे और 1 जनवरी, 1974 को नौकरी कर रहे थे उन्हें तीसरे वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार बकायों का 'लेखागत' भुगतान करने की अनुमति दे दी गयी है ।

भारत के तेल संकट का कारण भुगतान की समस्या

1875. श्री रानेन सेन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तेल संकट का कारण मूलतः भुगतान की समस्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) 1974 के प्रारम्भ से अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई । अतः मुख्य समस्या अशोधित तेल की उपलब्धता की नहीं है । अपितु महंगी विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने की है । सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए बहुत उपाय उठाये हैं जो अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को सम्मिलित करती है :—

- (i) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बढ़ती हुई आस्था ।
- (ii) तेल के उत्पादों के अनावश्यक खपत को कम करना ।
- (iii) अर्थ व्यवस्था की परम आवश्यक आवश्यकताओं के लिये तेल के आयात की लागत को पूरा करने के लिए अत्यधिक निर्यात ।
- (iv) अशोधित तेल आदि के देशीय उत्पादन को बढ़ाने हेतु कार्यकलापों को तीव्र करना ।

आयल इंडिया लि० के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण

1876. श्री महेन्द्र सिंह गिल :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या आयल इंडिया लिमिटेड के अधिकांश इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : आयल इंडिया लिमिटेड के अधिकांश इक्विटी शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अभी तक कोई विशिष्ट निर्णय नहीं किया है।

भारतीय रेलवे को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से ऋण

1877. सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में सुधार और आधुनिकीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से डालर के रूप में सहायता की कितनी राशि मिली है; और

(ख) ऋण किस प्रकार चुकाया जायेगा तथा ऋण को इस राशि से किन-किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने 8 करोड़ अमरीकी डालरों का एक ऋण दिया है। इस ऋण के करारनामों पर 21 दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) इस ऋण की अदायगी 50 वर्षों में की जायेगी लेकिन पहले दस वर्षों के लिए ऋण की अदायगी स्थगित रखी जायेगी। इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन एक प्रतिशत का तीन चौथाई वार्षिक की दर से केवल सेवा प्रभार लगेगा।

ऋण की यह रकम चल स्टॉक के निर्माण के लिए पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने, रेल पथ के नवीकरण और पुल सम्बन्धी काम के लिए सामान की मर्दों, लाइन क्षमता के कामों, सिगनल व्यवस्था और विद्युतीकरण योजनाओं तथा संयंत्र और मशीनों पर खर्च की जायेगी।

सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को अवकाश कम करने के लिये दी गई सलाह

1878. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों को सलाह दी है कि वे अपना अवकाश कम करें और यह सुनिश्चित करें कि वर्ष में कार्य-दिवस 210 से कम न होने पायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्च-न्यायालयों को मामलों को निपटाने के लिए अधिक समय देने की दृष्टि से ऐसा वर्ष 1960 से किया गया था ।

फरवरी 1974 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में रद्द की गई गाड़ियां

1879. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में अनेक गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और इससे सरकार को कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न कर्मचारी आन्दोलनों के कारण बहुत सी गाड़ियों का चलना बन्द कर देना पड़ा हानि सम्बन्धी सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Trains cancelled in Ratlam Division of Western Railway

1880. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Railways be pleased to state;

(a) the total number of trains in Ratlam Division (Madhya Pradesh) of Western Railway cancelled on account of shortage of coal and for other reasons during the last one year; and

(b) the action taken to restore those train services?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The number of trains cancelled on Ratlam Division of Western Railway on account of shortage of coal and other reasons during the last one year (from 1-2-1973 to 31-1-1974) is 38.

(b) In so far as shortage of coal is concerned, a close liaison is being maintained with the coal producing units and the Ministry of Steel and Mines for augmenting supplies to Railways, and the eight trains that now remain cancelled will be restored as soon as possible.

Late running of Bhopal-Ratlam Broad Gauge train from Ujjain to Ratlam

1881. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the time by which the Bhopal-Ratlam broad gauge train reached late at Ratlam from Ujjain daily during the last six months;

(b) the reasons why train started late from Ujjain; and

(c) salient features of action taken by Government to ensure the timely departure of this train in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period of six months from August '73 to January '74, 86 Up and 112-A Up Passenger trains from Bhopal arrived late at Ratlam on 94 and 120 days late respectively.

(b) Late running of these trains was due to various operational difficulties, staff and public agitations, heavy alarm chain pulling, flooding of the track in August and September, 1973 etc.

(c) Punctuality of trains receives constant attention of Railways both at Divisional and Headquarters level. As and when conditions warrant special drives are instituted to bring out improvement in punctuality.

विद्युत् प्रजनन में तेल की कमी

1882. श्री शंकर राव सावंत : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् प्रजनन में तेल की कमी का विपरीत प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चूँकि कोयले से चलने वाले ताप-विद्युत् केन्द्रों जहाँ पुलवराइज्ड ईंधन जलाया जाता है, में भी गौण रूप में तेल ईंधन की अपेक्षा होती है, वर्तमान तेल कमी के कारण कुछ ताप-विद्युत् केन्द्रों के ठीक-ठीक कार्य निष्पादन के संबंध में कुछ चिन्ता हो गई है। विद्युत् उत्पादन में कोई कमी नहीं है।

(ख) तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

- (1) तेल की खपत में भ्रमक मितव्ययिता करने के लिए राज्य विजली बोर्डों को निदेश दे दिये गये हैं। तेल की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से ताप विद्युत् केन्द्रों को यथा सम्भव उच्चतर भार फैक्टर पर प्रचालित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
- (2) ताप विद्युत् केन्द्रों में तेल से जलने वाले बायलरों को कोयले से जलने वाले बायलरों में बदलने का निश्चय किया गया है तथा इस दिशा में कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है।
- (3) विद्युत् केन्द्रों के लिए तेल की न्यूनतम आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है तथा इन आवश्यकताओं को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- (4) कुछ विद्युत् केन्द्रों को इस समय उपलब्ध गुणों वाले तेल का प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए उनमें विशेष अनुपंगिक उपस्कर प्रतिष्ठापित किये जा रहे हैं।

विभिन्न भाषाओं में विधियों, नियमों तथा विनियमों के प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध न होना

1883. श्री एस० सी० सामन्त : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विधियों, नियमों तथा विनियमों के प्रामाणिक संस्करण संघ की भाषाओं तथा अन्य भाषाओं में जिलों तथा राज्यों की राजधानियों में सरकारी दुकानों या गैर-सरकारी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है यद्यपि प्रामाणिक तथा अनुदित संस्करण प्रकाशित करने का काफी काम पूरा हो चुका है;

(ख) क्या राज भाषा (विधायी) आयोग तथा अन्य निकायों द्वारा किए गए काम को लोक प्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसरण में केन्द्रीय अधिनियमों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और संविधान के अधीन या केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए आदेशों, नियमों, विनियमों और उप-विधियों के हिन्दी में अनुवाद राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से हिन्दी में उनके प्राधिकृत पाठों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन-नियंत्रक इन अनुवादों की उतनी प्रतियों के प्रदाय की व्यवस्था करता है, जितनी इन प्रतियों का मांग-कर्ताओं और ग्राहकों द्वारा अपेक्षित हों। राजभाषा (विधायी) आयोग केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करणों के प्रकाशित करने की व्यवस्था करता है, जिनका प्रकाशन-नियंत्रक द्वारा विक्रय किया जाता है। अभी तक 307 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनमें से, 135 केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी संस्करण निकाले गए हैं। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पहले से ही प्रकाशित केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी में अधिप्रमाणित पाठ और द्विभाषी संस्करण जिला और राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध हैं या नहीं।

केन्द्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों के अधिप्रमाणित रूपान्तर हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973, जो राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट (हिन्दी से भिन्न) किसी भाषा में केन्द्रीय विधिओं के प्राधिकृत अनुवादों के प्रकाशन का उपबंध करता है, दिसम्बर, 1973 में ही अधिनियमित किया गया है और अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है। राजपत्र में ऐसे अनुवादों के प्रकाशन के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किए गए कार्य को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है। आयोग द्वारा निकाले गए प्रकाशनों के सूचीपत्र आवधिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और अन्य चीजों के साथ-साथ, राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, विधि विद्यालयों, बार-एसोसिएशनों, जिला न्यायाधीशों और ऐसे अन्य अभिकरणों के बीच परिचालित किए जाते हैं, जो विधि-प्रकाशनों के विषय में कार्यवाही करने हैं या उनसे सम्बद्ध हैं। आयोग इन प्रकाशनों का प्रचार करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन भी कर रहा है। वह अपने प्रकाशनों को लोक प्रिय बनाने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों के साथ संपर्क भी बनाए हुए है। इन क्रियाकलापों के परिणाम-स्वरूप, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों और इन राज्यों के उच्च न्यायालयों ने आयोग के प्रकाशनों के लिए थैंक आर्डर दिए हैं।

तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशों का फर्मों के लाभ पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी मत

1884. चौधरी राम प्रकाश : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ईरान के वित्त मंत्री के इस कथित वक्तव्य की जानकारी है कि तेल उत्पादक देश तब तक तेल के मूल्य स्थिर करने के लिए कोई बाध्य करार नहीं करेंगे जब तक उपभोक्ता देश कम्पनियों को शत प्रतिशत से अधिक लाभ कमाने से नहीं रोकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार तेल कम्पनियां तेल उत्पादक देशों से जिस भूत-पूर्व मूल्यों पर तेल प्राप्त करेंगी / उस पर अब भी बात-चीत चल रही है। इसलिए इस स्थिति पर इस मामले में किसी प्रकार की राय बनना सम्भव नहीं है।

रेल कर्मचारियों के लिये एक-मात्र 'फेडरेशन'

1885. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योग तथा स्वस्थ मजदूर-संघ आन्दोलन के हित में रेल कर्मचारियों को एक-मात्र फेडरेशन बनाने के पक्ष में है ; और

(ख) यदि हां तो रेलवे में एक मात्र फेडरेशन बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 'एक उद्योग के लिए एक यूनियन' की नीति स्वीकार कर ली गयी है। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय निकाले जाने हैं।

पांचवीं योजना में सिंचाई जल और पन-विद्युत के प्रयोग का अनुरोध

1887. श्री रण बहादुर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानदी, हासदेव और बोधघाट जैसी बड़ी-बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं से लोगों के कल्याणार्थ अधिकतम लाभ उठाने हेतु सिंचाई जल पन-विजली और बाढ़ नियंत्रण कार्यों सहित नगरीय एवं ग्रामीण जल सप्लाई के लिए व्यावहारिक बृहत योजनाएँ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जल के विभिन्न उपयोगों को ध्यान में रखते हुए व्यापक नदी बेसिन योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता पर विविध योजना दस्तावेजों में और सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में बल दिया गया है। समग्र देश में नयी परियोजनाओं का आयोजन करते समय जहां भी व्यवहार्य होता है, बहुदेशीय लाभों की संभाव्यता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन महानदी जलाशय का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र को जल सप्लाई करने और सिंचाई के लिए किया गया है। हस्देव वराज, जिसे कोर्वा ताप केन्द्र को प्रशीतक जल सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, का जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने हेतु, हस्देव दक्षिण तट नहर निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पांचवीं योजना में हाथ में ली जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में नर्मदासागर, वाणसागर तथा हस्देव (बांगो) परियोजनाओं में सिंचाई और विद्युत उत्पादन परिकल्पित है। प्रस्तावित पार्वती परियोजना सिंचाई सुविधाओं के अतिरिक्त भोपाल को जल सप्लाई करने के लिए बनाई गई है।

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा तैयार माल भेजने में विलम्ब

1888. श्री रण बहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-वैगनों की कमी से भिलाई इस्पात कारखाने से तैयार माल भेजने में काफी विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या तैयार माल जमा हो जाने से प्रबंधकों को काफी अशुविधा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त 1973 से जनवरी 1974 तक भिलाई इस्पात कारखाने से इस्पात का तैयार सामान औसतन 1,77,130 मीट्रिक टन प्रति मास भेजा गया। लेकिन इन महीनों के दौरान तैयार माल उठाने के लिए इस इस्पात कारखाने को माल डिब्बों की मरप्लाइ और तैयार माल से लदे वहिर्गामी माल डिब्बों की निकासी में कुछ विलम्ब हुआ जिसके कारण थे विशेषकर अगस्त और दिसम्बर 1973 में कर्मचारियों द्वारा बारम्बार आंदोलन, नागरिक उपद्रव वन्द, खाद्य आंदोलन और कर्षण तथा दूर संचार आदि की चोरी आदि जिससे गाड़ियों का संचलन धीमा पड़ गया और माल डिब्बे रके पड़े रहे विशेषकर दक्षिण पूर्व रेलवे पर जहां भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है।

(ख) जनवरी, 1974 के अन्त में इस कारखाने में 1,89,460 मीट्रिक टन तैयार इस्पात और कच्चा लोहा भूतल स्टॉक के रूप में पड़ा था जबकि अगस्त, 1973 के अन्त में यह स्टॉक 1,63,601 मीट्रिक टन था। यह छः महीनों की अवधि में केवल 25,889 मीट्रिक टन की वृद्धि या औसतन लगभग चार दिन के प्रेषणों का द्योतक है।

(ग) यदि काम की सामान्य स्थिति बनी रही तो इस इस्पात संयंत्र की माल डिब्बों से संबंधित मांग को पूरा करने में रेलवे को कोई कठिनाई नहीं होगी।

Proposal to attach one or two bogies to Howrah-Amritsar Punjab Mail at Pratapgarh or Rae Bareli

1889. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to attach one or two bogies to the Howrah-Amritsar Punjab Mail at Pratapgarh or Rae Bareli which would be hauled to Delhi or New Delhi by Lucknow-New Delhi Mail or Lucknow-Delhi Express; and

(b) if so, the time by which it would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): No, there is no room on Howrah-Amritsar Mail or on the connecting Mail/Express train.

(b) Does not arise.

Work-to-rule agitation by Permanent way Inspectors of Northern and North-Eastern Railway^s

1890. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Permanent Way Inspectors of Northern and North-Eastern Railways were on "work-to-rule" agitation during February, 1974;

(b) if so, their demands; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Madhya Pradesh Government's request for laying New Railway Lines

1891. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for laying new Railway lines in some parts of the State;

(b) if so, the future programme of Government in this regard; and

(c) the places where new Railway lines have been demanded ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) and (c) In the recent past, representations have been received for the construction of the following new railway lines in Madhya Pradesh:

- (1) Indore-Dhar-Jhabua-Dohad.
- (2) Khandwa-Bhikangaon-Khargone-Badwani-Jhabua-Dohad.
- (3) Dungarpur-Ratlam via Banswada.
- (4) Jabalpur-Domoh-Tikamgarh-Lalitpur.
- (5) Sagar-Kareli-Narsinghpur-Chhindwara.
- (6) Tikamgarh-Chhatarpur-Khajuraho-Panna-Satna.
- (7) Satna-Rewa-Beohari.
- (8) Chirimiri-Badwadeeh-Baikhunthpur-Ambikapura.
- (9) Jherandalli-Kondagaon-Jagdalpur.
- (10) Jabalpur-Balaghat-Gondia.
- (11) Seoni-Chhindwara-Parasia-Nagpur.
- (12) Dhamtari-Raipur and Ambhanpur-Rajin-Nawapara.
- (13) Conversion of Shivpur-Gwalior-Bhind-Sawai Madhopur.
- (14) Conversion of Jora (Sheopur-Gwalior) Morena-Ambah-Soni (Gwalior-Bhind).
- (15) Guna-Maksi rail link to Shivpuri-Gwalior.
- (16) Ujjain-Agar (conversion) Nalkheda-Susner-Jhalwada-Kota (Rajasthan).
- (17) Balaghat-Wara Seoni-Katangi-Tirodi railway station.

(18) Dhalli Rajhara-Narainpur-Kondagaon-Jagdalpur.

(19) Kirindul to Kolnur between Chanda and Kazipet

or

(20) Dantewara to Chand; and

(21) Jagdalpur-Titlagarh.

Out of the proposals mentioned above, surveys for the following lines/conversions have been carried out recently or are in progress.

(1) **Satna-Rewa-Beohari.** A traffic survey for this line has been completed and report is under examination.

(2) **Dhali-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur.** A detailed Engineering Survey for this line has been taken up. Further consideration to this proposal will be given after the results of this survey become known.

(3) **Conversion of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway system into B.G.** The traffic survey for the conversion into B.G. of the northern section of the Satpura Narrow Gauge Railway System with its branches consisting of (a) Parasia-Chhindwara-Seoni-Nainpur-Mandla Fort (b) Jabalpur-Nainpur-Balaghat-Gondia and (c) Chhindwara-Nagpur has been completed and report is under examination. Further consideration to the project will be given after the report is examined and the results thereof become known.

(4) **Indore-Mhow.** A reconnaissance survey for this extension (21 Kms.) has been completed and report has been examined. The project has been shelved on account of very limited prospects of traffic.

(5) **Conversion of Raipur-Dhamtari N.G. section to B.G.** The Traffic Survey for this conversion has been completed and is at present under examination of the Railway Board.

तेल का उत्पादन करने वाले देशों में भारत द्वारा तेल की खोज

1892. श्री के० लक्ष्मण; क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन करने वाले देशों में भारत खोज के लिये क्षेत्रों का अधिग्रहण करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई क्षेत्र प्राप्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तेल की खोज के लिए बाहर क्षेत्र अर्जित करने के पहले प्रयास किए गए हैं और इन्हें आगे भी जारी रखा जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) पहले ही उपलब्ध क्षेत्र हैं—

(1) हाइड्रोकार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्ण नियंत्रण वाली महायुक्त कंपनी), नेशनल ईरानियन आयल कंपनी अमेरीका की फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी तथा इटली की एंजी०आई०पी० के बीच दिनांक 17 जनवरी, 1965 को हुए एक संयुक्त संरचना संबंधी करार के अंतर्गत फारम की खाड़ी में एक समुद्र तट से दूर जिसमें चार खण्ड सम्मिलित है।

(11) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ईराक नेशनल आयल कंपनी के बीच 22 अगस्त, 1973 को हुए एक सर्विस करार के अंतर्गत ईराक के दक्षिणी भाग में एक भू-क्षेत्र।

अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण कोयला इस्पात क्षेत्र में बाधा

1893: श्री के० लक्ष्मणः

श्री पी० गंगादेवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त रेल परिवहन सुविधाएं अर्थव्यवस्था की संस्थापित क्षमताओं, विशेषकर देश के कोयला-इस्पात क्षेत्र के सुचारु कार्यकरण में बाधक है ; और

(ख) क्या रेलवे के औद्योगिक संबंध रेल सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने के लिये उत्तरदायी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) माल डिब्बों, रेल इंजनों और अन्य सुविधाओं के रूप में रेल परिवहन, कोयला/इस्पात पट्टी में होने वाले वर्तमान औद्योगिक उत्पादन की मांगों को पूरा करने में मक्षम है। लेकिन लदान के लिए उपलब्ध माल डिब्बों पर, बिजली में कटौती जिससे गाड़ी संचालन प्रभावित होता है, कर्मचारी और जन आंदोलनों, आकस्मिक आंदोलनों, अनूपस्थिति की घटनाओं राजनैतिक बंधों, गाड़ी संचालन में अवरोध डालने के लिए रेल पथ पर धरने, लाइन की टूट-फूट, आदि जैसे बाहरी कारणों से, जब तब दुष्प्रभाव पड़ा है।

(ख) मान्यताप्राप्त फेडरेशनों के साथ स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श परिषदों की सहायता से, रेलों पर औद्योगिक संबंध संतोषप्रद है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आंदोलनात्मक तरीके अपना रहे हैं।

Conversion of Delhi-Ahmedabad Metre Gauge Line into Broad Gauge

1894. Shri M. C. Daga: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the date since when the survey work in regard to converting Delhi-Ahmedabad metre gauge line into broad gauge line has been going on and the time by which survey report will be submitted; and

(b) whether Government will be able to lay broad gauge line between Ahmedabad and Delhi during the next Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A traffic survey was sanctioned in June, 1970, to find out ways and means of augmenting the line capacity on the Delhi-Ahmedabad metre gauge section. The scope of the survey was enlarged in July, 1972, to include gauge conversion in the terms of reference of the survey. The survey has been completed and the report has been submitted by the Western Railway Administration in July, 1973. The examination of the survey report by the Railway Board is in progress. An economic study of the gauge conversion project is also being made.

(b) The decision regarding sanctioning the project would be taken only after the examination of the survey report and the economic study is completed. It is, therefore too early to say whether the line will be laid in the Fifth Five Year Plan.

Conference with representatives of two Recognised Railway Federations and Central Labour Organisations

1895. **Shri Ramavatar Shastri:**

Shri Inderjit Gupta:

Will the Minister of Railways be pleased to state;

(a) whether he had arranged in Delhi on 4th February, 1974 last a conference of the representatives of two recognised Railway Federations and four Central Labour Organisations;

(b) if so, the names of organisations and their representatives who participated in the Conference;

(c) the objects of arranging the Conference; and

(d) the extent to which Government have succeeded or expects success in achieving those objects ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) (i) National Federation of Indian Railwaymen —Shri A. P. Sharma, President and other representatives.

(ii) All India Railwaymen's Federation—Shri George Fernandes, President and other representatives.

(iii) I.N.T.U.C.—Shri B. Bhagwati, President and other representatives.

(iv) A.I.T.U.C.—Shri Y. D. Sharma and Shri N. C. Dutta, Secretaries.

(v) H.M.S.—Shri Mahesh Desai, General Secretary.

(vi) U.T.U.C.—Shri Jatin Chakraborty, General Secretary.

(c) The object was to elicit the advice and suggestion for maintaining industrial peace on Railways. The concept of one union for one industry was also brought out by the Railway Minister.

(d) Sharing of views has been helpful.

बिराती स्टेशन (सियालदह डिवीजन) पर ब्लाक इंस्ट्रूमेंट का खराब हो जाना

1896. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री मोला मांझी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन के बिराती स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर रेल गाड़ियों के आने व जाने के लिये संकेत देने व लेने वाला उपकरण "ब्लाक इंस्ट्रूमेंट" 28 जुलाई 1973 को दोनों ओर के ब्लाक सेक्शनों में संबंधित ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में संकेत करने में असमर्थ हो गया था और कई दिनों तक इसी प्रकार खराब पड़ा रहा ;

(ख) स्टेशन पर इस उपकरण के खराब हो जाने के बाद रेल गाड़ियों को गुजरने के लिये कौन सी संकेत प्रणाली अपनाई गई थी ;

(ग) क्या इस उपकरण के खराब हो जाने के कारण रेल गाड़ियों को रोक लिये जाने के लिये ड्यूटी पर तैनात लोगों ने सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला कर दिया था ;

(घ) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारी भेजे गये थे यदि हां तो किस स्थिति में भेजे गये थे ; और

(ङ) संकेत तथा दूर-संचार विभाग इस उपकरण को न्यायोचित समय के लिए ठीक क्यों नहीं कर सका था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां मध्यमग्राम की तरफ जुड़ा हुआ ब्लाक उपकरण 17.45 बजे खराब हो गया था और 30-7-1973 की सुबह तक खराब रहा।

(ख) गाड़ियों के गुजरने के लिए 'पर्ची लाइन क्लियर प्रणाली' अपनायी गयी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस अवधि में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात नहीं किये गये थे क्योंकि ऐसी आपत्कालीन स्थिति पर काबू पाने के लिए स्टेशन पर काम कर रहे नियमित कर्मचारी ही पर्याप्त हैं।

(ङ) यह मरम्मत कारखाने में ही हो सकती थी इसीलिए इस में देर हुई।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा पी०वी०सी० रेजिन को विक्रय नीति की प्रस्तावित जांच

1897. श्री रामावतार शास्त्री : क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ 'केवल' निर्माताओं ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से पी०वी०सी० रेजिन बनाने वालों द्वारा अपनाई जा रही विक्रय नीति की जांच करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) : हां, श्रीमान् जी। आयोग को बम्बई की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक शिकायत यह आरोप लगाते हुए प्राप्त हुई थी कि पी०वी०सी० रेजिन के केवल उद्योग को विवरण करने में, एक अन्य कंपनी द्वारा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाओं को अपनाया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृश्य शिकायत कर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत व्यौरों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई मामला गठित नहीं किया जा सका। इस लिए आयोग ने 4-1-74 को आवेदनकर्त्ताओं को आरोपों की अभिपुष्टि करने के लिए कहा, किन्तु अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

तापीय बिजली-घरों के लिए स्थलों का चयन

1898. श्री रामवतार शास्त्री :

श्री राम भगत पासवान :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने बड़े तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिए छह स्थलों का चयन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों के कोयला क्षेत्रों में वृहत् ताप विद्युत केन्द्रों के हेतु स्थलों के चयन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित समिति विभिन्न स्थलों की जांच कर रही है और इसके द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

कर्नाटक में काबिनी परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप कृषि भूमि तथा फसलों का जलमग्न होना

1899 श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

श्री के० मालना :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या कर्नाटक में काबिनी परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप कर्नाटक तथा केरल में हजारों एकड़ कृषि भूमि तथा फसलों के डूब जाने की संभावना के बारे में किसानों की ओर से उनके हितों की रक्षा से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से 1970 में प्राप्त काबिनी परियोजना को संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कुल 6250 है० क्षेत्र काबिनी जलाशय के अन्तर्गत आना है। इसमें से 3623 है० क्षेत्र को कृषि योग्य बताया गया है जिसमें 103 हेक्टेयर क्षेत्र केरल में शामिल है। परियोजना रिपोर्ट में, भूमि अधिग्रहण, घरों तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मुआवजा देने हेतु लगभग 2.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा संशोधित परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

केरल सरकार ने सूचित किया था कि उनके जलप्लावन क्षेत्र का अस्थाई मूल्यांकन तथा प्रभावित होने वाली सम्पत्ति बहुत अधिक थी और इसने 1974-75 के दौरान पूर्ण जलाशय स्तर तक बांध में जल संचय करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके पश्चात् दोनों राज्य सरकारें जलप्लावन के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने और एक सौहार्दपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए सहमत हो गई थीं। इस मामले पर दोनों राज्य सरकारों द्वारा आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Railway Line from Barwadih to Balrampur on Eastern Railway

1900. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether most of the preliminary work of constructing a Railway line from Barwadih to Balrampur on Eastern Railway has been completed; and

(b) if so, the reasons for which the above work has been suspended indicating the total expenditure incurred so far on it?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) A Final Location Survey was made for the rail link from Barwadih to Bijuri via Bishrampur (not Balrampur) in 1948-49. The 100-km. long section from Bijuri to Karonji has been constructed and opened to traffic. Construction of 65 km. long section from Barwadih to Sarnadih was taken up in the year 1947 but was abandoned after a major portion of the formation and bridge work has been completed on account of the difficult ways and means position and also because it transpired that the anticipated traffic would not materialise on this section. The section from Sarnadih to Bishrampur (82 km. long) was not taken up for construction. Completion of Barwadih-Sarnadih line and its extension upto Bishrampur will be considered only when definite schemes for development of coal fields in the area become available. Expenditure of Rs. 1.46 crore was incurred on Barwadih-Sarnadih section.

Setting up of a Fertilizer Plant at Korba

1901. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of Petroleum and Chemical be pleased to state:

(a) the expenditure to be incurred on the Fertilizer Plant to be set up at Korba in Madhya Pradesh by the Fertilizer Corporation of India;

(b) the time by which the plant will be completed and go into production; and

(c) its annual production target and the percentage of the work of the plant since completed?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c) The Fertiliser Plant being set up at Korba is designed for the production of 4,95,000 tonnes of urea equivalent to 2,27,700 tonnes of nitrogen. The project is estimated to cost Rs. 118.25 crores and is expected to go into commercial production by January, 1978.

The land acquisition proceedings in respect of this project are in progress. Steps are also under way for the procurement of various construction equipment and for developing necessary infra-structure facilities.

गैब्रियल्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा एकाधिकार आयोग के प्रस्तावों का स्वीकार किया जाना

1902. श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैब्रियल्स इण्डिया लिमिटेड ने किसी परिवर्तित रूप में इक्विटी शेयरों को समाप्त करने के एकाधिकार आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;
और

(ग) विदेशी सहयोग-कर्ताओं के संबंध में विस्तार-योजनाओं को एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति प्राप्त कराने के लिये सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदवत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को गैब्रियल्स इंडिया लिमिटेड के खड़ फीट की मात्रा के प्रसार हेतु सरकार को रिपोर्ट केवल 15 फरवरी, 1974 को प्राप्त हुई है। आयोग के प्रस्ताव अभी तक आवेदक को जिरह के लिए नहीं भेजे गये हैं।

(ख) तथा (ग) आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

मंगलोर कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स के लिये विशाखन की योजना

1903 श्री के० मलन्ना :

श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मंगलोर कैमिकल्स फर्टिलाइजर्स ने विशाखन की कोई योजना तैयार की है ;
- (ख) यदि हां, तो उत्पाद मिश्रण के बारे में इसकी स्थिति संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और
- (ग) इस उद्देश्य के लिये अब तक कितने मूल्य के आयातित उपकरण प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) व (ख) मैसर्स मंगलोर कैमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसमें निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता की प्रतिस्थापना करने की परिकल्पना है :-

(i) अमोनिया	297000 टन प्रति वर्ष
(ii) यूरिया	339900 टन प्रति वर्ष
(iii) नाइट्रिक एसिड 100 प्रतिशत	150000 टन प्रति वर्ष
(iv) एन पी के (17 : 17 : 17) नाइट्रोफास्फेट पर आधारित	195000 टन प्रति वर्ष
(v) सी ए एन (26 प्रतिशत एन)	165000 टन प्रति वर्ष

परियोजना पर कुल 113 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने का अनुमान है जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंशदान 39.5 करोड़ का होगा।

(ग) इस आशय हेतु किसी भी उपकरण का आयात नहीं किया गया।

एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में भारतीय उर्वरक निगम तथा ईराक के बीच करार

1904. श्री राम भगत पासवान :

श्री भान सिंह भौरा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने ईराक में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये तकनीकी सहायता के बारे में ईराक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम ने स्टेट आर्गेनाइजेशन आफ इंडस्ट्रीयल डिजाइन एण्ड कारपोरेशन, ईराक से एक करार किया है। करार में यहां से विशेषज्ञों की अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति द्वारा और बातों के साथ साथ तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं, संभाव्य रिपोर्टों का बनाया जाना तथा बाजार सर्वेक्षण करना आदि निहित है। करार का अनुसमर्थन दोनों देशों के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा होना है और यह प्रत्येक पक्ष द्वारा अनुसमर्थन के अधिसूचित किये जाने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिये लागू होगा।

डीजल संकट का पश्चिम बंगाल के विद्युत संयंत्रों पर विपरीत प्रभाव

1905. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल संकट का पश्चिमी बंगाल के संयंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई जिससे विद्युत संकट पैदा न हो ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कभी-कभी स्थानीय कमियों को छोड़कर डीजल की सप्लाई को बनाए रखा गया है और इस कारण पश्चिमी बंगाल में कोई विद्युत-संकट की स्थिति नहीं आई है।

(ग) विद्युत केन्द्र प्राधिकरणों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे तेल की खपत में अत्यधिक मिनव्ययिता लाएं। तेल की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है। ताप-विद्युत संयंत्रों को यथासंभव उच्चतर भार अनुपातों पर चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत के नये तेल शोध कारखानों में भारतीय तेल निगम द्वारा ओ० पी० ई० सी०

के इक्विटी अंशों के लिये अनुरोध

1906. श्री इन्द्रजीत गुप्त : .

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने देश के नये तेल-शोध कारखानों में ओ० पी० ई० सी० के सदस्यों के इक्विटी शेयरों के लिये आमंत्रण दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) विश्व में अशोधित तेल की सप्लाई की स्थिति में हुए हाल के परिवर्तनों के प्रसंग में मध्य पूर्व के कुछ तेल उत्पादक देशों के सहयोग से संयुक्त परिष्करणशालाओं की स्थापना या तो तेल उत्पादक देशों में या भारत में करने की संभाव्यताओं की द्विपक्षीय आधार पर खोज की जा रही है। अभी इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

बिहार में बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य

1907. श्री हरि किशोर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली उत्पादन और उसकी सप्लाई के लिए चौथी योजना अवधि के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) अगर कोई कमी रही है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त कमी को समाप्त करने के लिए पांचवीं योजना अवधि में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार में चौथी योजना के दौरान 765 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 365 मैगावाट विद्युत जनन क्षमता चालू की जा चुकी है और शेष क्षमता पांचवीं योजना के प्रथम भाग के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

(ग) विद्युत उत्पादन स्कीमों के पूर्ण होने में देरी के मुख्य कारण ये हैं— (1) सिविल कार्यों में देरी, (2) उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब, (3) आवश्यक सामग्री की कमी तथा (4) अपर्याप्त धन।

(घ) पांचवीं योजना में बिहार में 995 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गई है। इससे राज्य में बिजली की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

नरकटियागंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और पहलेजाघाट के बीच सीधी गाड़ी

1908. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नरकटियागंज-सीतामढ़ी-दरभंगा-समस्तीपुर-पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक सीधी गाड़ी न चलाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 432 नरकटियागंज-दरभंगा सवारी गाड़ी और 455 दरभंगा-पहलेजाघाट सवारी गाड़ी में एक ही रोक लगाया जाता है। इस प्रकार सीतामढ़ी के रास्ते नरकटियागंज, और पहलेजाघाट दरभंगा और समस्तीपुर के बीच सीधी यात्रा के सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार वापसी में 456 एवं 431 गाड़ियों में भी पहलेजाघाट-दरभंगा और दरभंगा-नरकटियागंज खंड पर वही रोक लगता है।

लारसन एण्ड टूब्रो लिमिटेड में विदेशी प्रबन्ध समाप्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध सरकार से की गई अपील

1909. श्री राम सहाय पांडे :

श्री अनंतराव पाटिल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारसन एण्ड टूब्रो लिमिटेड के छह गैर कार्यकारी निदेशकों ने 31 मार्च, 1974 से विदेशी प्रबन्ध समाप्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से अपील की है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अपील पर कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार मार्च, 1974 के बाद विदेशी प्रबन्ध के लिए अनुमति न देने की वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदवत बरुआ) : (क) से (घ) 6 सितम्बर, 1973 को कम्पनी के छः गैर कार्यकारी निदेशकों ने यह सुझाव देते हुए एक अभ्यावेदन दिया था कि कम्पनी के प्रबन्धकीय नियंत्रण में रूपरूप परिवर्तन, कम्पनी के हितों में वांछनीय है, और अगर सरकार की दो देशत्याज्य उप-प्रबन्ध-निदेशकों की नौकरी को चालू रखने की सहमति संभव नहीं है तो तब अध्यक्ष को दो वर्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए न कि एक वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी अध्यक्ष । 20 सितम्बर, 1973 को कम्पनी को सूचित किया गया था कि दो देश त्याज्य उप-प्रबन्ध निदेशकों, जो 31 मार्च, 1974 को सेवा-निवृत्त होने वाले हैं, को कम्पनी या उसकी किसी भी सहायक में, किसी भी अन्य रूप में नियुक्त न किया जाए। कम्पनी को यह भी सूचित कर दिया गया है कि 31 मार्च, 1974 तक के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर कम्पनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 31 मार्च, 1975 तक कार्य करें।

बिहार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए मांगी हुई वित्तीय सहायता

1910. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को अधिक उत्साह से क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वर्ष 1974 में और अधिक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1974 वर्ष के प्रथम दो महीनों में अर्थात् 28-2-1974 तक, बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम से 114.83 लाख रुपये की ऋण सहायता के लिए 8 स्कीमें प्रायोजित की हैं। इनमें से सात स्कीमों को निगम द्वारा नियत मार्गदर्शन तथा मानदण्डों के अनुसार उनमें संशोधन करने के लिए, राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दिया गया है। एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है। इसे तकनीकी तथा वित्तीय रूप में व्यवहार्य पाये जाने पर निगम द्वारा स्वीकृत कर दिया जायगा।

रेल डिब्बों की कमी के कारण भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में कोयले की सप्लाई का रुक जाना

1911. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल डिब्बों की कमी के कारण भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की स्थिति चौका देने की सीमा तक अनिश्चित हो गई और प्रायः बन्द हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को सुगमता से कोयले की सप्लाई करने के लिए वरीयता के आधार पर रेल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए मालडिब्बों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बार बार के कर्मचारी-आन्दोलनों, केबुलों और दूरसंचार उपस्करों की चोरी, खाद्य संबंधी और अन्य जन-आन्दोलनों आदि के कारण इस्पात कारखानों को कोयले के लदान और उनकी निर्वाध ढुलाई में अभी हाल में व्यवधान पड़ा है।

(ख) जब सामान्य स्थितियां होती हैं तो इस्पात कारखानों को उपलब्ध कोकिंग कोयला पहुंचाने में रेलों को कोई कठिनाई नहीं होती है।

पूर्वोत्तर रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

1912. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वोत्तर रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों ने कोई आन्दोलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में समझौता करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन स्थायी रूप से समाहित करने एवं निरंतर नियोजन, केन्द्रीय वेतन आयोग का वेतनमान देने और वरिष्ठता सूचियां चालू करने आदि के संबंध में अभ्यावेदन समय-समय पर मिलते रहते हैं और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

तेल खोज के कार्य का वितरण

1913. श्री पी० मयावन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल खोज के कार्य के लिये केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर निर्भर न रह कर इस कार्य को अन्य एजेंसियों को वितरित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारत में तेल अन्वेषण का कार्य इस समय 3 संगठनों द्वारा किया जा रहा है। जो इस प्रकार हैं :—

- (1) तेल एक प्राकृतिक गैस आयोग, एक पूर्णरूप में केन्द्रीय सरकार की सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम।
- (2) आयल इण्डिया लि०, जो भारत सरकार एवं बर्मा आयल कम्पनी के समान साझेदारी में एक संयुक्त उद्यम हैं; और
- (3) असम आयल कम्पनी जो पूर्ण रूप में गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनी है।

इसके अतिरिक्त अपने कार्य के आधार पर अंशतः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अंशतः यदि उपयुक्त समझे जायेंगे, अपेक्षित अनुभव विदेशी कृत एवं योग्यताओं के होने पर आंशिक रूप से विदेशी तेल कम्पनियों के सहयोग के साथ अंशतः अपतटीय अन्वेषण कार्य किये जायेंगे।

रूस द्वारा तेल के लिए खुदाई करने वाले रिग्स की सप्लाई

1914. श्री वी० मयावन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या रूस सरकार भारत को तेल के लिए खुदाई करने वाले 18 रिग्स सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है;
- (ख) यदि हां, तो उनके कब तक भारत पहुँचने की संभावना है;
- (ग) उनकी कीमत कितनी होगी;
- (घ) क्या भारत ने अन्य देशों से भी रिग्स सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो वह अन्य देशों से कितनी संख्या में रिग प्राप्त कर सका है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सोवियत रूस के वी/ओ टैक्नोएक्सपोर्ट ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के कुओं के व्यधन संबंधी कई रिगों की सप्लाई की पेशकश नहीं की थी। इस पेशकश के प्रत्युत्तर में कुछ समय पूर्व व्यधन रिगों की सप्लाई के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) रिगों की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की अवधि जून, 1974 से मार्च, 1975 तक है।

(ग) इन तीन रिगों का सी० आई० एफ० भारतीय पत्तन तक कुल मूल्य लगभग 1.30 करोड़ रुपये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) छः रिगों के लिए मैसर्स इण्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट, रूमानिया को आदेश दिए गए हैं। कुछ अन्य देशों द्वारा भी इस संबंध में पेशकश की गई है। इन पर विचार किया जा रहा है।

पेट्रोल पम्प मीटरों में गड़बड़ी करना

1915. श्री एम० एस० पुरती : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि अनेक पेट्रोल व्यापारी दिये जाने वाले मूल्य से कम मात्रा में पेट्रोल की सप्लाई करने के लिए पंप मीटर के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं; और

(ख) क्या इस बारे में कोई मामला दर्ज किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण रेलवे को हुई हानि

1918. श्री वसन्त साठे :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की हड़तालों के फलस्वरूप यात्री तथा माल परिवहन यातायात संबंधी राजस्व में गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने मुट्ठीभर रेल कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की आकस्मिक हड़तालों को रोकने के उपाय के रूप में ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है जो भड़काये जाने के बावजूद भी अपने काम पर लगे रहे, और यदि हां, तो इस योजना का विवरण क्या है; और

(ग) क्या रेलवे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मध्य समुचित ताल-मेल के अभाव तथा विवादों को हल करने के संवैधानिक तरीकों को न अपनाने के कारण पारस्परिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, और यदि हां, तो रेलवे प्रशासन में उन कमियों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 1972 और 1973 के दौरान रेल कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों के कारण माल एवं यात्री यातायात में क्रमशः 1.9 करोड़ और 17.42 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई।

(ख) जी हां। यह विनिश्चय किया गया है कि सेवा-अवधि बढ़ाकर, पुरस्कार और उल्लेखनीय सेवा के लिए अग्रिम वेतन-वृद्धियां देकर निष्ठावान कर्मचारियों की सेवाओं को सम्मानित किया जाये और निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को रेल सेवा में लेने के बारे में प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत अनुकूल विचार किया जाये।

(ग) जी नहीं।

बंगला देश को बिजली देना

1919. श्री बसन्त साठे : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार बंगला देश को बिजली देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार इस समय किस चरण में है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश की सरकारों में दोनों देशों के बीच सम्पर्क रखने तथा पारस्परिक लाभ के लिए ऊर्जा संसाधनों और विद्युत प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए समझौता हुआ है। तदनुसार, भारत बंगलादेश संयुक्त विद्युत समन्वय बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड मई, 1973 से कार्य कर रहा है। दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विद्युत विनिमय की संभाव्यताओं पर विचार करने की दृष्टि से दोनों पक्षों की ओर से आंकड़े एकत्रित करना आरंभ कर दिया गया है।

उद्योगों को तेल सप्लाई में सुधार करने के लिये नई ऊर्जा नीति

1920. श्री बसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की सप्लाई के मामले में बदलती हुई स्थिति से उत्पन्न हुई अनिश्चितता और इसके परिणामस्वरूप इसका प्रयोग करने वाले उद्योगों में व्याप्त घबराहट को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने औद्योगिक गतिविधि वाले सब क्षेत्रों को ईंधन तेल की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये नई ऊर्जा नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) उद्योगों में इस्तेमाल किये जाने वाले मिट्टी के तेल को काफी हद तक कोयले द्वारा बदला जा सकता है। तेल पर आधारित ऐसे उन उद्योगों, जो तकनीकी कारणों से, ऐसा करने में समर्थ हों, द्वारा कोयले का शीघ्र प्रयोग किये जाने के लिये उठाये जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिये सरकार ने स्थाई समिति, जिमकी अध्यक्षता अब तकनीकी विकास के सचिव एवं महानिदेशक करेंगे; का पुनर्गठन किया गया है। समिति उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को मिट्टी के तेल का आवंटन करने के लिये अग्रताएं भी निर्धारित करेगी तथा मिट्टी के तेल एवं ईंधन के प्रयोग में हुई बचत के बारे में की गई प्रगति को बतायेगी।

रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैंडर्डाइजेशन आर्गेनाइजेशन लखनऊ का दर्जा

1921. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित रिसर्च, डिजाइन एण्ड स्टैंडर्डाइजेशन आर्गेनाइजेशन रेल मंत्रालय का एक अंग है या रेल व्यवस्था के अन्य यूनिटों की तरह सहायक संगठन है;

(ख) क्या उक्त आर्गेनाइजेशन भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारी नियमों और सेवा शर्तों के अन्तर्गत आते हैं; और

(घ) इस आर्गेनाइजेशन में कितने नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे हैं, उन के नियोजन की अवधि कितनी है और कितने नैमित्तिक श्रमिकों को अधिकृत वेतनमान मिल रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है।

(ख) जी नहीं, क्योंकि भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के खंड 2 (ड) में दी गई परिभाषा के अनुसार यह 'कारखाना' नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) (1) 973।

(2) काम की अपेक्षाओं के अनुसार उनके नियोजन की अवधि का स्वरूप सविरामी है।

(3) प्राधिकृत वेतनमान पाने वाले नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कोई नहीं।

रेल श्रम अधिकरण, 1969 की सिफारिशों के आधार पर अभी हाल में जारी किये गये आदेशों के अनुसार पात्र नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी ओहदा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सप्ताह में दो बार चलाई जाने वाली नई दिल्ली-वाल्तेयर बोगी को सप्ताह में तीन बार चलाना

1922. श्री के० राम० कृष्ण० रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यातायात में वृद्धि को देखते हुये इस समय सप्ताह में दो बार चलने वाली नई दिल्ली-वाल्तेयर बोगी को सप्ताह में तीन बार चलाने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या वर्तमान बोगी हैदराबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के स्थान पर मद्रास-हावड़ा मेल के साथ जोड़ी जायेगी क्योंकि यात्रियों को विजयवाड़ा में छः घंटे से भी अधिक समय तक रुके रहने के कारण बड़ी असुविधा होती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) 3/4 हावड़ा-मद्रास डाक गाड़ी में सप्ताह में दो बार चलने वाला नयी दिल्ली-वाल्तेयर शयन यान लगाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों में एक और यान लगाने की गुंजाइश नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन

1923. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने सम्मेलन में भाग लिया;

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन फरवरी 1974 में वाशिंगटन में हुआ था। इसमें 13 देशों ने भाग लिया था।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कथित गोली जलाया जाना

1924. श्री राज राज सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री के विरुद्ध उस समय प्रदर्शन आयोजित किये गये थे जब कि वह 29 दिसम्बर 1973 को महाराष्ट्र में जलगांव जिले के उत्तर में फैजपुर जा रहे थे;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल ने कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थीं; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप कई लोग मारे गये थे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जिला जलगांव के फैजपुर गांव में प्रदर्शनकारियों पर राज्य पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति घायल हो गये जिन्हें भुसावल के नगरपालिका अस्पताल में आगे की चिकित्सा हेतु लाया गया । इस घटना से भड़क कर भुसावल के कुछ लोग उत्तेजित हो गये और स्टेशन क्षेत्र की ओर चले जहां उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप स्टेशन की इमारत तथा अन्य रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा । भीड़ ने बुक की हुई कुछ सम्पत्ति को भी लूटा । रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों द्वारा स्टेशन परिसर खाली करने के लिए भीड़ से किये गये बारम्बार अनुरोधों का वांछनीय फल नहीं निकला । इसके विपरीत भीड़ ने जिसकी संख्या लगभग 4000 हो गयी थी फिर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी और उनमें से कुछ ने दूसरी ओर खड़े हुए इंजन से आग गिरा दी । भीड़ ने रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को पूरी तरह से घेर लिया और उनमें से अनेकों को चोटें पहुंचायी । रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र पार्टी को जो वहां पहुंच गयी थी दल को बचाने के लिए जिसे भीड़ ने घेर लिया था हवा में तीन राउन्ड गोलियां चलानी पड़ी । तब भीड़ स्टेशन क्षेत्र से भागने लगी । इस गोलीकांड से प्रदर्शनकारियों में से कोई भी घायल नहीं हुआ ।

(ग) जी नहीं ।

Committee to Enquire into Foreign Interests in Drug Industry

1925. Shri Atal Bihari Vajpayee:

Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a high power Committee has been constituted to go into the involvement of foreigners in drug industry; and

(b) if so, the terms of reference thereof and the progress made in this regard. ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaj Khan) : (a) and (b) A committee to enquire into the various aspects of the drugs and pharmaceuticals industry has been constituted and a copy of Government of India Ministry of Petroleum and Chemicals Resolution dated the 8th February, 1974 containing the terms of reference and the time for the committee to furnish its report is attached. [Placed in the Library. See No. L.T. 6321/74].

लीबिया, सोवियत संघ तथा ईराक के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में चतुर्मुखी करार

1926. श्री सी० जनार्दन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत लीबिया सोवियत संघ तथा ईराक के साथ कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में कोई चतुर्मुखी करार करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स एक्ट लेबोरेटरी की प्रदत्त पूंजी उत्पादन तथा मुनाफा

1927. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत "एक्ट लेबोरेटरी" शत प्रतिशत विदेशी नियंत्रण वाली कंपनी है;

(ख) इस कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, इस कम्पनी द्वारा विभिन्न शीशों के अन्तर्गत कुल कितना मुनाफा कमाया गया और कुल कितनी धनराशि स्वदेश भेजी गयी;

(घ) इस कम्पनी के मुख्य उत्पाद क्या हैं;

(ङ) क्या इस कम्पनी को मिश्रित उत्पाद बनाने की अपनी क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी गई थी जिसके लिये विशेष टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है;

(च) क्या अपने उत्पादों के लिये कम्पनी को अत्यधिक ऊंचे मूल्य रखने की अनुमति दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) मैसर्स एक्टो लेबोरेटरीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड बम्बई के पास 1 लाख रुपये की चुकता पूंजी है और सभी शेयर अमेरिका के मैसर्स एक्टो लेबोरेटरीज के हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कर तथा प्रेषित धनराशियों से पूर्व कुल लाभ निम्नप्रकार रहे हैं :—

कर से पूर्व कुल लाभ :—

1969-70	.	.	.	96.09 लाख रुपये
1970-71	.	.	.	126.22 „
1971-72	.	.	.	101.41 „

प्रेषित धनराशियां (केवल लाभान्श) :—

1970 / 1969-70	.	22.65 लाख रुपये
1971 / 1970-71	.	22.65 लाख रुपये
1971 / 1971-72	.	शून्य

(घ) इस समय यह फर्म विटामिनों एण्टीबायोटिक्स आदि औषध सूत्र योगों का निर्माण कर रही है। इनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ङ) कम्पनी को 1971 में दिये गए सी० ओ० बी० लाइसेंस के अतिरिक्त इरीथ्रोमाइसीन गिबबोरेलिक अम्ल तथा अन्य औषधों का विभिन्न दवाओं में निर्माण करने के लिए 12 मार्च 1970 को एक आश्रय पत्र जारी किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी सहायता, उपकरणों के आयात तथा विदेशी साम्य इस समय की 100 प्रतिशत की दर में कमी से संबंधित शर्तों को सरकार की संतुष्टि के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

(च) इस समय औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्य का नियंत्रण औषध (मूल्य-नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत किया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इन्जेक्सन योग्य :

- (क) बेजेक्टल
- (ख) बेजेक्टल सी लिवर
- (ग) बेजेक्टल टी
- (घ) वेवेडोक्स

तरल पदार्थ

- (क) वैलसिड्राइन
- (ख) कोकन ड्राप्स
- (ग) इन्डोल लिक्विड
- (घ) कालटिन सी-नियोमाइसीन
- (ङ) सेलसन सस्पेंशन
- (च) सबैक्स सीरप
- (छ) टोरफिन
- (ज) विडाइलिन
- (झ) विडाइलिन एम
- (ञ) विडाइलिन ड्राप्स
- (ट) इबेरेट सी

टेबलेट्स

- (क) केविडोक्स
- (ख) कोकोन '500'
- (ग) इरिथ्रोसीन 100 एम जी
- (घ) इरिथ्रोसीन 250 एम जी
- (ङ) इबेरल
- (च) आपटाइलेट्स
- (छ) आपटाइलेट्स एम
- (ज) प्रामाइलेट्स
- (झ) सुकारइल
- (ञ) सर्बीक्स सुबाक्स टी
- (त) सर्बीक्स सुगर कोटेड

कैप्सूल

- (क) नीम्बूटल
- (ख) ट्राइडिओन

ग्रेनुलेस

- (क) इरिथ्रोसीन
- (ख) पोनटोथोल सोडियम

पश्चिम बंगाल रेल यात्री संघ द्वारा दिये गये सुझाव

1928. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल रेल यात्री संघ ने उनके मंत्रालय से निम्नलिखित योजनायें यथा (एक) कलकत्ता क्षेत्र के साथ वैकल्पिक संघर्ष हेतु भागीरथी पर जियागंज होते हुये एक रेलवे पुल (दो) फरक्का पुल को दोहरा करना और (तीन) डिब्रों तथा इंजनों की तुरन्त मरम्मत के लिये पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में एक ब्राड गेज वर्कशॉप आरंभ करने हेतु अनुरोध किया है, और

(ख) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) (1) जियागंज में एक पुल का निर्माण करने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान फरक्का पुल उत्तर बंगाल और असम के बीच रेल सम्पर्क का काम करता है तथा नेहाटी और बण्डेल के बीच वर्तमान जुबली पुल बण्डेल और अजीमगंज के बीच सम्पर्क प्रदान करता है।

- (2) फिलहाल यह आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि मौजूदा सुविधा के वर्तमान यातायात की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं।
- (3) इंजनों और सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक नया कारखाना स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा सुविधाओं से वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

बर्ड हेलजर्स कम्पनी, कलकत्ता

1929. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 1964 में तथा इस समय बर्ड हेलजर्स कम्पनी कलकत्ता के निदेशक-मंडल के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;
- (ख) वर्ष 1964 में तथा इस समय इस कम्पनी के प्रमुख शेयर-धारियों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक के शेयरों का मूल्य कितना कितना है;
- (ग) इस समय उन व्यक्तियों के नियंत्रण में कुल कितनी कम्पनियां हैं तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं;
- (घ) क्या इस कम्पनी पर कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था; और
- (ङ) यदि हां, तो उक्त उल्लंघन का स्वरूप क्या था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बर्ड हेलजर्स कम्पनी के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है। तथापि दो कम्पनियां नामतः बर्ड एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड और हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड (भूतपूर्व एफ० डब्ल्यू हेलजर्स एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं जिनके संबंध में संभवतः माननीय सदस्य निर्देश दे रहे हैं। हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल और मुख्य शेयरधारियों के संबंध में अश्विनी सूचना विवरणपत्र 1 में और जो बर्ड एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड में हैं उनको अनुबद्ध विवरण-पत्र 2 में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6322/74]।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा बर्ड हेलजर्स गृह (अनुबद्ध विवरणपत्र 3) से संबंधित 56 कम्पनियां सूचिवद्ध की गई थीं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6322/74] बर्ड एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से अन्तः संबंधित 16 कम्पनियां एकाधिकार एवं निर्वन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई हैं। (अनुबद्ध विवरणपत्र 4) हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड को अन्तः संबंधित कोई कम्पनी एकाधिकार एवं निर्वन्धकारी व्यापार प्रथा के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6322/74]

(घ) तथा (ङ) हेलजर्स प्राइवेट लिमिटेड में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 और 301 के उल्लंघन देखे गये थे। बर्ड एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4), 301 और 212 के उल्लंघन देखे गये थे। इन कम्पनियों के विरुद्ध सोची गई कार्यवाही विचार के विभिन्न स्तरों पर है। अभी तक इन पर कोई भी अभिप्रोग नहीं प्रारम्भ किया गया है।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की भूमिका के बारे में उसके एक सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य

1930. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया आयोग के एक सदस्य डा० एच० के० परांजपे ने 11 नवम्बर, 1973 में मद्रास में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि यह आयोग अधिनियम में प्रावधित अपनी भूमिका से कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बहूआ) : (क) तथा (ख) डा० एच० के० परांजपे ने 8 नवम्बर, 1973 को मद्रास में एक अध्ययन मंडल की बैठक में भाषण देना सूचित किया है। उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचार, उनके व्यक्तिगत विचार थे।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अमरीकी सहायता

1931. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अमरीकी सहायता के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपनी स्थापना के बाद अब तक राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण निगम 1969 में स्थापित किया गया था। इसने 28-2-74 तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को 618 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 52,931 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 5,58,383 पम्पों के उर्जन के लिए 30038.177 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28-2-74 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीमों की कुल सं०	ग्रामों की सं०	पम्पों की सं०	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपयों)
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	2,560	42,766	2,378.070
2.	असम	12	1,195	566	727.008
3.	बिहार	43	4,832	53,789	2,503.378
4.	गुजरात	28	1,230	34,177	1,235.235
5.	हरियाणा	24	1,365	23,805	915.856
6.	हिमाचल प्रदेश	14	3,788	1,035	639.345
7.	जम्मू व कश्मीर	22	1,955	336	844.746
8.	केरल	16	451	8,436	712.571

9. कर्नाटक	29	1,972	21,377	1,338.585
10. मध्य प्रदेश	73	3,354	84,263	2,756.143
11. महाराष्ट्र	44	3,609	52,816	2,657.979
12. मेघालय	2	63	45	47.205
13. उड़ीसा	40	3,230	33,296	1,657.064
14. पंजाब	30	3,293	38,659	1,574.012
15. राजस्थान	44	2,443	49,541	2,144.843
16. तमिलनाडु	37	3,120	44,784	1,373.081
17. उत्तर प्रदेश	69	8,046	44,544	3,927.771
18. पश्चिमी बंगाल	41	6,425	24,148	2,605.284
कुल .	618	52,931	558,383	30,038.177

सऊदी अरब द्वारा तेल का मूल्य घटाने का निर्णय

1932. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सऊदी अरब ने कच्चे तेल के मूल्य घटाने का निर्णय किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;
- (ग) क्या भारत ने उस देश से अधिक कच्चा तेल सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हां, तो इस पर सऊदी अरब की क्या प्रतिक्रिया रही ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1974-75 के दौरान अधिक अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए विचार विमर्श किये जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की योजना

1933. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कोयाली शोधनशाला की क्षमता को 7.3 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है। विस्तार परियोजना पर 28.08 करोड़ रुपये तक लागत खर्च आने का अनुमान है तथा इसके वर्ष 1977 के पूर्वार्ध में पूर्ण होने की आशा है। मद्रास शोधनशाला की क्षमता को 0.8 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाने का कार्य विचाराधीन है। बरौनी शोधनशाला की आयातित खनिज तेल पर जिसमें संबंधित गंधक की मात्रा अधिक होगी। क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए संशोधन कार्य किया जा रहा है। इस समय देश की अन्य शोधनशालाओं की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन 'हाल्दिदा, बोगाईगांव, और मथुरा में क्रमशः 2.5, 1.0 और 6 मिलियन मीटरी टन क्षमता की शोधनशालाएं लगाई जा रही हैं।

नेफ्था और भट्टी तेल की खरीद

1934. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेफ्था और भट्टी तेल के भारी मूल्य के कारण इसको खरीद नहीं सका है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान विश्व बाजार में शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत अभाव रहा है। ये उत्पाद, विशेषकर नेफ्था, डीजल आयल तथा भट्टी के तेल बहुत अधिक मूल्यों पर भी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, इस समय विश्व बाजार में उत्पादों, विशेषकर भट्टी के तेल की उपलब्धि में सुधार होने के संकेत हैं, लेकिन गत वर्ष की तुलना में मूल्य अधिक हैं। अब तक के पूर्वानुमानों की तुलना में नेफ्था की मांग में कमी होने से तथा घरेलू मूल्यों में मोटर गैसोलीन की मांग घट जाने से, इस वर्ष अभी तक विश्व बाजार से और नेफ्था आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में निर्मित डीजल इंजनों का सुधार

1935. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री आर० बी० उलगनम्बी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के वर्तमान संकट को देखते हुए रेलवे इंजनों की व्यापक दक्षता को बढ़ाने के लिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी इस समय उन इंजनों में सुधार करने के प्रयास कर रहा है;

(ख) किस प्रकार से सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या डीजल लोकोमोटिव इंजनों के उत्पादन दर को भी कम कर दिया गया है; और

(घ) गत दो वर्षों में वाराणसी वर्क्स में प्रत्येक वर्ष कितने लोकोमोटिव बनाये गये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) (i) उच्च गति वाले डीजल की किफायत करने के उद्देश्य से भारतीय रेलों का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन शुरू में उच्च गति वाले डीजल तेल को हल्के डीजल तेल के साथ मिलाने की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए बेंच परीक्षण कर रहा है। उच्च गति वाले डीजल की कीमत हल्के डीजल तेल की कीमत से कुछ

अधिक है अतः इसका सम्बन्ध धन की किफायत से है कार्य कुशलता में सुधार से नहीं जैसा कि प्रश्न में परिकल्पना की गयी है। हल्के डीजल तेल में गंधक का अंश अपेक्षाकृत अधिक रहता है जो डीजल इंजनों के लिए हानिकर है। इसलिए जब तक बेंच परीक्षण पूरे नहीं हो जाते तब तक इस विषय पर कोई पक्का निर्णय लेना जल्दबाजी होगी।

(ii) पुर्जों का विशेष रूप से इंजन की समग्र कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले पुर्जों का देश में ही निर्माण करने के लिए डीजल रेल इंजन कारखाने द्वारा सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

(ग) अभी तक तेल संकट के कारण डीजल रेल इंजनों के उत्पादन की रफ्तार को धीमा नहीं किया गया।

(घ) पिछले दो वर्षों में डीजल रेल इंजनों का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

मुख्य लाइन के डीजल-बिजली रेल इंजन

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	जोड़
1971-72	70	35	105
1972-73	60	35	95

Justification for Issue of First Class Passes

1936. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 77 on the 19th February, 1974 regarding issue of First class Railway passes and state the justification for issuing the complimentary passes?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): Persons organisations who deserve them on the basis of the work that they do either for the Railways or the country, are issued such complimentary passes.

कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों की प्रतिक्रिया

1937. **श्री अनंतराव पाटिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने 24 दिसम्बर, 1973 को अपनी रिपोर्ट भेजी थी जिसमें उनके द्वारा पता लगाए गए तथ्य तथा उनको निर्दिष्ट मामलों पर उनके निर्णय दिए हैं। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार यदि किसी राज्य सरकार की यह राय हो कि निर्णय में दी गई अमुक बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अथवा न्यायाधिकरण को मूलतः निर्दिष्ट न होने वाले मामले पर निर्देशन की आवश्यकता है तो निर्णय की तिथि से तीन महीनों के अन्दर इस मामले को फिर न्यायाधिकरण को पुनः विचार करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे मामले पर न्यायाधिकरण स्पष्टीकरण अथवा निर्देशन को देने हुए जैसाकि वे उचित समझें, एक और रिपोर्ट भेज सकता है तथा ऐसे मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

भारत सरकार को किसी भी राज्य सरकार से अभी तक कोई ऐसा मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय

1938. श्री अनंतराव पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण अपना निर्णय कब तक घोषित कर देगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सभी सम्बद्ध राज्यों के अभिवचन पूरे हो गए हैं तथा बड़ी संख्या में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये हैं। न्याय निर्णयन कार्यवाही प्रगति पर है। जबकि न्यायाधिकरण द्वारा, यथा व्यवहार्य, कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में सुनवाई कब तक पूरी हो जाएगी तथा कब तक न्यायाधिकरण अपना निर्णय देने की स्थिति में हो जाएगा।

मद्रास में ट्यूब रेलवे

1939. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और कलकत्ता के अतिरिक्त मद्रास में भी ट्यूब रेलवे का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी तक मद्रास के लिए जो याता-यात अध्ययन किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 1991 के लिए बनायी गयी शहरी विकास योजना यदि लागू की जाये तो संभवतः मद्रास नगर के लिए एक या दो गलियारों में द्रुत परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होगी।

(ख) राज्य सरकार ने मद्रास महानगर क्षेत्र में 1981 के लिए यात्रा पूर्वानुमान से सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तावित की है। योजना आयोग के महानगर परिवहन दल द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि 1981 तक कोई द्रुत परिवहन प्रणाली पर आवश्यक है या नहीं। यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में गैस का उत्पादन बंद करना

1940. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में 4 और 5 फरवरी, 1974 को गैस का उत्पादन पूरी तरह से बन्द था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) गैस की सप्लाई को बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

ईरान द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई

1941. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि उसे कम कीमत पर अशोधित तेल की निरन्तर सप्लाई की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो ईरान द्वारा अशोधित तेल कितने मूल्य पर उपलब्ध किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) ईरान के साथ की गई द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर उससे अशोधित तेल लेने का प्रस्ताव है। उसका विवरण देना जनहित में ठीक नहीं है।

फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सुझावों के अनुरूप एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन

1942. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में किन्हीं संशोधन का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार का क्या निर्णय है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1972, जिसमें साथ साथ, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम को भी संशोधन करने में कुछ सुझाव हैं, पर नियुक्त संयुक्त समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। संयुक्त समिति को, मंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करने तथा मंडल द्वारा दिये गये कतिपय सुझावों के बारे में इससे साक्ष्य प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन पर कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 की संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य (माक्ष्य ग्रंथ खण्ड 1) के पृष्ठ 209 से 241 पर चर्चा हुई थी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचारार्थ है।

ऊर्जा संकट विषयक सम्मेलन के लिये अमरीकी निमंत्रण

1943. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के राष्ट्रपति से ऊर्जा संकट विषयक सम्मेलन के लिए कोई आमंत्रण प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंडलों के स्टेशन मास्टर्स एवं सहायक स्टेशन मास्टर्स द्वारा हड़ताल

1944. श्री पीलू मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी, इजतनगर और समस्तीपुर मंडलों के स्टेशन मास्टर्स एवं सहायक स्टेशन मास्टर्स ने बेहतर सेवा शर्तों की कुछ मांग लेकर हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यह आंदोलन करने वाले रेलवे कर्मचारियों की मांगों का सारांश क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मंडलीय बैठक के लिए वाराणसी में उपस्थित वाराणसी मंडल के कुछ सहायक स्टेशन मास्टर्स और वाराणसी के मंडल कार्मिक कार्यालय के एक विल क्लर्क के बीच कुछ कहा-सुनी हो जाने के परिणामस्वरूप वाराणसी मंडल के सहायक स्टेशन मास्टर्स ने 20-9-73 को 02.00 बजे से सामूहिक रूप से बिमार होने की रिपोर्ट कर, काम बन्द कर दिया। बाद में, इस आंदोलन से लखनऊ, इजतनगर और समस्तीपुर मंडल भी प्रभावित हो गया। उनकी मुख्य मांग यह थी कि सहायक स्टेशन मास्टर्स से कार्य व्यवहार करने वाले वाराणसी मंडल की कार्मिक शाखा के कतिपय विल क्लर्कों को तत्काल स्थानांतरित किया जाये और मंडल के कार्मिक शाखा का विकेन्द्रीकरण किया जाये।

(ग) मांगों को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

कुरेशी समिति

1945. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरेशी समिति की नियुक्ति कब की गई थी और इसके निर्देश पद क्या हैं;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी नियुक्ति को 6 सप्ताह के भीतर ही अपना प्रतिवेदन देना था; और यदि हां, तो समिति की बैठक वास्तव में कितनी बार हुई और यदि अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं और समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दे देगी; और

(ग) क्या समिति के गठन में परिवर्तन किया जा रहा है; और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कुरेशी समिति मध्य-अगस्त, 1973 में नियुक्त की गयी थी। इसे लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा आंदोलन वापस लेने के 6 सप्ताह के भीतर उनके लिए 10 घंटे तक काम का नियम लागू करने के ढंग और तरीके निकालने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा, कुछ अन्य शिकायतों के बारे में बातचीत करने और उनका निबटारा करने के लिए कहा गया था। समिति की पहली बैठक 23 अगस्त, 1973 को हुई और उसके बाद छः बैठकें हुईं। अन्तिम बैठक 20 जनवरी, 1974 को समाप्त हुई। चूंकि छः सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर 10 घंटे तक काम का नियम लागू करने के ढंग और तरीके निकालने के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका इसलिए, इसके बाद भी इस विषय पर बातचीत जारी रखनी पड़ी और अभी भी जारी है। प्रारम्भ में समिति में अध्यक्ष तथा सरकारी और कर्मचारी दोनों पक्षों में प्रत्येक के पांच-पांच सदस्य थे। श्रम मंत्रालय के एक प्रतिनिधि का भी बैठकों में उपस्थिति होना अपेक्षित था। जनवरी, 1974 में कर्मचारी पक्ष का एक अनिरीक्त प्रतिनिधि भी शामिल कर लिया गया था।

शिकायतों के निपटान के लिए रेलवे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र

1946. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों के रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए परामर्शदात्री तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों से भिन्न अलग ढंग से पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए किम पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है; और

(ग) यदि इस समय ऐसा कोई तंत्र विद्यमान नहीं है, तो निकट भविष्य में इस प्रकार के तंत्र की स्थापना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड से वार्ता करने की सुविधा प्राप्त रेलवे के दोनों श्रम संगठनों नामतः आल इण्डिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन को इस तंत्र के कर्मचारी पक्ष में बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रतिनिधित्व रेल कर्मचारियों की कोटियों के अनुसार नहीं दिया जाता बल्कि यह केवल उनकी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के माध्यम से दिया जाता है। चूंकि रेल कर्मचारियों की अनेक कोटियां हैं, अतः कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि को प्रतिनिधित्व देने के लिए किसी अन्य तंत्र की स्थापना करना सरकार व्यावहारिक नहीं समझती। मिश्रित रूप से दोनों फेडरेशन कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गैस की कमी को दूर करने के लिए इसका उत्पादन

1947. श्री शंकर राव सामन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना बनाने की गैस की कमी होने के क्या कारण हैं तथा यह कमी कितनी हुई है ;

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या तेल शोधक कारखानों में उत्पन्न होने वाली खाना बनाने को संपूर्ण गैस का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कुछ मामलों को छोड़कर देश में वर्तमान ग्राहकों के लिए हाल ही में कुकिंग गैस को सामान्य रूप से कमी होने की सूचना नहीं मिली है। एकम कोयाली परिष्करणशाला के अन्तर्गत आने वाले कतिपय क्षेत्रों में अक्तूबर दिसम्बर, 1973 में कुछ कमी हुई। यह कमी परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के कारण हुई। ये समस्याएं हड़तालों तथा बाढ़ों और कोयाली परिष्करणशाला के कामगारों द्वारा "नियमानुसार" कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई। गुजरात में हाल ही में कुछ क्षेत्रों को होने वाली सप्लाई पर प्रभाव पड़ा। परन्तु नए ग्राहकों द्वारा उत्तरोत्तर वर्तमान उत्पादन तथा विपणन क्षमता से कहीं अधिक मांग की जा रही है।

(ख) सभी परिष्करणशालाओं में एल०पी०जी० उत्पादन को अधिकतम करने तथा आवश्यक विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। सिलिंडरों की सप्लाई को बढ़ाने की दृष्टि से इस्पात के आयात की अनुमति भी दी गई है।

(ग) तथा (घ) परिष्करणशालाओं में पैदा की जाने वाली सम्पूर्ण गैस का उपयोग इस समय अधिकांशतया घरेलू ईंधन के रूप में तथा कुछ सीमा तक स्वयं परिष्करणशाला ईंधन के रूप में बेचे जाने में किया जा रहा है परन्तु कोचीन, कोयाली तथा गोहाटी परिष्करणशालाओं में ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली कुछ गैस को घरेलू कार्यों के लिए बेचने की भी गुंजाइश है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

विद्युत् उत्पादन की लागत

1948. श्री शंकर राव सामंत : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतः (एक) जल स्रोतों (दो) तेल पर आधारित तापीय स्रोतों (तीन) कोयले पर आधारित तापीय स्रोतों और (चार) विभिन्न ईंधनों के प्रयोग पर आधारित आणविक स्रोतों द्वारा बिजली उत्पादन की प्रति एकक क्या लागत है;

(ख) क्या भारत को विद्युत् उत्पादन की चारों प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी है;

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कहां से तथा किस सीमा तक प्राप्त होती है; और

(घ) पांचवीं योजनावधि में प्रत्येक स्रोत के अन्तर्गत कितनी बिजली पैदा की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पहले से ही पूर्ण की गई परियोजनाओं से भारत में उत्पन्न विद्युत् की प्रति यूनिट लागत का सामान्य स्तर इस प्रकार है :—

(आंकड़े पैसे/यूनिट)

(1) जल विद्युत् .	1.5 से 4
(2) ताप (कोयले पर आधारित)	
1. खान-क्षेत्रों में	4 से 6
2. अन्य स्थानों पर	6 से 11
(3) ताप (तेल पर आधारित)	10
ताप डीजल सेट .	25 से 50
(4) परमाणु (75 प्रतिशत संयंत्र अनुपात पर)	
1. नारापुर (संबन्धित युरेनियम प्रयोग)	5.1
2. राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना (प्राकृतिक युरेनियम प्रयोग)	8

(ख) चारों प्रकार के विद्युत्-उत्पादन के लिए पूर्ण तकनीकी ज्ञान देश में ही उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

	(मिलियन कि०वा० में)
जल विद्युत	6.4
ताप]	9.4
परमाणु]	0.7
योग	16.5 मिलियन — किलोवाट

मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन तथा आयात

1949. श्री शंकर राव साबन्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने मिट्टी के तेल का आयात किया गया तथा देश में इसका कितना उत्पादन किया गया है ;

(ख) इस अवधि के दौरान आमतौर पर किन देशों से मिट्टी के तेल का आयात किया गया था तथा कितना किया गया ; और

(ग) मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) अलग अलग उत्पादों के उत्पादन/आयात के सम्बन्ध में सूचना गोपनीय रखी गई है अतः उसे बताया नहीं जा सकता ।

(ग) विश्व बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की आमतौर पर कभी और मूल्य मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण गत कुछ महीनों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा । अतः देश की अर्थ व्यवस्था में पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । तथापि अंशोधित तेल के अधिकतम आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा के दबाव के भीतर ही तथा यथा सम्भव उत्पादों को परिशोधित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस बीच राज्य सरकारों को माहवार आवंटन सहित पूर्ण रूप से सूचित किया गया है तथा उनसे कहा गया है कि वे आवंटित मात्राओं के बारे में समान वितरण को सुनिश्चित करे तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी व स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लेने को दूर करने के लिए भी उचित कार्यवाही करें ।

हुबली-करवार रेल योजना का परिव्यय

1950. श्री बी० वी० नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली-करवार रेल योजना का परिव्यय अब तक कितना रहा है ; और

(ख) हुबली-करवार रेल योजना कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । चूंकि अभी परियोजना के लिए स्वीकृति नहीं दी गयी है इसलिए बजट में कोई परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लूमडिंग के दूर संचार संचार/टेस्ट रूम का रख-रखाव करने वालों को देय राशि का भुगतान करने में विलम्ब

1951. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूमडिंग के दूर संचार/टेस्ट रूम का रख-रखाव करने वाले कर्मचारी वर्ष 1970 से समयोपरि भत्ते के भुगतान की मांग रहे हैं जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पैरा संख्या 3505/5(ए) में दिये गये नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हैं;

(ख) क्या डिवीजन की कार्मिक शाखा ने 20 अप्रैल, 1971 को आवश्यक कार्य-विश्लेषण किया था और इनके दावों को न्यायोचित पाया था; और

(ग) यदि हां, तो इनके दावों के निपटान में असामान्य विलम्ब करने के क्या कारण हैं और प्रशासन द्वारा इन कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

रेल-संवालय में उप मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण

1952. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अजय नदी तथा अजय नदी में मिलने वाली कुनूट नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए पांचवीं योजना में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अजय नदी पर पहले ही निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण स्कीमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के निर्माणाधीन हैं :—

- (1) बीरभूम जिले में 14.92 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर झंडा से घोदाह तक अजय वाम तटबन्ध का दृढ़ीकरण;
- (2) वीरभूम जिले में 14.02 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर घोदाह से जहानाबाद तक अजय वाम तटबन्ध का दृढ़ीकरण;
- (3) बर्दवान जिले में 31.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुरोवा से लखूरिया तक अजय दक्षिण तटबन्ध का दृढ़ीकरण;
- (4) बर्दवान जिले में 23.36 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर लखूरिया से सगीरा तक अजय दक्षिण तटबन्ध का दृढ़ीकरण। इन स्कीमों को पांचवीं योजना के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल के पांचवीं योजना प्रस्तावों में निम्नलिखित नई स्कीमों को अस्थायी तौर पर शामिल किया गया है :—

- (1) बर्दवान जिले में 6 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अजय और भागीरथी नदियों के उमड़ाव से कटवा नगर की बाढ़ से सुरक्षा;

(2) वर्दवान जिले में 3.8 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कुन्नूर निकास स्कीम।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तंजौर जिले में मिट्टी का परीक्षण

1953. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में मन्नरगुडी क्षेत्र की मिट्टी का प्रयोगशाला परीक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो परीक्षण कब तक पूरे हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तमिल नाडु के जिला तनजोर के मन्नरगुडि में कूप से प्राप्त तेल नमूने का प्रयोगशाला परीक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) यह नमूना अशोधित तेल नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एस्सो यूनिटों का पुनर्गठन करके हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम की स्थापना

1954. श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री सी० के० जधिर शरीफ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन एस्सो कम्पनियों—भारत में पंजीकृत एस्सो रिफाइनरी कम्पनी, एस्सो ईस्टर्न इनकारपोरेटेड की शाखा—एस्सो मार्कीटिंग आपरेशंस तथा लूब इण्डिया—को पुनर्गठित करके तथा एक साथ मिला कर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के नाम से एक संयुक्त क्षेत्रीय एकक बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो आस्तियों के मूल्यांकन और मुआवजे के भुगतान के बारे में मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) एस्सो के साथ हुए समझौते में अन्ततः अर्थात् इस के लागू होने की तारीख से 7 वर्षों के पश्चात् 100 प्रतिशत आधीनीकरण की व्यवस्था है। प्रारम्भ में सभी तीनों कार्य कलापों, अर्थात् विपणन, शोधनशाला एवं लूब इण्डिया में करों को निकाल कर 15.40 करोड़ रुपयों की कुल लागत से 74 प्रतिशत भाग लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा करों का भुगतान रुपयों में देना होगा। यह राशि निम्नलिखित ढंग से देय है:—

(i) 1.84 करोड़ रुपये करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख पर।

(ii) एक वर्ष का विलम्बकाल; अतः 1974-75 में केवल 0.88 करोड़ रुपये के व्याज का भुगतान। इसके अतिरिक्त 1974-75 के दौरान, एस्सो द्वारा पूंजीगत लाभ कर एस्सो द्वारा दिया जायेगा लेकिन करार के अनुसार पूंजीगत लाभ पर कर एस्सो द्वारा देय होगा और इस का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। इसका अनुमान 5.39 करोड़ रुपये है।

- (iii) 1975-76 से 1980-81 तक प्रत्येक वर्ष 2.26 करोड़ रुपये की राशि और घटी हुई शेष राशि पर ब्याज देना पड़ेगा।
- (iv) 1981 में एस्सो का शेष 26 प्रतिशत भाग शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाएगा अर्थात् 2.6 करोड़ की राशि पर। इस प्रकार 100 प्रतिशत अधिग्रहण का कुल मुआवजा जो बाहर भेजा जा सकता है 18 करोड़ रुपये और ब्याज होगा।

Strength of Doctors in Railway Hospital, Kotah (Western Railway)

1956. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Railways be pleased to state:

- (a) the number of doctors working in the Western Railway Hospital, Kotah;
- (b) their duties separately; and
- (c) the duties of AMOs and DMOs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) 17 (1 Divisional Medical Officer and 16 Assistant Medical Officers).

(b) One each in the following specialities :—

Surgeon, Pathology, Gynaecology, Radiology, Anaesthesiology, Ophthalmology, Family Planning and Dental Surgeon (part-time). They are looking after their respective specialities. The rest are general duty doctors. The D.M.O. is over-all incharge of the Division.

(c) These are given in Section B of Chapter II of the Indian Railway Medical Manual, which is a priced publication, and copies of which have already been furnished to the Lok Sabha Secretariat.

Cultivation on Farm Attached to Railway Hospital, Kota (Western Railway)

1957. Shri Onkarlal Berwa: Will the Minister of Railways be pleased to state:

- (a) the quantity of wheat, rice and vegetables produced during the last three years in the farm attached to the Kota Railway Hospital;
- (b) whether this farm is now lying unused for want of labour and if so, since when;
- (c) whether Government will lose Rs. 5,000/- per year as a result thereof; and
- (d) the action Government propose to take to avoid the loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The quantity of wheat, rice and vegetable produced during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 is as follows:

Production	1970-71	1971-72	1972-73
Wheat	1,550 Kgs	2,000 Kgs	1,540 Kgs
Rice (paddy)	1,968 Kgs	1,584 Kgs	715 Kgs (less rice paddy produce due to shortage of water)
Vegetable amounting to .	Rs. 1,800/-	Rs. 1,200/-	Rs. 900/-

(b) No.

(c) and (d) Does not arise.

Power cut in Gujarat

1958. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether the 50 per cent cut in the power supply to the urban areas of Gujarat was due to the sudden closure of unit of Dhuvaran power station and a unit of Atomic power station; and

(b) if so, the reasons for closing down of these units ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) Due to forced outage of one generating unit at Dhuvaran Thermal Power Station from 26th January to 7th February and shutdown of one unit at the Tarapur Atomic Power Station from the 1st February to 8th February 1974, some restrictions in power supply were imposed in Gujarat during that period.

(b) Unit No. 6 at the Dhuvaran Thermal Power Station had to be closed down due to leakages developing in the boiler super heater tubes. Unit No. 2 at the Tarapur Atomic Power Station went out of service due to leakages developing in the condenser.

India seeking cooperation of Britain and Norway for Oil Exploration

1959. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether Government of Britain and Norway have discovered large oil reserves in their respective countries in a short period and they hope to become self-sufficient in this respect;

(b) if so, whether Indian Government have contacted those countries with a view to expedite and promote the work of exploration of oil in India; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Large oil reserves are reported to have been discovered in the North Sea offshore areas of Britain and Norway. It is not known, at this stage, if these discoveries will be enough to make these countries self-sufficient in respect of oil.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

ठेकेदारों द्वारा रेल गाड़ियों में सप्लाई किए जाने वाले भोजन की खराब किस्म

1960. श्री एस० एम० बनर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदारों द्वारा रेल गाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन की किस्म और खराब हो गई है;

(ख) क्या विभागीय खान-पान व्यवस्था द्वारा सप्लाई की जाने वाली भोजन की किस्म ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन से बेहतर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) 1967 की रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति में विभागी और ठेके वाली खान-पान सेवाओं के सापेक्षिक गुणावगुणों पर विचार किया था। उस समिति का मत था कि विभागी खान-पान व्यवस्था ठेकेवाली व्यवस्था की तुलना में अच्छी सेवा प्रदान करती है। लेकिन उसने सिफारिश की थी कि रेलों को अपनी वर्तमान सेवा सशक्त बनानी चाहिए और अपने सेवा-क्षेत्र का विस्तार करने से पहले भोजन की किस्म और सेवा का स्तर सुधारना चाहिए।

(ग) रेलों द्वारा ऐसी कुल 50 जोड़ी गाड़ियों में से जिनके साथ भोजन/रसोई/बुफे कार चलती हैं 26 जोड़ी गाड़ियों में खान-पान सेवा पहले ही चलाई गयी है। गाड़ियों में विभागी खान-पान सेवा का आगे विस्तार करने के बारे में रेलवे खान-पान और सुविधा समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर चयन के आधार पर विचार किया जायेगा।

रेलवे आरक्षण समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

1961. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आरक्षण समिति द्वारा पेश किया अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिवेदन कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6323/74]।

कानपुर में दो उपरि पुलों के निर्माण का आश्वासन

1962. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में दो उपरिपुलों के निर्माण के संबंध में भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसके लिए कोई धनराशि की मंजूरी की है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : पनकी, कानपुर में लखनऊ झांसी सड़क पर समपार सं० 81-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल खास पर रेलवे के हिस्से का 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस्पात की कमी के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। लेकिन काम की गति राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहे पहुँच मार्गों के निर्माण की प्रगति के अनुरूप है।

कानपुर में पूरे समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे के हिस्से की लागत पूरी करने के वास्ते अनुमानित खर्च की मंजूरी दे दी गयी है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने अपने हिस्से की लागत वहन करने की स्वीकृति नहीं भेजी है। जैसे ही राज्य सरकार अपने हिस्से की लागत वहन करने के लिए सहमत हो जायेगी और साथ ही पहुंच मार्गों पर अपने हिस्से का काम शुरू कर देगी, यह काम शुरू कर दिया जायेगा।

दोनों ऊपरी सड़क पुलों के संबंध में रेलवे के हिस्से का खर्च पूरा करने के लिए 1973-74 और 1974-75 के बजट में आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल और बरकाला (केरल) में अतिरिक्त स्टेशन सुविधाएं

1963. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल और बरकाला (केरल) में अतिरिक्त स्टेशन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावों के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं :—

तिरुवन्तपुरम सेन्ट्रल—एरनाकुलम-तिरुवन्तपुरम सेन्ट्रल खण्ड के, मीटर लाइन से बड़ी लाइन में, आमामान परिवर्तन के फलस्वरूप, पूरे यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने और तिरुवन्तपुरम सेन्ट्रल पर एक द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

बरकाला—स्टेशन के इमारत के एक भाग के ढांचे में परिवर्तन, पानी-व्यवस्था में सुधार और मुख्य लाइन के प्लेटफार्म का विस्तार ताकि उन पर अधिक डिब्बों वाली गाड़ियों को ठहराया जा सके।

रेलवे यात्रियों को गर्म भोजन देने की योजना

1964. श्री गजाधर माझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे यात्रियों को गर्म भोजन देने की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) क्या यह योजना लागू कर दी गई है और यदि हां, तो इस योजना को किन-किन रेलगाड़ियों में लागू किया गया है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 'परोसने के लिए तैयार' भोजन उठाने की योजना से है जिसके अंतर्गत स्टेशनों के भोजनालयों में पकाया गया भोजन गरम बक्सों में रख दिया जाता है और बाद में गाड़ियों की पैट्री कारों में रबे हुए गरम बक्सों में अंतररित कर दिया जाता है ताकि भोजन के समय यात्रियों को दिया जा सके।

यह योजना निम्नलिखित गाड़ियों में चालू की गयी है :—

(i) नयी दिल्ली और बम्बई के बीच 3/4 फ्रंटियर मेल।

- (ii) नयी दिल्ली और बंबई के बीच 25/26 वातानुकूल/पश्चिम एक्सप्रेस।
- (iii) नयी दिल्ली और मद्रास के बीच 15/16 ग्रांड ट्रंक/वातानुकूल एक्सप्रेस।
- (iv) दिल्ली और मुगलसराय के बीच 1/2 हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल।
- (v) नयी दिल्ली और समस्तीपुर के बीच 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस।
- (vi) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच 31/32 जयन्ती जनता एक्सप्रेस।

रेलवे कर्मचारियों की दस घंटे की ड्यूटी की समस्या का अध्ययन

1965. श्री एस० ए० मरुगनन्तम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरेशी समिति ने रेलवे कर्मचारियों की दस घंटे की ड्यूटी की समस्या के लिये संयुक्त "व्यावहारिक" अध्ययन शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे ड्यूटी का कार्यान्वयन 3 वर्ष से कम की अवधि में पूरा किया जा सकता है। संचालन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों वाले चार रेल मंडलों का व्यावहारिक अध्ययन करने तथा लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे ड्यूटी के कार्यान्वयन के संबंध में रेलों द्वारा बनायी गयी सभी योजनाओं का भी अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

सिकन्दराबाद में एक अलग रेलवे सेवा आयोग स्थापित करना

1966. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि सिकन्दराबाद में रेलवे सेवा आयोग का अलग से कार्यालय खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : 1974-75 के दौरान सिकन्दराबाद में एक रेल सेवा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विजयवाड़ा-मद्रास रेल लाइन का विद्युतीकरण

1967. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी

श्री एम० कतामुतु

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा-मद्रास रेलवे लाइन की विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा?

रेलमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत 433 किलोमीटर मार्ग-दूरी शामिल है और इस पर 32.55 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ग) इससे सम्बन्धित काम पहले से ही चल रहा है। आशा है, 1977-78 तक यह पूरा हो जायेगा।

बंकर ईंधन का राशन

1968. श्री बाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री एम० कातमूतु :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंकर ईंधन का राशन करने के लिए तेल कम्पनियों और पत्तन अधिकारियों के प्रतिनिधियों की समितियों नियुक्त की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) ; इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई तथापि अनौपचारिक व्यवस्था कर दी है कि जिससे तेल कम्पनियां व्यवसायी जहाजों के लिए सप्लाई किए जाने वाले बंकरों की मात्रा और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए पत्तन प्राधिकारियों और महानिदेशक जहाजरानी की मदद लेती है।

Additional facilities provided in Third Class Compartment

1969. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the additional facilities provided in the third class compartments during the last three years; and

(b) the extent to which third class fares after every 100 K.m. were raised during this period, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The provision of additional facilities in Third class compartments is a continuous process. Facilities are provided in accordance with the standard laid down in the Schedule of Amenities which are periodically reviewed by Special Committees to suggest further improvements. Some of the improvements effected during the last three years are as under :—

- (i) Providing safe-guards against theft and pilferage of amenity fittings, to ensure greater benefit to the Third class passengers;
- (ii) Instructions have been issued to eliminate the luggage enclosures provided in Sleeper Coaches and to provide, in lieu, additional berths/seats. This change was considered necessary as it was found that the luggage enclosures were not being utilised properly;
- (iii) Improved water taps of the 'self-closing' type have been fitted in a large number of Third class coaches to avoid wastage of water;
- (iv) Improved drainage arrangements for lavatory floors of Third class coaches have been provided; and
- (v) To mitigate the effects of extremes of climate, improved thermal insulation of Third class steel bodied coaches, using indigenous glass-wool mattresses, have been taken up as a trial and fitted to some coaches. This envisages thermal insulation of the sides and floors of the coaches, besides insulation of roofs as is presently being done.

(b) A statement showing the third class Mail/Express and Ordinary fares for distance at each 100 kilometres stage upto 2000 kilometres during the last three years is attached [Placed in the Library. See No. L.T. 6324/74].

Complaints received in regard to Election held in U.P. and Orissa

1970. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints in regard to elections held recently in Uttar Pradesh and Orissa; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रेलवे कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक मानना

1971. श्री नारायण चन्द पाराशर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक मानती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रमुख सरकारी उद्योगों में औद्योगिक श्रमिकों को उपलब्ध सुविधाएं अधिकरण एवं सुभीते उन्हें देने को तत्पर है ;

(ग) क्या अन्य औद्योगिक श्रमिकों की तरह रेलवे कर्मचारियों की भी बोनस दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों की विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के उपबंधों और साथ ही उन पर लागू होने वाले केन्द्रीय श्रम कानूनों द्वारा विनियमित होती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी उद्योगों को जिनमें भारतीय रेलें शामिल हैं, सांविधिक रूप से बोनस-भगतान अधिनियम, 1965 के उपबंधों से अपवर्जित रखा गया है इसलिए, भारतीय रेलों के कर्मचारियों के कोई बोनस नहीं दिया जाता।

उत्तर रेलवे जोन के लिए विक्रेता लाइसेंसों का आबंटन

1972. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विक्रेता लाइसेंसों का आबंटन करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या प्रक्रिया अपनाई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी, 1974 तक उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में, डिवीजन-वार, उन व्यक्तियों और पार्टियों के नाम, पते तथा अन्य व्यौरा क्या हैं, जिन्हें विक्रेता लाइसेंस आबंटित किये गये हैं ;

(ग) क्या लाइसेंसों के आवंटन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किस बारे में हैं; और

(घ) क्या उन अनुभवी व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने पहले रेलवे में विवेता के रूप में कार्य किया था?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बैडिंग के ठेके मंडल अधीक्षक द्वारा दिये जाते हैं सामान्य कार्यविधि यह है कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर तथा स्थानीय प्रचार के माध्यम से प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं। मंडल अधीक्षक द्वारा एक प्रवरण समिति नियुक्त की जाती है जिसके दो वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों में से एक मंडल वाणिज्य अधीक्षक होता है। यह समिति विभिन्न उम्मीदवारों के गुणावगुण, जैसे अनुभव, वित्तीय स्थिति, संतोषजनक ढंग से काम करने की योग्यता, आदि के सम्बन्ध में जांच करती है और इसकी सिफारिश पर मंडल अधीक्षक द्वारा सत्रे अग्रिम उपयुक्त पार्टी को ठेका दिया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6325/74]

(ग) केवल एक शिकायत मिली थी। यह शिकायत भगतावाला स्टेशन पर बैडिंग का ठेका न दिये जाने के बारे में थी। ठेका देने के लिए प्रार्थी को उपयुक्त नहीं समझा गया क्योंकि उसे कोई अनुभव नहीं था।

(घ) अन्य बातों के समान होने पर, अनुभवी व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जाती है।

पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें

1973. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी, 1974 तक कितनी और कौन-कौन सी नई रेल लाइनें मंजूर की गई हैं और किलोमीटरों में उनकी लम्बाई, निर्माण लागत और प्रत्येक मामले में काम पूरा होने की निर्धारित तिथियां क्या हैं;

(ख) इन लाइनों की मंजूरी के आधार क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पर्वतीय एवं पिछड़े राज्यों में नई लाइनों की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया है और क्या इन रेल लाइनों की मंजूरी देते समय और निर्माण में क्या ऐसे क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में 15-2-1974 तक चनाका के सीमेंट कारखाने के लिए केवल एक नयी लाइन अर्थात् बानी-चनाका लाइन की मंजूरी दी गयी है। इस रेलवे लाइन के अन्य विवरण इस प्रकार हैं:—

लम्बाई	75.72 किलोमीटर
निर्माण की लागत	5.30 करोड़ रुपये
पूरा होने की निर्धारित तारीख	1976 (अनन्तिम)

इसके अलावा, निम्नलिखित लाइनों को फिर से बिछाने की भी मंजूरी दी गयी है:-

- (i) डलमऊ-दरियापुर (26 किलोमीटर, लागत 1.37 करोड़ रुपये, पूरा होने की निर्धारित तारीख, मार्च, 1975 बशर्ते धन उपलब्ध हो)।
- (ii) गोहाना-पानीपत (39.27 किलोमीटर, लागत 2.16 करोड़ रुपये, पूरा होने की तारीख अभी निश्चित नहीं की गयी है।)
- (iii) सरायगढ़-राधोपुर-प्रतापगंज-फारबिसगंज (64 किलोमीटर,) लागत 4.65 करोड़ रुपये, पूरा होने की निर्धारित तारीख 1974-75)।
- (iv) छितोनी-बगह (28.41 किलोमीटर, लागत 6.74 करोड़ रुपये, पूरा होने की तारीख अभी निश्चित नहीं की गयी है।)

(ग) पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की गयी है। 1973-74 के अपने बजट भाषण में रेल मंत्री ने जिस नयी नीति का उल्लेख किया था, उसके अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण और आमान-परिवर्तन की परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के संबंध में विचार किया जा रहा है ताकि इन योजनाओं के निवेश से मिलने वाले कम वित्तीय प्रतिफल के कारण इनके कार्यान्वयन में बाधा न पड़े। राज्य सरकारों से सहयोग मांगा गया है ताकि इन रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण रेलों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम रखा जा सके। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे भूमि की लागत और निर्माण कार्य में श्रम सम्बन्धी लागत को वहन करें। इस नयी नीति के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में अनेक रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के आदेश दिये गये हैं और निम्नलिखित जिन योजनाओं के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, उनका अनुमोदन किया जा चुका है लेकिन अभी इनकी मंजूरी नहीं दी गयी है क्योंकि मंजूरी देने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं:-

- (1) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे से सम्बन्धित क्षेत्र में बड़ी लाइन का निर्माण।
- (2) भूतपूर्व हावड़ा-आमना लाइट रेलवे, जिसमें बड़गछिया-चम्पाडांगा शाखा लाइन भी शामिल है, से सम्बन्धित क्षेत्र में बड़ी लाइन का निर्माण।
- (3) भूतपूर्व हावड़ा-शियाखला लाइट रेलवे से सम्बन्धित क्षेत्र में बड़ी लाइन का निर्माण।

अगले बजट में, जो कि प्रस्तुत किया जा चुका है, इस प्रकार की कुछ और रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है।

बाढ़ों द्वारा क्षति

1974. श्री बनमालो पटनायक :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या सिंचाई और बिद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में, राज्यवार, चक्रवात और बाढ़ों के कारण फसलों, जान तथा माल को कितनी हानि हुई ;

(ख) प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) राज्यों द्वारा किस प्रकार की सहायता मांगी गई और केन्द्र ने, राज्यवार, कितनी सहायता दी ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 1973 को मानसून के दौरान, भारत के विभिन्न भागों में बाढ़ों और चक्रवातों से हुई क्षति तथा राज्यों द्वारा किए गए राहत उपायों और केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा 24 जुलाई, 28 अगस्त और 12 नवम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर बाढ़ स्थिति पर दिए गए विवरणों में दिया गया था।

विभिन्न राज्यों द्वारा यथासूचित फसलों, जीवन और सम्पत्ति को हुयी क्षति के अद्यतन आंकड़े उपाबंध में दिए गए हैं। ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-6326/74]

बाढ़ों के कारण अनिवार्य सहायता उपायों और मरम्मत कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता राज्यों के अनुरोध पर भेजी गई केन्द्रीय टीम की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है। राज्यों द्वारा अनुमानित राहत तथा मरम्मत पर व्यय की धनराशि, केन्द्रीय दलों की सिफारिशों पर आधारित केन्द्र द्वारा नियत व्यय की सीमा और अब तक दी गई सहायता की धनराशि निम्न प्रकार है :

राज्य का नाम	राज्यों द्वारा अनुमानित राहत तथा मरम्मतों पर व्यय की धनराशि	केन्द्रीय दलों की सिफारिशों पर आधारित केन्द्र द्वारा नियत व्यय की सीमा	अब तक दी गई सहायता की धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)
		(लाख रुपये)	
1. असम	1720.23	565.04	200.00
2. बिहार	1266.00	294.00	कुछ नहीं
3. गुजरात	2484.26	1605.68	550.00
			(सूखा सहायता संहिता)
4. जम्मू व कश्मीर .	708.20	294.00	150.00
5. केरल	612.43	134.50	25.00
6. मध्य प्रदेश	1945.80	244.21	कुछ नहीं
7. उड़ीसा	2512.58	1174.00	300.00
8. राजस्थान .	1426.71	805.40	500.00
9. त्रिपुरा .	908.17	106.00	100.00
10. उत्तर प्रदेश	3215.00	1411.00	600.00
			(सूखा सहायता संहिता)
11. पश्चिम बंगाल .	2636.48	1002.72	200.00

केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा व्यय की प्रगति पर दी गई सूचना के आधार पर दी जाती है।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बन्द होना

1975. श्री बनमाली पटनायक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में कितनी बार बिजली की सप्लाई बन्द हुई है और गत वर्ष में इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में बिजली की सप्लाई बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कार्यक्रम को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : अब तक चालू वर्ष के दौरान अथवा गत वर्ष की इसी अवधि (जनवरी, फरवरी) के दौरान कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ । बहरहाल, वितरण प्रणाली में खराबियों के परिणामस्वरूप विभिन्न बस्तियों अथवा क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई से बहुत सी स्थानीय बाधाएं आई हैं ।

(ग) वितरण प्रणाली में खराबियों के कारण हो रहे स्थानीय विघ्नों को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे सप्लाई के वैकल्पिक संसाधनों/मार्गों की व्यवस्था, ओवरहेड उच्च वोल्टता लाइनों को भूमिगत केबल्स में परिवर्तन, जहां भी आवश्यक हो, मुख्य एवं उपकेन्द्रों का आवर्धन, लाइनों तथा उपकेन्द्रों का और अधिक रखरखाव, वितरण लाइनों पर सेक्शन बक्सों की व्यवस्था ।

ओरियंटल गैस फैक्टरी की मशीनों का समुचित रखरखाव

1976. श्री सरोज मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में सियालदह के निकट ओरियंटल गैस कम्पनी नामक एक फैक्टरी की 2 करोड़ रु० से अधिक मूल्य की मशीनों को समुचित रख-रखाव के अभाव में जंग लग रहा है और सारा फैक्टरी क्षेत्र झाड़ियों और जंगल लगी मशीनों के जंगल के रूप में है ;

(ख) क्या यदि इस फैक्टरी का रखा-रखाव समुचित हो और कार्यकरण ठीक हो तो यहां पर 500 लाख घन फुट गैस का उत्पादन किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो फैक्टरी को चालू हालत में रखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जावेगा ।

गैस के उत्पादन में ओरियंटल गैस कम्पनी के कर्मचारियों का उपयोग

1977. श्री सरोज मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियंटल गैस कम्पनी के सियालदह (कलकत्ता) कारखाने के कुशल कर्मचारियों को गैस-मीटरों की मरम्मत और निर्माण सम्बन्धी कार्य दिया जाता है ; और

(ख) कर्मचारियों को घटिया किस्म के कोयले के गैस बनाने के कार्य में क्यों नहीं लगाया जाता जबकि उक्त कारखाने में इसके लिए पर्याप्त मशीनरी और प्रबन्ध हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जावेगा।

ओरियंटल गैस कम्पनी के सियालदह कारखाने में गैस का उत्पादन

1978. श्री सरोज मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरियंटल गैस कम्पनी के सियालदह कारखाने में कोयले से पैदा की जाने वाली गैस का उत्पादन बन्द करने के क्या कारण हैं जबकि दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की गैस की सप्लाई अनियमित है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि 86 लाख रुपये मूल्य की पाइपों को बदलने के बाद इनकी देख-रेख नहीं की जा रही है और कारखाने से इन पाइपों की किशतों में चोरी हो रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जावेगा।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से गैस की सप्लाई के लिए मीटर रीडिंग प्लांट का दोषपूर्ण कार्यकरण

1979. श्री सरोज मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से गैस की सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल में वाली स्थित मीटर रीडिंग प्लांट काफी समय से खराब पड़ा हुआ है

(ख) क्या उपभोक्ताओं द्वारा गैस की खपत के सही आंकड़े जानने का कोई प्रबन्ध नहीं है,

(ग) क्या ओरियंटल गैस कम्पनी लिमिटेड एकक में वार्षिक तूलन पत्र तैयार करने और गैस उपभोक्ताओं की संख्या और नाम का रिकार्ड रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जावेगा।

सियालदह डिवीजन में डमडम से बारासाट तक रेलवे लाइन को दोहरा बनवाना

1980. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन में डमडम से बारासाट तक 15.2 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन को दोहरा बनाने के लिए कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या बारासाट से बानगांव के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में, उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हां। सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि यह परियोजना अलाभप्रद होगी। इसलिए, इस योजना पर लगायी गयी पूंजी पर लाभांश दायिता समाप्त करने के प्रश्न पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

1981. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में आज तक किन किन स्थानों पर तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या धरमनगर-कुमारघाट रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया है और इसे व्यावहारिक पाया गया है।

(ग) यदि हां, तो इसका निष्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पांचवीं योजनावधि में कौन कौन सी नई रेल लाइनें बिछाई जानी हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं :—

- (i) न्यू वोंगाईगांव-गुहावटी मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।
- (ii) धरमनगर-अगरतल्ला मीटर लाइन।
- (iii) तेजपुर से भोमरागुड़ी तक मीटर लाइन संपर्क।

निम्नलिखित दो लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :—

- (i) सिलचर-जीरोबाम
- (ii) अगरतल्ला-वेलोलिया-सवरूम

निम्नलिखित लाइनों का पूर्वोत्तर परिषद के खर्चे पर सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है :—

1. जोगीधोपा-पंचरत्ना-दुधनई-दरागिरी (बड़ी लाइन)
2. गुवाहाटी-वरनीहाट (मीटर लाइन या बड़ी लाइन)
3. बालीपाड़ा-भालूक पोंग नयी लाइन
4. टिपलिंग-ईटानगर नयी लाइन
5. लालाघाट-सेरांग नयी लाइन

(ख) धरमनगर-कुमारघाट खण्ड धरम नगर-अगरतल्ला परियोजना का भाग है जिसके लिए 1970 में सर्वेक्षण किये गये थे, लेकिन समग्र रूप में परियोजना की वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) धरमनगर-कुमार घाट लाइन के निर्माण का काम 1974-75 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है बशर्ते पूर्वोत्तर परिषद इस लाइन के लिए उस निधि से धन उपलब्ध करे जो योजना आयोग द्वारा पांचवीं पंच वर्षीय योजना में पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उसे आवंटित की गयी है, क्योंकि नयी लाइनों के निर्माण के लिए रेलवे को जो निधि आवंटित की गयी है वह सीमित है।

(घ) धरमनगर से कुमार घाट तक नयी लाइन का निर्माण और न्यू बोंगाई-गांव गुहाटी लाइन के आमन परिवर्तन का काम पांचवीं योजना में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त सर्वेक्षण पूरे हो जाने के बाद ही पांचवीं योजना में बनायी जाने वाली अन्य लाइनों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

सियालदह डिवीजन के नवीकरण का प्रस्ताव

1982. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन के नवीकरण का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सियालदह स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन से है। यदि ऐसा है तो स्थिति इस प्रकार है :—

इस काम को तीन चरणों में प्रारम्भ किया गया है। बीच के तल्ले के फर्श को छोड़कर पहले चरण अर्थात् केन्द्रीय स्कन्ध का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण के अन्तर्गत बायें और दायें स्कन्ध का निर्माण कार्य चालू है।

बनगांव, शान्तिपुर, बारासाट और कल्याणी लोकल रेलगाड़ियों द्वारा समय अनुसूची का पालन

1983. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन से चलने वाली बनगांव, शान्तिपुर, बारासाट और कल्याणी लोकल रेलगाड़ियां समय अनुसूची का पालन नहीं करती हैं जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

(ख) यदि हां, तो इन लोकल गाड़ियों ने नवम्बर 1973 में समय अनुसूची का पालन कहाँ तक किया ; और

(ग) गत वर्ष के दौरान इन रेलगाड़ियों का समय पालन प्रतिशत कितना रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इनमें से कुछ स्थानीय गाड़ियां यदा कदा लेट चलती रही हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खण्ड	समय पालन का प्रतिशत	
	नवम्बर, 1973 में	जनवरी से दिसंबर 1973 तक की अवधि में (औसत)
(1)	(2)	(3)
सियालदह-कल्याणी	72.8	79.0
सियालदह-शांतिपुर	60.5	69.2
सियालदह-बनगांव	66.2	70.6
सियालदह-वारासाट	90.0	84.0

हावड़ा-आमता ब्राडगेज लाइन की लागत को पश्चिम बंगाल तथा रेल मंत्रालय के बीच बांटना

1984. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि हावड़ा-आमता लाइन को ब्राड गेज में बदलने की लागत रेल मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बांटी जायेगी।

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और निर्णय कब लिया गया ; और

(ग) बदलने का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जिन क्षेत्रों में पहले हावड़ा-आमता रेलवे चला करती थी उनमें बनायी जाने वाली बड़ी लाइन के निर्माण और परिचालन की लागत रेल मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बराबर-बराबर बांटे जाने का प्रस्ताव है। लेकिन अभी तक इस वित्तीय व्यवस्था की सरकारी पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में निर्णय हो जाने के बाद इस निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा।

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में वैगन बनाने वाले कारखाने की स्थापना

1985. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में वैगन बनाने वाले नए कारखाने की स्थापना करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या इसकी स्थापना-स्थल के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) क्या इसे दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित करने के लिए सरकार का विचार आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

रेल गाड़ियों का देर से चलना

1986. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों के देर से चलने के कारण यात्रियों के नुकसान होने वाले करोड़ों श्रम घंटों के बारे में कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) उपनगरीय गाड़ियों की समय-पाबन्दी, जिसका प्रभाव कर्मचारियों के कार्य-घंटों पर पड़ता है, सब कहीं अच्छी है। लेकिन अनुप-नगरीय गाड़ियों की समय-पाबन्दी अभी हाल में खराब रही है जिसका मुख्य कारण कर्मचारियों द्वारा किये गये तथा राजनीतिक और सामाजिक कई तरह के आन्दोलन हैं। रेल प्रशासनों को स्थिति की जानकारी है और इस मामले में कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती।

बम्बई में उपनगरीय रेल सेवाएँ

1987. श्री धामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, जिसके कारण अधिक से अधिक यात्री रेल यात्रा करने के लिए बाध्य हुए हैं, के परिणामस्वरूप बम्बई उपनगर रेल यातायात पर अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगत हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में रेलवे के दो डिवीजनों में उपनगरीय यातायात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या रेलवे उपनगरीय यात्री यातायात में वृद्धि के भार को सहन करने की स्थिति में हैं ; और

(घ) क्या रेलवे के पश्चिमी डिवीजन में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में खड़े होने की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार तीसरे दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाने, स्थानीय गाड़ियों की गति बढ़ाने और अधिक गाड़ियां चलाने की भी सोच रही है जिससे कि अधिक यात्रियों को लाया-लेजाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि होने के बाद बम्बई क्षेत्र के उपनगरीय यात्री यातायात में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। इस विशेष तत्व के कारण कितना यातायात बढ़ा है, इसका भी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यात्री यातायात में घटा-बढ़ी अनेक कारणों से हो सकती है।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर, इन गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और सवारी डिब्बा कारखाना और जैसप के दो उत्पादन यूनिटों से, वर्तमान की तरह के, मिले-जुले स्थान वाले रेल मिलने के साथ-साथ अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जा रही हैं।

आगामी मानसून में विद्युत् प्रजनन की सम्भावनायें**1988. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :****श्री समर गह :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी मानसून तक विद्युत् प्रजनन संबंधी क्या सम्भावनाएं हैं ;

(ख) क्या इष्टतम विद्युत् प्रजनन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर ली गई है ; और

(ग) कमी वाले विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी न उत्पन्न होने देने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में विद्युत् सप्लाई की स्थिति विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा दक्षिणी क्षेत्र में तामिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में तथा पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल में अगली मानसून तक गम्भीर बनी रहेगी।

(ख) और (ग) प्रबोधन तथा कोयले तथा ईंधन तेल, कल-पुर्जे आदि की सप्लाई तथा परिवहन की व्यवस्था द्वारा वर्तमान विद्युत् प्रतिष्ठापनों का समुपयोजन अधिकतम किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण तथा भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रमों में तेजी लाई जा रही है।

ऐसी परियोजनाओं, जिनका निर्माण पूरा होने वाला है, में तेजी लायी जा रही है ताकि उत्पादन यूनिटों को शीघ्र चालू करना सुनिश्चित किया जा सके।

पड़ोसी राज्यों के बीच विद्युत् के विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विद्युत् क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किया जा सके।

क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना**1989. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :****श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिडों की स्थापना में कितनी प्रगती हुई है तथा इसका कितना लक्ष्य रखा गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : समेकित प्रचालन के लाभों को प्राप्त करने के लिए देश में सातवें दशक के मध्य से अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय सम्पर्क को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न किए जा रहे हैं। चतुर्थ योजना अवधि के आरंभ में 110/132 के० वी० और इससे ऊपर की वोल्टता पर लगभग 31 अन्तर्राज्यीय/अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्कों की प्रतिष्ठापना की जा चुकी थी। चतुर्थ योजना के दौरान 39 और 110/132 के० वी० तथा इससे ऊपर की वोल्टता वाले अन्तर्राज्यीय अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्कों के निर्माण कार्य को हाथ में लिया गया था। इनमें से छः सम्पर्क पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। विद्युत् की उपलब्धता और आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न विद्युत् प्राणालियों के बीच यथा-संभव विद्युत् विनिमय भी किया जा रहा है। चूंकि प्राणाली क्षमताएं भी बढ़ रही हैं, पांचवीं योजना के दौरान प्राणालियों/क्षेत्रों के बीच विद्युत् के अधिक मात्रा में विनिमय करने के लिए लाइनों की क्षमता बढ़ाने हेतु 220 के० वी० और 400 के० वी० पर और अन्तर्राज्यीय/अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्कों का निर्माण करना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रिडों को तैयार करने के लिये पहले ही बहुत से अंतर्देशीय सम्पर्क स्थापित कर दिये गए हैं और निर्माण के लिये प्रस्तावित बहुत से अन्य सम्पर्क निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय ग्रिड कुछ समय में अपने-आप विकसित होना है। यह एक दीर्घकालीन सतत प्रक्रिया है।

भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत प्रस्तावित कैपरोलेक्टम संयंत्र

1990. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत प्रस्तावित कैपरोलेक्टम संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या नेप्था की सप्लाई में हो रही वर्तमान कठिनाइयों के कारण सरकार को इस पर पुनः विचार करना पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) तथा (ख) : 50,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक कैपरोलेक्टम संयंत्र की स्थापना के लिए एफ० सी० आई० ने एक सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। जिन वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया गया है वे हैं, सिन्ध्री, बरौनी— पारादीप तथा हल्दिया, पांचवी योजना के इस्तावेज में अतिरिक्त कैपरोलेक्टम क्षमता की परिकल्पना नहीं की गई है अतएव एफ० सी० आई० के प्रस्ताव पर विचार रोक दिया गया है।

राज्यों में नाइलोन परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम

1991. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पेट्रोलियम संकट और नेप्था की कमी के संदर्भ में सरकार विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों को पहले ही से दिये जा चुके आशय पत्रों के अन्तर्गत उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ किये जाने वाले अपने नायलोन परियोजना कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ;

(ख) विभिन्न राज्यों की कितनी नायलोन परियोजनाएं प्रगति के अग्रिम चरण पर हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य औद्योगिक निगमों द्वारा पहिले ही से किये जा चुके विदेशी सहयोग समझौते को व्यपगत होने की अनुमति दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) अनेक प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जैसे देश में नायलोन धागा उद्योग का सम्पूर्ण विकास तथा नायलोन संयन्त्रों के लिए विदेशी तकनीक की आयात की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

दिसम्बर, 1971 से जुलाई 1972 तक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तामिल नाडु, असम, उड़ीसा, बिहार, हरयाणा, गुजरात मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगमों को 21 हजार मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता के प्रत्येक नायलोन फिलामेंट यार्न के नये यूनिटों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। अन्य बातों के साथ-साथ जारी किये गये आशय पत्रों में निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं :-

- (1) संयंत्र और मशीनरी के आयात की व्यवस्था विदेशी सहयोग की शर्तें सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार व्यवस्थित होंगी।
- (2) निगमों की अधिकतम साम्य पूंजी शेयर 26 प्रतिशत के होंगे और वह एक पक्षीय सबसे बड़े शेयर होल्डर होंगे ताकि वित्तीय और प्रबन्धक नियंत्रण उनके पास सुनिश्चित रहें। संयंत्र में निजी पार्टियों को सम्बन्धित करने के लिए निगम को केन्द्रीय सरकार से पूर्ण अनुमति लेनी होगी।

10 निगमों द्वारा अभी तक उपरोक्त दो शर्तों की ओर कुछ प्रगति की गई है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तामिल नाडु, केरल, पंजाब, बिहार, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल के निगमों द्वारा दिये गये विदेशी

सहयोगों के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी सहयोग, वचनबद्धता का प्रश्न नहीं उठता।

1970-71 से 1972-73 तक की अवधि में बिजली की कमी

1992. श्री समर गुहः क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 1971-72 और 1972-73 के दौरान (1) महीने वार (2) राज्य वार बिजली की कमी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अपेक्षित सूचना राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हल्दिया में तेल शोधक कारखाने, उर्वरक तथा अन्य संयंत्रों के निर्माण में प्रगति

1993. श्री समर गुहः क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया के पत्तन क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने उर्वरक सोडा राख तथा अन्य संयंत्रों के निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति के क्या तथ्य हैं ;

(ख) क्या इन संयंत्रों के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व कठिनाइयां सामने आ रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कठिनाइयों का व्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या इन कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य के आरम्भ होने तथा इस संयंत्र के चालू होने में विलम्ब होगा ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) हल्दिया शोधनशाला निर्माण के अन्तिम चरणों में है। हल्दिया उर्वरक फैक्ट्री जो उर्वरकों का 60,000 मीटरी टन प्रति वर्ष सोडा राख का अतिरिक्त उत्पादन करेगी, में कार्य प्रगति पर है। मिट्टी भरने का कार्य हाथ में है। मुख्य संयंत्र तथा उपकरण जो विदेश या देश से प्राप्त किए जाएंगे की सप्लाई के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। फैक्ट्री के पास सामान एकत्रित करने तथा लदान से पूर्व के कार्य हेतु आणव्य पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) हल्दिया शोधन शाला के निर्माण कार्य में जिन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे हैं इस कार्य से अनेक ऐजेन्सियों की सम्बद्धता भारतीय तथा विदेशी ठेकेदारों द्वारा सामान की सप्लाई करने में देरी निर्माण माल की कमी बैगनों का उपलब्ध न होना तथा बार बार श्रमिक कठिनाइयां आदि। हल्दिया उर्वरक कारखाने के मामले में ऐसी कठिनाइयां नहीं हैं।

(घ) से (च) तक प्रयोजन अधिकारियों द्वारा कठिनाइयों को जिनसे हल्दिया शोधनशाला के निर्माण कार्य की प्रगति नहीं सकी, दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

हावड़ा और हुगली जिलों को मार्टिन बर्न रेलवे के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली परियोजना

1994. श्री समर गुहः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिलों से होकर जाने वाली मार्टिन बर्न रेलवे की वैकल्पिक परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई प्रारम्भिक प्रगति हुई है और परियोजना के पूरा होने की निर्धारित अवधि क्या है ; और

(घ) इस परियोजना पर लगभग कितनी लागत आएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) रेलवे बोर्ड ने लाइट रेलों अर्थात् हावड़ा-आर्म्हा-हावड़ा-शियाखाला और बड़गछिया-चम्पाडांगा (हावड़ा-हुगली जिलों में) को फिर से चालू करने के मामले पर विचार किया था और इन लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश दिये थे। ये सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं। इन लाइनों को फिर से चालू करने की अनुमानित लागत 14.53 करोड़ रुपये होगी। पूरक मांगों के जरिए संसद ने इन लाइनों के निर्माण का अनुमोदन इस आधार पर कर दिया है कि इन की लागत रेलवे और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी। अपने हिस्से की लागत देने के बारे में राज्य सरकार की सहमति मिल जाने के बाद इस काम को शुरू कर दिया जायेगा। मंजूरी की तारीख से काम के दो मौसमों के अन्दर यह निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

बिजली घरों में बिजली का उत्पादन

1995. श्री ई०वी० विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बिजलीघरों द्वारा युनिटवार 1974 के जनवरी और फरवरी के महीनों में 1973 की इस अवधि की तुलना में कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया गया ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के नये एककों में से ऐसे प्रत्येक एकक द्वारा जनवरी/फरवरी 1974 में कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया गया जिन्होंने पहली मार्च 1973 के पश्चात् कार्य करना आरंभ किया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

नदियों के किनारों पर लघु पन-बिजली घरों की स्थापना

1996. श्री ई० वि० विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की निरन्तर बहने वाली नदियों के किनारे पर लघु पन-बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या रोजगार के अवसरों में स्वदेशी उपकरणों की सप्लाई, रख रखाव, उन्हें राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के साथ जोड़ने तथा इसके पूरा होने को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्ताव की सम्भाव्यता पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा पहले से ही इक्के-दुक्के पहाड़ी क्षेत्रों में बारहमासी नदियों पर जहा भी संभव पाया गया लघु जल विद्युत् स्कीमों को (कुछ सैंकड़े किलोवाट क्षमता तक की) विकसित किया जा रहा है।

विद्युत् के वैकल्पिक साधनों जैसे पारेषण लाइनों का निर्माण अथवा डीजल सेटों द्वारा उत्पादन की लागत तथा सम्भाव्यता पर विचार करते हुए प्रत्येक स्कीम की इसके अपने गुण-दोषों के आधार पर जांच करनी होती है। ऐसी स्कीमों के लिए संयंत्र तथा उपस्कर अब देशी साधनों से उपलब्ध हैं। इसमें शामिल कार्य और स्थल की अभिगम्यता पर निर्भर करते हुए इसके पूर्ण होने में साधारणतया लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं।

ऐसी लगभग 30 स्कीमों पहले से ही चल रही हैं। 28 और स्कीमों निर्माणाधीन हैं और 36 अनुसंधान के विभिन्न चरणों में हैं। ये स्कीमों मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और नागालैंड में हैं।

अडार डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के कैरिज तथा वैगन स्टाफ तथा सहायक स्टेशन मास्टर्स द्वारा "नियमानुसार काम करने" का आन्दोलन

1997. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अडारा के डिवीजन में कैरिज तथा वैगन स्टाफ द्वारा "नियमानुसार कार्य करने" के आन्दोलन तथा सहायक स्टेशन मास्टर्स के बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति रहने के कारण हाल ही में कई गाड़ियां रद्द कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इससे रेल मंत्रालय को कितनी हानि हुई और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री

1998. श्री भरत सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदीनगर (उत्तर-रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री के बारे में 18 दिसम्बर 1973 के आतारांकित प्रश्न संख्या 5297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलत काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और सम्बद्ध क्लर्क का तबादला कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित क्लर्क को मोदीनगर से स्थानांतरित करने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

गाजियाबाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को समयोपरि भत्ते की अदायगी न करना

1999. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को अगस्त में दिसम्बर 1973 तक के समयोपरि भत्ते की अदायगी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अगस्त से दिसम्बर 1973 की अवधि के दौरान गाजियाबाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते का भुगतान 8 के सिवाय सभी मामलों में कर दिया गया है । ये मामले समयोपरि पत्रियों को अपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के कारण रह गये । इन मामलों में देय समयोपरि भत्ते का यथासम्भव शीघ्र भुगतान करने के बारे में और भविष्य में गाजियाबाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को देय समयोपरि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाई की गयी है ।

डीजलीकरण कार्यक्रम पर तेल संकट का प्रभाव

2000. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे और विशेषकर इसके डीजलीकरण कार्यक्रम पर वर्तमान तेल संकट के प्रभाव के बारे में भारतीय रेलवे के इंस्टीट्यूशन आफ परमानेंट वे इंजिनियर्स ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या-क्या मुख्य मुद्दाव और टिप्पणियां की गईं ; और

(ग) इन बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । रेल पथ सम्बन्धी विषयों पर विचार-गोष्ठी आयोजित की गयी थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन-एलेपी-कायमकुलम रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

2001. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित कोचीन एलेपी-कायमकुलम रेलवे के किसी सर्वेक्षण का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1970 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला था कि यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी और इस पर इतना यातायात नहीं आयेगा कि इसके निर्माण का औचित्य हो । सर्वेक्षण के अनुसार इस लाइन के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये की

लागत का अनुमान है। इस क्षेत्र में सड़कें और आन्तरिक जल-मार्ग भली प्रकार उपलब्ध हैं। वर्तमान कोलन-एण्क्लिम मीटर लाइन भी जिसे बदला जा रहा है तट से बहुत दूर दूर नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और नयी लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए निकट भविष्य में इस परियोजना पर विचार करना कठिन होगा।

कुट्टीपुरम-गुस्वयूर को हिन्दू तीर्थ स्थान से जोड़ना

2002. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ स्थान से मुख्य लाइन को जोड़ने वाली कुट्टीपुरम-गुस्वयूर रेलवे लाइन के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में नई उर्वरक परियोजना का स्थापित किया जाना

2003. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्रतिदिन 1300 टन एमोनिया और 1600 टन यूरिया तैयार करने के लिए एक नई उर्वरक परियोजना स्थापित की जायेगी।

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) क्या मेथेनील और मीलागाइन बनाने के लिये सुविधाएं देने हेतु गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स की योजना को इस नये संयंत्र के साथ सम्बद्ध करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और घ) इस विषय में गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जिस प्रयोजना की लागत का अनुमान 120 करोड़ रुपये है उसे 36 महीनों में पूरा करने के कार्यक्रम की परिकल्पना है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MOTION OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महाराष्ट्र में भाषायी अल्प सङ्ख्यकों पर शिव सेना के हिंसात्मक हमलों के समाचार

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं इस बारे में कि वहां एक वक्ताव्य दें

“बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में भाषायी अल्पसंख्यकों विशेषतः दक्षिण भारतीयों पर शिव सेना के हिंसात्मक हमलों में वृद्धि के समाचार”

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Point of order is not allowed on it.

Shri Jambuwant Dhote : I have to make a submission in connection with a attention notice on linguistic minorities and Shiv Sena. This discussion would have it's reaction in Maharashtra especially in Bombay and Kohlapur. As the interests of linguistic minorities are likely to be affected by discussion in this House the hon. Chief Minister of the State may be called here and cross-examined.

Mr. Speaker: The hon. Member desires that discussions may not be held in the matter.

If the situation deteriorates due to discussion in this house it is not good.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आसाम में भाषाई दंगे हुए थे। उन पर इस सदन में चर्चा हुई थी। सदस्य उत्तरदायी व्यक्ति हैं। वे अपनी भाषा को संयत्न रखेंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं अपील करता हूँ कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वापस ले लिया जाये।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हाल ही में बम्बई तथा महाराष्ट्र के कुछ अन्य भागों में शिव सेना की गतिविधियों से, जिससे महाराष्ट्र में रहने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों के दिनों में आशंका उत्पन्न हो गई है, सरकार चिंतित है। प्रधानमंत्री तथा मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से संपर्क बनाये हुए हैं। वे वहां भाषायी अल्पसंख्यकों के न्यायोचित हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार के कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों में जहां असुरक्षा की भावना व्याप्त है, वहां उन्होंने पुलिस गस्ती की विशेष व्यवस्था की है तथा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के विचार से उपनगरीय रेल में पुलिस बन्दोबस्त मजबूत कर लिया है। ग्रेटर बम्बई की पुलिस अपराध शाखा में एक विभाग खोला गया है जो भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ध्यान देगा। 8 फरवरी को भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की बैठक में मुख्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अराजक तत्वों से उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का दृढ़ निश्चय है। 21 फरवरी को विधान सभा में दिए अपने वक्तव्य में उन्होंने इसी बात को दोहराया है और शिव सेना के प्रति राज्य सरकार के रवैये का स्पष्ट संकेत भी दिया है।

हमें आशा है कि राज्य सरकार की अनवरत प्रभावी कार्यवाही से भाषायी अल्पसंख्यक बिना किसी डर के अपने कार्याकलाप करते रहेंगे और साम्प्रदायिक सद्भाव को चुनौती देने वाले तत्वों को पूरी तरह दबा दिया जायेगा।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई दक्षिण) : मेरा एक निवेदन है।

Mr. Speaker: If I allow you I shall have to allow others as well.

श्री एस० ए० कादर : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले पर और जोर न डाला जाये।

श्री ए० के० गोपालन : यदि माननीय सदस्य मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं संसद् छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव क्यों रखा गया है?

मैं गत एक महीने में प्राप्त तारों एवं समाचार पत्रों की कतरने अन्य महत्वपूर्ण कागजों के साथ गृहमंत्री के पास भेजता हूँ।

मुझे विश्वास है इस चर्चा के फलस्वरूप कोई दुष्परिणाम नहीं निकलेगा। मैं न केवल भाषायी अल्पसंख्यकों की अपितु श्रमिकों की बात भी करता हूँ। यदि हम एक होकर भाषायी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचारों का विरोध नहीं करते तो भारत का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। बहुत सी तारों में दक्षिण भारतीयों को शिव सेना के अत्याचारों से बचाने को कहा गया है। उन्होंने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। वे लोग निर्भयतापूर्वक और शान्ति पूर्वक रहना चाहते हैं।

यह मामला महाराष्ट्र और महाराष्ट्रेतर लोगों के संघर्ष का नहीं है। वहां हो रही घटनाओं की निन्दा हम सबको करनी चाहिए।

ग्वालियर में कार्य कर रहे एक व्यक्ति की पत्नि ने बंबई से लिखा है कि स्कूल से आते समय शिवसेना के गुंडों ने हमारी लड़की पर हमला किया। यह जानकर कि उसके पिता मलयाली है उसे बुरी तरह पीटा गया। पत्नि ने उसे और बच्चों को वहां से लिवा ले जाने की जिज्ञा है। यह अनेक पत्रों में से एक है। पकड़े जाने पर भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। हम सबको वहां जाकर कड़ना चाहिए कि भारत एक है भारत की जनता एक है।

शिक्षा के मामले में केरलवासी उन्नत हैं परन्तु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं। वे लोग नौकरी के लिये वहां गये हैं। इसीलिए उसे मारा जाता है? कांग्रेस समिति महाराष्ट्र के सभी नेताओं ने इसकी निन्दा की है। इसलिए यह मामला यहां लाया गया है।

समाचार पत्रों में शिव सेना को कांग्रेस के साथ एक्य के समाचार छप रहे हैं। क्या यह बात सही है। यदि नहीं तो इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया जाता।

भाषायी अल्पसंख्यकों में भय की भावना है। राज्य सरकार एवं पुलिस इन घटनाओं का समर्थन करती है। एक फैरी वाले के मारे जाने के उपलक्ष्य में 10000 व्यक्तियों के शान्त प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चलाई। तो क्या लोगों के हृदय में भय नहीं रहेगा।

हाल ही में बंबई में केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालयों वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुखों को शिव सेना के सदस्यों द्वारा डराया धमकाया गया। शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम तथा बैंक आफ इंडिया आदि बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में भी प्रदर्शन किये गये कि केवल स्थानीय लोगों को ही भर्ती किया जाये। यदि ऐसी ही घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो जाये तो स्थिति इतनी विषम हो जायेगी कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा।

सरकार ने भी एक परिपत्र जारी किया कि 90% पद स्थानीय लोगों को ही दिये जायें। यदि यह सच है तो क्या मंत्री महोदय इसे वापस लेने के लिये कहेंगे। यदि पूर्वोक्त घटनाएं होती रहती है तो विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष छिड़ जायेगा। भविष्य में भारत की एकता समाप्त हो जायेगी। समग्र भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट रूप धारण किये हुए है। आप में संघर्ष के स्थान पर यदि इस संकट के मूल आघात किया जाये तो मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम सरकारी प्रतिष्ठानों में 90 प्रतिशत पदों का स्थानीय लोगों को देने का नियम बनाया जाये। सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों पर इसके लिये दबाव न डाला जाये।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूँ कि बंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर भाषायी अल्पसंख्यकों को पूरा संरक्षण मिले । इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा की है । उन्होंने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों को अपने पत्रों में आश्वासन दिया है कि अल्प संख्यकों को पूरा संरक्षण दिया जायेगा । मैं आज भी उनसे मिला था । उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है सभी सम्भव सुरक्षण दिये जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Banka): He has been giving much assurances for the last 7 years.

श्री उमा शंकर दीक्षित : शिव सेना कई वर्षों से बनी है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई । अब बहुत कम ही घटनाएं हो रही हैं ?

पुलिस आयुक्त के कार्यालय की ओर जो जलूस गया था वह सर्वथा शान्ति पूर्ण नहीं था । भीड़ से पुलिस पर पत्थराव किया गया था । और कुछ पुलिस मैन आहत भी हुए । (व्यवधान) 100 से अधिक व्यक्ति आहत हुए । 29 फेरीवालों तथा 100 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेख किया गया परिपत्र बहुत पहले जारी किया गया था । यह मामला राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उठाया गया था कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अपने राज्यों से लाते हैं और स्थानीय लोगों को साधारण रोजगार भी नहीं दिये जाते हैं ।

परिपत्र के अनुसार 500 रुपये तक के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसमें कोई गलत बात नहीं है । जैसे बम्बई में उत्तर प्रदेश, दक्षिण आदि सभी स्थानों के लोग रहते हैं और अगर नौकरियों के मामले में विशेषकर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय जनता को रोजगार नहीं मिलता तो स्वाभाविक है कि वह इसे महसूस करेंगे । हम प्रबन्धक वर्ग पर मराठी लोगों को या अन्य लोगों को नौकरी दिलाने हेतु दबाव डालने या बल प्रयोग करने के विरुद्ध हैं । हम ऐसा होने भी नहीं देंगे । किन्तु कुछ शक्तियां इस प्रकार की बातों का समर्थन कर रही हैं बिहार और तमिलनाडू में भी शिव सेना का उदय हो चुका है वह इस परिपत्र का उल्लंघन कर रही हैं । ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कि अल्पसंख्यक नहीं हैं । हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है और रोजगार दिलाने के मामले में शिव सेना के दबाव के ढंग को समाप्त करना है ।

माननीय सदस्य श्री धोते ने आरम्भ में बहुत अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन बाद में वह भावनाओं की विचारधारा में बह गए । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि आप अल्पसंख्याओं और अन्य लोगों इत्यादि के बीच के अन्तर पर अनुचित जोर देंगे तो इससे मामला बनने के बजाये बिगड़ेगा । अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने भाषण के दौरान ऐसी बातें न कहें जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने ऐसा वक्तव्य दिया है, जो गुमराह करने वाला है हो सकता है कि वह बात गलत समझे हों । इस बारे में मैं बाद में कहूंगा ।

जहां तक शिव सेना का प्रश्न है, यह सर्वविदित है कि यह संगठन बेरोजगार मराठी युवकों का ध्यान बेरोजगारी की वास्तविक समस्या की ओर से हटाकर अपने राजनीतिक और नृशंस उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर दिला रही है। महाराष्ट्र में शिव सेना प्रतिक्रियावादियों द्वारा प्रजातंत्र के ढांचे में गड़बड़ पैदा करने हेतु जानबूझकर बनाई गई है। यह संगठन राष्ट्रीय एकता को चुनौती है। इसे हमें अपने राष्ट्रीय जीवन से हटाना है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी पर हम इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। महाराष्ट्र में न केवल दक्षिण भारतीय अपितु हिन्दी बोलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। शिव सेना के अस्तित्व के कारण हर उस आदमी की जान, सम्पत्ति खतरे में है जिसने महाराष्ट्र की धरती पर जन्म नहीं लिया।

महाराष्ट्र सरकार ने वहां के सभी उपक्रमों को आदेश जारी किया है कि उपक्रमों में 80 प्रतिशत नौकरियां मराठी लोगों को दी जाएं। उस आदेश की एक प्रति मेरे पास है। यह आपका वह आदेश नहीं है जिसमें कहा गया है कि 500 रुपये के वेतन तक के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आपने इस आदेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वहां की सरकार ने उक्त आदेश शिव सेना की मांग पर जारी किया है।

मंत्री महोदय का कहना है कि प्रदर्शन हिंसात्मक था इसीलिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो वह टांगों पर प्रहार करती है ताकि प्रदर्शनकारी उठ न पाए लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस ने बड़ी बर्बरता से लोगों पर प्रहार किया है। मैं आपको समाचार पत्रों में छपे ऐसे फोटो दिखा सकता हूं जिसमें पुलिस लोगों के सिर पर लाठी मार रही है: महाराष्ट्र पुलिस ने, जिससे भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है कि इतना क्रूर तथा बर्बर व्यवहार किया है। आज जो लोग इस पर चर्चा करने से मना कर रहे हैं, वह उस समय कहां थे, जब वहां के गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा था।

कुछ लोगों ने कहा है कि केरल विधान सभा ने बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करने के संबंध में संकल्प पारित कर दिया है कि यह कथन सही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा।

इन सब बातों को देखते हुए हमें महाराष्ट्र सरकार में विश्वास नहीं रहा। क्या सरकार संसद सदस्यों की एक समिति को स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने हेतु वहां भेजेगी। समिति में चाहे आप सभी दलों के सदस्य सम्मिलित कर लें। समिति इस बात का पता लगाए कि वास्तविक दोषी कौन है। अगर समिति की नियुक्ति करना संभव नहीं है तो क्या मामले की न्यायिक जांच कराई जायेगी जिससे कि पता लगे कि इस मामले में क्या करना है। सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों की जान-माल की रक्षा हेतु क्या ठोस उपाय करने जा रही है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित परिपत्र हमारे ध्यान में आया है। मैंने आज सुबह उसे देखा है। उसमें लिखा है कि 'मराठी बोलने वाले अथवा स्थानीय' व्यक्ति मराठी ही हो, यह जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो यहां कुछ वर्ष मेरा विचार है 15 वर्ष तक रह चुका हो स्थानीय लोगों में गिना जाएगा, भाषा वह चाहे जो कुछ भी बोलता हो। अतः यह समझना गलत है कि केवल मराठी लोगों को ही नौकरियां दी जाएंगी। यह परिपत्र गैर मराठी लोगों के नौकरी के मामले में किसी पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता।

माननीय सदस्य का यह कहना भी उचित नहीं है कि मेरा वक्तव्य सदन को गुमराह करने वाला है। श्री गोपालन ने कहा था कि भारत सरकार उस परिपत्र को वापिस ले। वह भी उसी परिपत्र का हवाला दे रहे थे, जिसका मैंने हवाला दिया था। श्री गोपालन द्वारा जिस परिपत्र का हवाला दिया गया है, वह परिपत्र और श्री चन्द्रप्पन द्वारा उल्लिखित परिपत्र समान न होकर भिन्न-भिन्न हैं। भ्रष्टाचार विरोधी निदेशक श्री बाध को होने वाली घटनाओं की परिस्थितियों की जांच करने और पुलिस के काम की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनके निष्कर्षों और सिफारिशों पर कार्यवाही की जाएगी।

अन्त में माननीय सदस्य ने कहा कि हम राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासनों पर विश्वास नहीं करते। ऐसा कहना सही नहीं है।

जहां तक लोगों के पीटे जाने का प्रश्न है, प्रधान मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में स्पष्ट कहा है कि हम ऐसी बातों के सख्त खिलाफ हैं और यह बातें हमें पसन्द नहीं हैं। अतः यह नहीं कहना चाहिए कि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूँ।

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी (गोहाटी) : बम्बई में स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। इसलिए नहीं कि वहां पर भापायी अल्पसंख्यकों पर आक्रमण हुआ है बल्कि इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वह लोगों के अचानक रोप का परिणाम न होकर शिवसेना द्वारा पहले से बनाई गई योजना का परिणाम था। इस बात पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। शिवसेना संविधान के उपबंधों और बनी हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को चुनौती है।

इस संबंध में मैं गृह मंत्री से कुछ प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है क्या चीज उसे रोकती है। दूसरे शिवसेना जैसे संगठन को युवा वर्ग से बल प्राप्त हो रहा है। युवा वर्ग को ऐसे संगठन का समर्थन न करने देने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सदन को आश्वासन देने हेतु कि महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि गत एक वर्ष के दौरान शिवसेना की गतिविधियों के संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए और पिछले तीन महीनों में कितने लोगों को मज्जा दी गई। तथा जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

क्या गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को कड़े निदेश दिए हैं कि वह ऐसा कोई भी प्रशासनिक निर्णय न ले जिससे यह आभास हो कि वह ऐसा शिवसेना के दबाव में आकर कर रही है। क्या इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सभी संवैधानिक उपचार कर लिए गए हैं। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या बम्बई और कलकत्ता में जनाधिक्य के कारण ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं। क्या सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से दो बातें जाननी चाहीं हैं। एक तो यह कि क्या सरकार ने ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। सरकार ने कई बार इस प्रश्न पर विचार किया है लेकिन सबके विचार ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। कई बार ऐसा उपचार बीमारी से भी बुरा साबित होता है।

इसरा माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या को देखते हुए अन्य राज्यों के लोगों के वहां बसने पर रोक लगाई जाए। इस मामले पर भी विचार किया गया था। लेकिन विचार करने वाले लोगों की राय इसके पक्ष में नहीं थी। यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है।

एक माननीय सदस्य : कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे।

श्री उमाशंकर दीक्षित : 25 जनवरी 1974 की घटना के संबंध में 43 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। अगर माननीय सदस्य पूरा व्यौरा जानना चाहते हैं तो वह एक पृथक प्रश्न की सूचना दें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 5 (ड) में प्रकाशित हुआ था। सभा पटल पर रखता हूँ [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 6310/74]

रेल दुर्घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1974

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ब की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दुर्घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 119(ड) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 6311/74]

राष्ट्रपति का संदेश

MESSAGE FROM PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 2 मार्च, 1974 के निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

“मैंने 18 फरवरी, 1974 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो भाषण दिया था, उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं महर्षि स्वीकार करना हूँ।”

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION BY MEMBERS

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के निर्वाचित सदस्य थे, 4 मार्च, 1974 से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

45वाँ और 46वाँ प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

- (1) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग) उर्वरक के संबंध में समिति के 40वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 45वाँ प्रतिवेदन।
- (2) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग) पेट्रो-रसायन के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 46वाँ प्रतिवेदन।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

8वाँ प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामंदरी) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 8वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

प्रश्न

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : Mr Speaker, Sir I had given a notice of motion of privilege in connection with the incident occurred in Nagpur in which Shri Ram Hadaoo an hon. member of this house was mercilessly beaten. The hon. member has reached here but the report has not come so far. Why the information is being delayed?

Mr Speaker : I will find out the reason for the said delay.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सामान्य बीमा निगम के हजारों कर्मचारी वित्त मंत्रालय द्वारा उनके संध तथा सामान्य बीमा निगम के बीच हुए समझौते को स्वीकार न करने के कारण उसके विरोध में एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। दुभाग्यवश वित्त मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। हम इस मामले को जल्दी निपटाना चाहते हैं। मंत्री महोदय को यह बात बताई जाए और वह इस संबंध में सदन में वक्तव्य दें।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

पश्चिम बंगाल में डीजल तेल, मिट्टी का तेल और उर्वरकों की कमी का समाचार

श्री समर गह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल राज्य में डीजल तेल, उर्वरक और मिट्टी के तेल का नितांत अभाव है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पम्प सैटों के अभाव में सिंचाई नहीं की जा सकती और तेल के अभाव में पम्प सैट बेकार पड़े हैं। दूसरे फारमोसा किस्म के गेहूं चावल के लिये अधिक उर्वरक की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल में न तो डीजल है और न उर्वरक। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्टाई और मिदनापुर में पिछले 6 वर्षों से लगातार बाढ़ आ रही है। मुझे वहां से अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि क्षेत्र में डीजल, तेल और उर्वरकों की बड़ी कमी है। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की काफी कमी है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि मंत्री महोदय इस बात का पता लगाए कि पश्चिम बंगाल राज्य को कितने डीजल, तेल और उर्वरक और मिट्टी के तेल की आवश्यकता है। इस कमी को अविलम्ब दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka): Since Shri Samar Guha has raised the question in regard to acute shortage of essential commodities, I want to submit that a statement should be made on the floor of the house as to how much quota was allotted to all the States.

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 377 के अधीन उठाया गया मामला है। इसका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य में न उपलब्ध होने वाले डीजल तेल, उर्वरक और मिट्टी के तेल से है।

श्री देवकांत बरुआ : जहां तक पश्चिम बंगाल में डीजल आदि की कमी का प्रश्न है। मैंने उस संबंध में अधिकारियों से स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल से हाई स्पीड डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों की मलाई बज-बज तथा न्यू जलपाईपुरी से की जाती है।

फरवरी के महीने में कलकत्ता अथवा मिलीगुड़ी में हाई स्पीड डीजल की कोई कमी नहीं थी। समाचार पत्रों में सिंचाई पम्पों के लिये भी डीजल आयल की कमी बताई गई है। यह पम्प लाइट डीजल से चलते हैं न कि हाई स्पीड डीजल आयल से।

संपूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए लाइट डीजल आयल की मांग मिलीगुड़ी/न्यू जलपाईगुड़ी से पूरी की जाती है। चूंकि मिलीगुड़ी में पर्याप्त उत्पाद उपलब्ध हैं अतः कलकत्ता-मोईग्राम के लिये तटवर्ती क्षेत्र से एल० डी० ओ० ले जाने की कोई योजना नहीं है। सभी क्षेत्रों में डीजल की मांग होने के कारण भी यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं मिलीगुड़ी में एल० डी० ओ० बड़ी मात्रा में जमा होता जा रहा है क्योंकि वहां से उसको पर्याप्त मात्रा में ले जाया नहीं जा रहा है।

विविन्न समस्याओं के कारण पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कार्यकारण में बाधा पड़ी तथा इसके परिणाम स्वरूप फरवरी के महीने में मिलीगुड़ी/ए० जे० पी० से केवल 50 से 55 प्रतिशत तक भाल उठाया गया। इसके कारण पश्चिम बंगाल में लाइट डीजल आयल की कमी रही तथा वहां के बिजली धरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

सिलीगुड़ी/ए० जे० पी० से पश्चिम बंगाल को मोटर गैसोलीन भी सप्लाई होता है। श्रमिकों संबंधी समस्याओं के कारण पश्चिम बंगाल को कोटा गैसोलीन की भी उपयुक्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा सकी। जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है जनवरी, फरवरी, 1974 में सभी राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में 15 से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई। उर्वरक के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। क्योंकि इसका वितरण कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मिट्टी के तेल का वितरण लोक वितरण प्रणाली के द्वारा किया जाएगा जिससे ग्राम जनता को मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके।

श्री देव कांत बरुआ : इसके बारे में मेरी कोई योजना नहीं है। यह राज्य सरकारों का काम है।

एस्सो (भारत में उाक्रमों का अर्जन) विधेयक—

ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये 2 घंटे का समय निर्धारित किया था किन्तु इस पर 3 घंटे और 40 मिनट खर्च हो गये हैं। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त जी भाषण देने के लिये जा रहे हैं। उसके बाद इसपर मतदान होगा।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past two of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर चौतीस मिनट म०प० पर पुनः सभेवत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-four minutes past Fourteen of the clock)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक में इस कानून के अर्जन के लिये जो तरीका अपनाया गया है तथा मंत्री महोदय ने इस बारे में जो तर्क दिये हैं उनके आधार पर इस विधेयक का समर्थन नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय का यह कहना सच है कि देश की प्रावधानिक व्यवस्था के कारण बिना मुआवजा दिये किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। किन्तु माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि संविधान के 25वें संशोधन में मुआवजे के स्थान पर राशि शब्द रख दिया गया है। उस संशोधन का उद्देश्य यही था कि किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये सरकार को मुआवजे की राशि बाजार भाव के अनुसार न देनी पड़े क्योंकि हमारे जैसे गरीब देश के लिये इतनी अधिक धनराशि देना सम्भव नहीं है। देश की आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार ही मुआवजे की राशि दी जा सके यही संविधान के 25वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य था।

मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा देश बिना मुआवजे दिये राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं है। किन्तु क्या अत्यन्त बड़े बहुराष्ट्रीय निगम की एक शाखा के ऐसे राष्ट्रीयकरण का क्या औचित्य है जिससे इसके व्यापार चिन्ह पेटेंटों और डिजाइनों आदि पर सरकार का कोई अधिकार नहीं? फिर भी सरकार तीन करोड़ रुपये की राशि का विदेशी मुद्रा में भुगतान करेगी। यह सौदा नितांत अलाभकर है।

हमारे दल के ही नहीं बरन अन्य पक्षों के माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि सरकार इस राशि का व्यौरा बताए। मंत्री महोदय ने केवल इतना बताया है कि एक समिति ने इस देय राशि का हिसाब लगाया है। वास्तव में यह समिति नौकरशाहों की थी जिसमें कुछ मंत्रालय के सचिव थे। हमें यह नहीं बताया गया कि मुआवजे की राशि इतनी किस प्रकार बन गई तथा उसका किन आधारों पर हिसाब लगाया गया। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का पहले ही अभाव है किन्तु सरकार इतनी अधिक विदेशी मुद्रा देने को तैयार है।

मैं सदन का ध्यान एक अन्य गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारतीय तेल निगम ने रुमानिया से इंजन का तेल मंगाया था। एस्सो ने 1967-71 की अवधि में भारतीय तेल निगम से 3.13 करोड़ रुपये का इंजन का तेल उधार लिया था तथा यह बचन दिया था कि ठीक उतना ही तेल वापस दे दिया जाएगा। तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण एस्सो ने अपना बचन तोड़ दिया तथा उसने तेल की बजाय तेल की कीमत देने का प्रस्ताव रखा। मेरे पास भारतीय तेल निगम का आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मौजूद है जिसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। मैं इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखना चाहता हूँ। सरकार तीन करोड़ रुपयों की राशि मुआवजे में देना चाहती है किन्तु उस तेल का क्या हुआ जिसकी कीमत अब लगभग 4 करोड़ रुपये है? मुझे इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाए जिससे माननीय सदस्यों को ज्ञात हो सके कि एस्सो को सरकार कितनी सुविधाएं देती रही है। अतः महोदय ! मेरा यह अनुरोध है कि जब तक सरकार सभा को पूरी-पूरी जानकारी नहीं देती तथा यह नहीं बताती कि इतनी धनराशि का अलग-अलग व्यौरा क्या है तब तक इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए।

देश में विदेशी मुद्रा की समस्या को देखते हुए सरकार को इस विषय में पुनः विचार करना चाहिये। देश की आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने प्रेसीडेंट गदकरी का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं भुगतान करूंगा किन्तु अभी नहीं, बाद में। किन्तु हमारी सरकार में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वह उस प्रकार कह सके। अतः जब तक सरकार हमें उक्त मामलों की पूरी जानकारी नहीं देती हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कनकता-उत्तर-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था और औचित्य का प्रश्न है। संविधान में 25वां संशोधन किये जाने के पश्चात् पहली बार एक विदेशी कंपनी का अपने हाथ में लिया जा रहा है। अतः जब तक सरकार इस कंपनी को मुआवजे में दी जाने वाली राशि का पूरा व्यौरा नहीं देती तथा इस राशि की गणना के आधारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती तब तक सरकार को इस विधेयक को पारित कराने का कोई अधिकार नहीं है।

संसद की प्रभुसत्ता को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय से कहा जाए कि वह कतन समा के समक्ष अपेक्षित व्यौरा प्रस्तुत करें। इस कंपनी की ओर देश की चार करोड़ रुपये की राशि बकाया है। तथा सीमित उसे इसके अतिरिक्त तीन करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं जो हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुये बहुत अधिक राशि है। मंत्री महोदय जब तक संतोषजनक जानकारी न दें तब तक इस विधेयक पर कोई ध्यान न दिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय ! क्या मुझे इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप इसे मुझे दे दीजिये।

श्री बसंत सठि : इस दस्तावेज से तथ्यों का पता लगेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकजी का व्यवस्था का प्रश्न था अथवा औचित्य का, किन्तु मैंने उन्हें यह प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी। वस्तुतः कल मैंने भी मंत्री महोदय से इस विधेयक के फलस्वरूप उत्पन्न भ्रामक स्थिति के बारे में पूछा था किन्तु उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की। कुछ उपक्रमों को अर्जित किया जा रहा है किन्तु विधेयक में अनेक अपवाद रखे गये हैं। मंत्री महोदय ने 18 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया किन्तु इस बारे में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है।

एक तथ्य का श्री इन्द्रजीत ने उद्घाटन किया है। अब यह सभा पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय करती है। यदि मंत्री महोदय सभा को संतुष्ट कर सकें तो सभा उस पर विवेकपूर्ण निर्णय करेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय यह न सोचें कि उनका बहुमत है तथा वह इसे पारित करा लेंगे। यह राष्ट्रीय महत्व का गंभीर मामला है।

श्री देवकांत बरुआ : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि 2.59 करोड़ रुपये की राशि किस आधार पर निर्धारित की गई, मैंने कहा था कि यह राशि एक बड़े सौदे का अंश है। आपने यह निर्णय किया है कि इसको विधेयक का अंग नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा था कि सरकार ने इस करार के बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं दी, मैंने कहा था कि वह सौदा क्या था, सरकार इस बारे में स्पष्ट बताये।

श्री देवकांत बरुआ : इस विधेयक में मार्केटिंग डिवीजन को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था है। राशि का हिसाब लगाने के आधार का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। कल मैंने तीन सचिव समिति के सदस्य बताये थे किन्तु वास्तव में समिति के चार सचिव सदस्य थे। अन्य बातों के साथ-साथ मुआवजे की राशि का हिसाब लगाने समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि यह एक चालू और लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी है।

मुआवजे का प्रश्न पहली बार हो नहीं उठा है। भारतीय ताम्बा निगम के राष्ट्रीयकरण के समय भी यह प्रश्न उठा था। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय भी यह प्रश्न उठा था। भारतीय ताम्बा निगम के राष्ट्रीयकरण के समय श्री कुमारमंगलम ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किये थे उनको सभी ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में भी मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय कम्पनी के संयंत्रों का मूल्य तथा उसकी लाभप्रदता को ध्यान में रखा गया है। इस आधार पर निर्धारित राशि सरकार तथा कम्पनी दोनों के लिये न्यायोचित है।

श्री के० नारायण राव : बाजार भाव पर मूल्य देने की स्थिति में संविधान में संशोधन किये जाने का क्या महत्व रह जाता है? (व्यवधान)

श्री देवकांत बरुआ : इसका उत्तर कांग्रेस का मंत्रिमंडल ही दे सकता है। आप इसे स्वीकार करें या न करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर सभा में चर्चा हो रही है तब सभा से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।

श्री देवकांत बरुआ : मैं आपके मत से पूर्णतः सहमत हूँ। जहाँ तक श्री इन्द्रजीत द्वारा तेल के बारे में उठाये गये प्रश्न का संबंध है, उसके बारे में मुझे अभी-अभी जानकारी प्राप्त हुई है। एस्सो ने उधार लिये गये तेल का मूल्य भारतीय तेल निगम के पास जमा करा दिया था। किन्तु भारतीय तेल निगम ने इसे राशि को उधार तेल के खाते में जमा कर लिया। एस्सो को कुछ आयात लाइसेंस प्राप्त हुये तथा उसने इन लाइसेंसों को भारतीय तेल निगम को दे दिया और इन लाइसेंसों को तेल की वापसी मान लिया। अभी तक भारतीय तेल निगम ने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। वास्तव में तेल उद्योग में इस प्रकार के सामान्य सौदे होते रहते हैं तथा उनके बिना काम नहीं चलता। श्री इन्द्रजीत का भाषण निश्चित ही बड़ा प्रभावपूर्ण होता है किन्तु जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, उसके बारे में उनके भाषण में कोई संगति नहीं थी।

प्रो० मधु षण्डवते : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि मुआवजे के बारे में संविधान में किये गये 25वें संशोधन के उपबन्धों को इस मामले में उपेक्षा क्यों की जा रही है।

श्री देवकांत बरुआ : मैं किन्हीं सैद्धांतिक समस्याओं का निराकरण करने के लिये नहीं आया हूँ। यह सच है कि बिना मुआवजा दिये भी किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है किन्तु उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम मुआवजा दें ही नहीं।

श्री डी० एन० तिवारी : किसान की भूमि का प्रजन करते समय सरकार कहती है कि बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता किन्तु एन व्यापारी की सम्पत्ति के बारे में आप बाजार भाव पर मुआवजा देना चाहते हैं। यह दोहरी नीति क्यों।

श्री देवकांत बरुआ : बाजार भाव से इस मामले में भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा ; केवल इस पहलू को ध्यान में रखा गया है क्योंकि यह एन चालू तथा लाभप्रद कम्पनी है।

श्री बी० वी० नायक : लाभप्रद और चालू कृषि फार्म के बारे में क्या मत है ?

श्री देवकांत बरुआ : उस मामले में भी ऐसा ही किया जाएगा।

डा० रानेन सेन : अमरीकी कम्पनियां भारत को रुपये में भुगतान करती हैं किन्तु भारत द्वारा उन्हें डालर में भुगतान किया जाता है। (व्यवधान)

श्री देवकांत बरुआ : यह विवाद चल रहा है। उस समय तेल का मूल्य इतना ही था तथा उन्होंने 3 करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं। हम तेल की मांग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इन सब बातों का निर्णय सभा ही करेगी।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या हम सरकार से यह अनुरोध नहीं कर सकते कि वह इस पर पुनः विचार करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार भारी बहुमत के बल पर इस प्रकार के कार्य करेगी ? यह नितान्त अनुचित है। मंत्री महोदय इस विषय पर प्रधान मंत्री से विचार विमर्श करके पुनः इस विधेयक को ला सकते हैं। महोदय ! एस्सो को भारी वारशि दी जा रही है जिसका वह अधिकारी नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय को श्री एच० एन० मुकर्जी की अपील का उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी मौन का अर्थ अधिक सार्थक होता है :

प्रश्न यह है :

“कि विधेयको संशोधित रूप में पारित किया जाए।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 85

विपक्ष में 26

Ayes 85

Noes 26

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

रेलवे बजट, 1974-75 सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1974-75, GENERAL DISCUSSION

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Mr. Deputy Speaker, I oppose the Railway Budget. It is not the question of only Shri Mishra, but it reflects the policy of this Government. This is an anti-people and anti-worker Budget. The policy of the Government to bring about capitalism in the country is clear from this budget. It will not be improper to say that the ruling party *i.e.* Congress is surrendering to the reactionaries who want to establish capitalism in the country. This Government talks about progressive things and raises the slogans of 'Garibi Hatao' but this Railway Budget clearly indicates that it is surrendering before the reactionaries instead of fighting against them as a result of which a crisis has come up in the country.

In the begining, I have stated that this is an anti-people Budget. Raising of fares through this budget clearly indicates that this Government is against the people, it does not care for the interests of the people, it wants to protect only a few capitalists. You have raised fare by 7 percent in case of first class upto a distance of 800 miles and 8 percent for in case of 3rd class. There is an increase of 8 percent for dignatories in Ist Class upto 1000 K.M. and 10 percent for the poor people. After that the increase is 8 percent for Ist Class upto 1200 K.M. and 11 percent for the poor people travelling in 3rd Class. It is 7 percent for Ist Class upto 2000 miles and 10 percent for the Third Class. This is an open and written proof of your democratic policy.

Increase in the freight charges are higher for the good of common people's use. Freight has been increased on coal, cloth, cotton etc. which will increase the prices of these articles. There is little increase in the case of those moneyed people who manufacture paper and set up paper mills by taking bamboo. You have to pay a little because you take bamboo and you have to pay more because you take cloth and utencils. It is clear that this is a anti-people Budget.

Your entire speech is anti-people. You have termed the workers as indisciplined in the major portion of the Budget by saying that they had to pay more on account of pay Commission's report and that still they are not behaving properly. You should compare the Railways, which is an industry, with the other public undertakings and then see and

compare the minimum wages prevalent there. You are not having even the minimum wages of the public sector. The condition of the Railway workers is that there is hardly any scope for collective bargaining, that method has practically come to an end. Your sole slogan is that the negotiations will be held with the recognised Unions and with Sharmaji. The policy of recognition, which you formulated some 15-20 years ago, is no more there. There is increase in the awakening among the people as a whole, there is increase in their difficulties, there is increase in their grievances, there is no other measure to solve them. The only measure is that there should be discipline and federation should be recognised. It will not be possible without recognition. What have you created by doing so? Nothing but the category of unions have been created, gherao has been created. You say that we provoke them. We simply pump them up and they are provoked. What will be the result if we say all these things before the workers. I want to quote an instance. There is nothing like collective bargaining in case Sharmaji honestly speak here today. 99 per cent of the votes from the Railway workers will go against him in case there is secret ballot, this is my challenge. This collective bargaining and real bargaining body will not work with the Member from Railway Board, Bairi Sahi and policy of the Railway. It will work properly only through the voice of the Railway employees and through the representation of their organisation. Presently, the Minister put his signature's on what is placed before him by the Member of the Railway Board. They say that their union is recognised....

Today the policies of the Railway Board are being implemented in a bureaucratic manner. Board is functioning in a way which causes charges of indiscipline and orders of suspension against the employees who fail to implement its policies. On representing the grievances to you it is said that this is in proper order because Railway Board is also of the same opinion.

I want to give one more instance. You are indulging in unfair labour practice with the Labour in the name of project. How long will the work of Electrification last? The work of electrification, in all the countries is that of continuing process, it will go on increasing. It is always going on either here or there. But your policy is that there will be diesel engine upto Kanpur where the same will be replaced by the electric engine. The electric engine will proceed after standing there for one day. This is heavy wastage. You are doing a bit of work here and a bit there. The work, wherever it is necessary should be of continuous nature. But what are your relations with the workers? It is said that being the workers of the project, they have no rights. They are being given wages of Rs. 3 or Rs. 4/. They have been denied the facilities of leave, provident fund, gratuity etc. etc. They have not been provided with Quarter, P.T.O. and Pass. They are paid only Rs. 4/-, because they are project workers. Is it your policy? You have termed the projects of continuous nature as projects. If you talk about some bridge, it is alright because its work can be completed within four or six months. But the work of electrification is not complete as yet, it may not be completed for long. Then what do you mean by the term 'Project'. There is one M.T.P. The underground Railway in Calcutta, is the first step in the history of our country. Underground Railway is proposed to be laid there. Its work will last for so many years. The work will start in Bombay and different parts of Calcutta. But according to you, this is also a project. You are resorting to exploitation and unfair labour practice in the name of project, the work of which is essentially of permanent nature. When you behave like this, even the private employer says that we are not doing it because the big employer is also not doing the same. He also says that this is a contract labour. You should state your policy about it.

What is your policy about the collective bargaining and recognition of the unions? There is only one union under M.T.P.C. There is only one union organised by the workers. They repeatedly say that there is injustice. Central Manager says that your union is not recognised and in case of gherao, it is said that they are indisciplined.

Who will solve their problem and who will hear their grievances? They say that the Transport Member should be contacted and we will talk after making enquiry from him. They gave their representation. Their deputation met Qureshi Sahib who gave an assurance to go there and hold talks. He went there but did not meet. The issue of collective bargaining is going on for the last three years but no attention is paid towards this. On putting more pressure they say that Sharmaji should be contacted. Where should we search him? After all, what is your policy? Will you accord recognition to that Union or not? The name of that union is M.T.P. Railway Workers Union. Its President and Secretary met the Hon'ble Minister so many times but no solution could be found. I will request you to say a few words about it.

Bengal is defamed in this matter by saying that it is all red. Marxists are blamed for doing all this. We are also defamed for all what you do.

3 lacs people are involved in the case of casual labourers which is a very old case. There is no unified wage scale and there are no rules for them. Even in open land, casual labour is regularised within six months but here they are treated as temporary. Casual labourers are being exploited by being paid at the rate of Rs. 4, Rs. 3, Rs. 2, Rs. 1.25 or Rs. 1.50 prevailing in the different projects. Why are you not applying the policy of casual labourer prevailing in the open land, here also. I would like to know your policy in this behalf clearly.

What are the reasons of the gherao of category union and what shape will it take? All the recognised and non-recognised unions of the Railway employees of the country gave representation on 27th February. Their decision is that their pay should be brought at par with other Public Sectors till 10th April. In case no decision is arrived at till 10th April, then they have decided to take some steps in the month of May. You should be prepared, to face the situation—entire railway will come to stand still. You should also tell us in your reply the course of action you are proposing to meet this situation.

Only four or five days ago, Technical staff gave their representation, incidently, I sent the same here. It is stated in reply to this representation that they will be paid according to the Pay Commission report and it is also suggested that they should come through a recognised union. Technicians of the diesel and electric engines are included in it. I want to tell you that their anger and discontentment will have dangerous consequences. They have demanded 80 percent departmental promotions. You have been promoting others by taking from outside and their Supervisors and Chagemen are ignored.

What is the method of listening to the greivances of the people. I am here in the Parliament for the last 7-8 years and getting very much perturbed. People from my area enquires about the type of Parliament I represent them, where no body is given hearing. Thousands of people sent applications and deputation for halt-station at Navapara and Baranagar constituency where 1½ lacs people including workers, employees are residing but no decision has so far been taken. They have been saying that it will be done or enquiry is going on, it is not economical and the demand cannot be accepted etc. etc. They have to walk for three four miles, change the trains frequently resulting in absence, chargesheet's and harrassment. On the basis of Public Passenger Amenities, I appeal to you for providing halt station. It will augment your income, even then, if you are not going to accept this demand, then there may be some political consideration.

Similarly, people of A-Vantipur on the Eastern Railway have been sending their applications for the last 8 years. When Mrs. Renu Chakravarti was here in the Parliament, she also demanded a halt station between Kagnara and Samnagar. 1½ lacs people including workers and employees are residing there. Nothing has so far been done in this direction. Lacs of people will get facilities even if Rs. 5000 per month are spent for this purpose, but no heed is being paid towards this demand.

What has been your attitude towards Hawrah-Amta. Sometime you say that there will be broad-gauge and sometime you say something different. Here I should commend the bold decision taken by Shri Hanumanthaiya in this connection. Kindly tell me as to what is your programme about this demand. It is not proper to keep it pending. The grivances of the people cannot be acceded to in this way. You have been stopping the trains, resorting to firing and defaming the people when there are gheraos and squatting. What happened in Assam on 15th February? You failed to implement the agreement arrived at with the locomen about ten hours duty. The Manager of the N.F. Railway says that they have no such instructions, what can we do. They were charge-sheeted as a result of which agitation is going on there. Hon'ble Minister and the Railway Board have cancelled trains, goods trains, food trains and are propagating through the newspapers that food trains had to be cancelled due to this agitation which means that the fault lies with the workers only and that the Railway Board is not at fault. I want to know the reasons for which the

agreement of 15th February was not implemented. They gave you ultimatum and you took some decision which you do not want to implement. You do not care for your prestige. The hon'ble minister took the decision himself. Decision was to be implemented on 15th February but you left the same on Railway Board who sabotaged the same as a result of which these people are performing unpatriotic duties and trying to create crisis in the country.

I want to say a few words about coal also. The question is that of non-availability of wagons. I want to inform you that big merchants had been paying monthly amount ranging from Rs. ten to twenty thousands to the authorities right from Transport Member to D.S. and that is the only cause of sabotage. Will you get the matter enquired? Agents and licence holders of coal take their quota and sell the same there and then. Who will search the wagons? Railway Board only can do it. There is no shortage of wagons in the country but they are not being supplied.

Transport Member is responsible for the late running of the trains. D.S. and C.O.P. reports to the Transport Member whenever trains are late, who issues some directions and still the trains are late. After all, what is the solution? It would have been better if these powers were delegated to the zones. Powers for time-controlling and wagon allotment should be delegated to the zones but the movement is done by the Transport Member, and the Railway Board. This is not proper way. Then what are the responsibilities of the Zones? They say that they are acting according to the orders of the Transport Member.

I will conclude by saying a few words about vendors. There is no unified policy for the vendors in the railway. There is a provision of commission for them in the South but some different position is existing here. There is no unified policy about salary, Commission, Uniform etc. There is nothing like that. Board sitting above is indulging in sabotage and have no coordination with the workers because they are still functioning in a bureaucratic way.

श्री ए० पी शर्मा : (वक्तर) : रेलवे मंत्री द्वारा वर्ष 1974-75 के लिये प्रस्तुत रेलवे बजट के अनुमानों का मैं समर्थन करता हूँ। भारतीय रेलवे के देश में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। भारतीय रेलवे से 15 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। वर्तमान स्थिति में रेलवे मंत्री द्वारा ऐसा व्यावहारिक बजट प्रस्तुत किया जाना प्रशंसनीय है।

वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये इससे अच्छा रेलवे बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

वर्तमान बजट को जनता-विरोधी और श्रमिक-विरोधी कहना उचित नहीं है।

जहां तक जनता के हित की बात है रेलवे मंत्री ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये नई नीतियां बनाई हैं। अब तक इस सम्बन्ध में यह नीति थी कि जब भी कभी नई रेलवे लाइन का निर्माण करना होता था तो इसके निर्माण करने से पूर्व इससे प्राप्त होने वाली आय पर पहले विचार किया जाता था। उन्होंने अब उस नीति में परिवर्तन कर दिया है। इस बारे में अब क्षेत्र के विकास सम्बन्धी पहलू पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि रेलवे देश के आर्थिक विकास का माध्यम है। यदि इस बारे में पहले वाली कसौटी अपनाई जाती तो रेलवे केवल कुछ बड़े नगरों जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ही चली रही होती और देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछी न होती। बजट के इस पहलू की प्रशंसा करनी होगी।

जहां तक श्रमिकों में व्याप्त असंतोष का प्रश्न है, जिस प्रकार के कार्मिक संघ श्रमिक यहां चलाना चाहते हैं वे न तो श्रमिकों के हित में होंगे और न ही देश के हित में होंगे।

यह हर्ष की बात है कि रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि जब भी रेलवे और उसके कर्मचारियों में कोई विवाद होगा और यदि इसका हल बातचीत अथवा पारस्परिक विचार विमर्श से नहीं होगा तो इसे स्वतः ही मध्यस्थता के लिये सौंप दिया जायेगा। लेकिन कुछ लोग—इसके पक्ष में नहीं हैं और वे श्रमिकों को सदैव हड़ताल का आसरा लेने को उकसाते हैं। लोको कर्मचारियों को जब इस बात की जानकारी होगी तो वे जीवन भर उन्हें कोसते रहेंगे।

यह कहा जाता है कि रेलों में पर्याप्त बैगन नहीं लगाये जा रहे हैं जिससे देश में कोयले की कमी हो रही है। देश में कोयला और बैगन दोनों ही उपलब्ध हैं। लेकिन सच बात यह है कि कोयला खानों के मुहानों पर पड़ा है और बैगन साईडिंग पर खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति खानों के मुहानों से साईडिंग पर खड़े बैगनों पर कोयला ले जाने का कष्ट नहीं करता है। पहले इसकी जिम्मेदारी कोयला खान मालिकों की थी। कोयले की ढुलाई में औसतन तीन से चार अथवा पांच घंटे लगते हैं। अब इस कार्य पर 10 से 14 घंटों लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उत्पादन के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों की इस कार्य में रुचि नहीं रही है और वे कोयले को कोयला खानों के मुहानों से साईडिंग तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि कोयले की कमी के लिये रेलवे जिम्मेवार है।

जहां तक रेलवे बोर्ड के कार्य का प्रश्न है इस जैसी पद्धति का अन्य विभागों ने अनुकरण किया है।

हाल ही में डाक और तार विभाग ने अपना कार्य बोर्ड के माध्यम से करना आरम्भ किया है। भारतीय तेल निगम ने भी ऐसा ही किया है। अतः हर समय रेलवे बोर्ड के विरुद्ध कहना उचित नहीं है।

रेलवे में शक्ति का बहुत अधिक केन्द्रीकरण है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस बात की जांच की जानी चाहिये और रेलवे बोर्ड की शक्तियों में कमी कर जनरल मैनेजर तथा अन्य निम्न अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये जिससे छोटे-छोटे मामले में लोगों को रेलवे बोर्ड तक न पहुंचना पड़े। उदाहरणार्थ तीसरी श्रेणी के पद को स्वीकृति देना जनरल मैनेजर के अधिकार में नहीं है। इसके लिये रेलवे बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड द्वारा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिये। परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड से अनुमति न लेने के अभाव में काम में बहुत बाधा पड़ती है। अतः मैं मंत्री महोदय से इस नीति में परिवर्तन करने और यह सुनिश्चित करने, कि इन शक्तियों को कहां तक प्रिकेन्द्रित किया जा सकता है, के लिये अनुरोध करता हूं।

मैं मंत्री महोदय ने अनुरोध करता हूं वह रेलवे के कार्मिक प्रबन्ध विभाग की जांच करें क्योंकि इस विभाग में कार्मिक प्रबन्धक स्थाई रूप से नियुक्त किये जाते हैं अतः एक अलग कार्मिक प्रबन्ध संवर्ग आवश्यक है। इस विभाग को रेलवे के विशेषज्ञ विभागों में से एक समझा जाना चाहिये।

अब मैं एक उद्योग में एक यूनियन के विचार सम्बन्धी प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। भारतीय रेलवे में दो फेडरेशन और दो यूनियन हुआ करती थी और महान नेताओं के प्रयास से एक यूनियन बनाई गई। परन्तु बाद में हुआ यह कि सामान्य प्रयोजनों हेतु एकता नहीं लाई गई थी। वर्ष 1957-58 में कई नेता संयुक्त फेडरेशन से अलग हो गये और उन्होंने पहले के फेडरेशन की बहाली का अनुरोध

किया तथा उस फेडरेशन को बहाल किया गया (व्यवधान) उस दिन श्री बाजपेयी ने रेल मंत्री से यूनियन का विघटन करने का अनुरोध किया था परन्तु यह कार्य तो श्रमिक ही कर सकते हैं। मजदूर संघवाद एक गंभीर व्यापारिक बात है। एक मजदूर संघ उस समय तक उत्तरदायी मजदूर संघ नहीं हो सकता जब तक उसके सदस्यों को पूरा वेतन अदा न किया जाये। वे न्यूनतम अंश दो रुपये के स्थान पर दो आना एकत्र करते हैं।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि गारंटी क्या होगी। अनुत्तरदाई व्यक्तियों के हाथ में मजदूर संघ नहीं होने चाहिये जो हड़तालों के माध्यम से विवाद निपटाने की कोशिश करते हैं।

यदि जनसंघ और साम्यवादी दल समझते हैं कि श्रमिक उनके साथ हैं तो वे नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन में शरीक हों।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि भारतीय रेलवे में 47 मजदूर संघ हैं। उस पक्ष के सदस्य चाहते हैं कि 700 मजदूर संघ हों। यदि ऐसा हो गया तो रेलवे का कार्य लगभग ठप्प हो जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में आपस में झगड़े चलते रहेंगे।

तृतीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है। मैं जानता हूँ कि बहुत से व्यक्तियों ने नये वेतनमान के लिये विकल्प किया है।

रेलवे में विभागीय स्तर पर वेतन निर्धारण में असंगतियों दूर करने वाली समिति तुरन्त बनाई जानी चाहिये।

अन्त में जहां तक भारत सरकार के औद्योगिक श्रमिकों विशेषतः रेल श्रमिकों का सम्बन्ध है इनका बोनस का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे कर्मचारियों के सम्मुख यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे आशा है कि बोनस पुनरीक्षण समिति इस महीने के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन ने समिति के सम्मुख रेल कर्मचारियों का मामला रखा है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने वाला है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि बोनस पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन को तुरन्त क्रियान्वित करायें। एक बार बोनस का मिडान्त निर्धारित हो जाये चाहे उद्योग लाभ में चले अथवा घाटे में न्यूनतम बोनस दिया जाना ही चाहिये। बोनस पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन को पूर्ण-रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये और देश के रेलवे कर्मचारियों को 8 1/3 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Budget presented by the Railway Minister Shri L. N. Mishra is anti-people, anti-labour and pro-capitalists, therefore, I oppose in toto the Budget-Provisions.

श्री बसंत साठे पोठासीन हुए

Shri Vasant Sathe in the Chair

The deficit of Rs. 200 crores shown in the Budget is the result of evil deeds of Railway Board. The loss to the extent of Rs. 136.38 crores will be made good by increasing rail fares and freight which will hit hard the poor people. While freight charges have been increased there are certain items for which freight charges are nominal and this directly benefits internal as well as external Capitalists. The other side of the picture is that the items of daily consumption like Coal will cost more and add to the difficulties of the poor.

The Railway losses are due to widespread corruption from top to bottom prevalent in the Railways. There are 35,000 items in Railway stores lying idle and which are hardly of any use. Running of suburban trains is also unprofitable to railways. Mostly the industrial workers travel in these trains. Capitalists in whose factories these workers are employed should be asked to make-up the loss.

The Railway Board is a white Elephant and this should be dissolved. A Corporation should be set up to run the railways. The Government should seek cooperation from the railway employees for the efficient running of railways. Cooperation of the employees can be obtained if their needs are satisfied. Employees should be given bonus, need based minimum wage and the other facilities like the availability of foodgrains at subsidized rates.

There are quite a large number of Category unions. These unions are very strong. All these category unions should be recognised. All India Railway Employees Federation should also be recognised.

Railways are having quite a large number as many as 3,20,000, of casual labour. Their condition is pitiable. They are not getting the minimum wage i.e. Rs. 196/-. The Government should make efforts to see that the lot of the casual labour is improved. They should be given bonus and the status of industrial workers. Some sort of settlement should be reached before 10th of April so that they may not resort to strike.

Daily-passengers are facing great hardships. Accidents are frequent. All these things should be looked into and some solution should be evolved.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस प्रकार की चर्चा में अधिकारियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जाता है। मंत्री महोदय तो अपनी सफाई देने के लिये सदन में होते हैं परन्तु अधिकारी तथा कर्मचारी नहीं होते। अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर नीतियों की आलोचना की जानी चाहिये। यह मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : किसी भी मामले में असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : रेलवे बजट में देश के विकास तथा बहुमुखी आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखा गया है।

इस वर्ष जनआन्दोलनों विभिन्न अभावों तथा मूल्यों में वृद्धि आदि के कारण रेलवे बजट तैयार करने में रेल मंत्री के सम्मुख अभूतपूर्व कठिनाइयां थीं। 1298.27 करोड़ के आंकड़ों को देखने ही ये कठिनाइयां स्पष्ट हो जाती हैं। आज देश बड़ी गम्भीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहुत से क्षेत्रों में नई रेल लाइनों की अपेक्षा की जाती है। इन परिस्थितियों में रेलवे को हानि पहुंचाने वाले लोग देश के बहुत बड़े शत्रु हैं। मंत्री महोदय को सदन को आग्रस्त कराकें आन्दोलनों आदि का दृढ़ता से सामना करना चाहिये। सदन में एक विधेयक लाया जाना चाहिये जिसमें रेलगाड़ियों को रोकने वालों तथा रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों को देशद्रोही ठहराया जाये। ऐसे लोगों को बड़े से बड़ा दंड दिया जाना चाहिये।

योजना के बीस वर्ष पश्चात् भी हम 6000 किलोमीटर रेलवे लाइन से अधिक निर्माण नहीं कर सके हैं। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। औद्योगिक कृषि तथा वाणिज्यिक विकास संचार साधनों पर निर्भर रहता है। इसका विकास न करना देश के साथ अन्याय करना है।

हमारे देश में रेलगाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। कुल माल परिवहन का 68 प्रतिशत और यात्री परिवहन का 50 प्रतिशत रेलवे द्वारा होता है। यह सभी जानते हैं कि रेलवे को यात्री परिवहन से लाभ नहीं होता है। आपने रेलवे बजट पर अपने भाषण में कहा है कि इस कारण कम दूरी की रेलगाड़ियों को चलाना निरुत्साहित किया जायेगा ऐसा करने से अनेक क्षेत्र उपेक्षित रह जायेंगे और केवल वही क्षेत्र लाभान्वित होंगे जहां बड़ी लाइनें हैं।

आपने पांचवीं योजना में समूचे देश में 30 नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। रेलवे को हड़तालों के कारण 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अतएव इस 100 करोड़ रुपये के प्रावधान का क्या महत्व रह जाता है ?

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कम से एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। नई रेलवे लाइनों के निर्माण की अनुमति देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि कोई भी राज्य उपेक्षा का शिकार न बनें।

प्रधान मंत्री के कहने पर नांगल से तलवाड़ा तक रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि गत 25 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कोई रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हुआ है। यहां तक कि राजस्थान के नहरों को पानी देने के लिये हमारी रेलवे लाइनें बन्द कर दी गई हैं। हमारे राज्य से जवान अपने देश की रक्षा करने के लिये सीमाओं पर लड़ने जाते हैं, क्या उनके साथ यही व्यवहार किया जा रहा है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों को न बिछाकर बड़े-बड़े व्यापारियों, मुनाफाखोरों आदि के लिये वातानुकूलित डिब्बों प्रथम श्रेणी के यात्रा सुविधाओं आदि को बढ़ाया जाये इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाया जाये नई रेलवे लाइनें बिछाने से प्रौद्योगिक व्यापारिक तथा चहुंमुखी प्रगति को बल मिलता है। नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन का निर्माण करने से उस क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा, इसके अलावा रेलवे को उसमें माल भाड़े तथा यात्री किराये के रूप में भी लाभ मिलेगा। देश में खाद्य संकट के दौरान पंजाब से खाद्यान्नों से भरी रेलगाड़ियां अन्य राज्यों को भेजी गयीं थीं। अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल को अकाल का सामना करना पड़ा था। अब हमें देश में परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये ताकि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। देश के एक भाग को आवश्यकता पड़ने पर दूसरे भाग की सहायता करनी चाहिये। यदि आप हिमाचल प्रदेश में नई रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं तो इससे वहां परियोजनाओं को आरम्भ करके पन बिजली पैदा की जा सकती है। यदि धन की कमी के कारण पूरी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया जा सकता है तो कम से कम वर्ष 1974-75 के दौरान नांगल से 50 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का निर्माण निश्चित ही किया जाना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग, जो अभी तक प्रत्येक रेलवे मंत्री की उपेक्षा का शिकार रहा है, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं आपका ध्यान रेलवे जोनों के पुनर्गठन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय रेलवे का प्रयास बहुत बड़ा हो जाने से भत्ती-भांति नहीं चल रहा है। रेलवे के जिन जोनों का पुनर्गठन किया गया, उनमें उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे को अधूरा रखा गया। आज भी उत्तर रेलवे में कुल 10,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, उदाहरण के लिये उत्तरी जोन में जोगिन्दर नगर से मुगलसराय तक रेलवे लाइन 1430 किलोमीटर है परन्तु उत्तरी क्षेत्र समिति में लगभग 150 सदस्य हैं जो सभी राज्यों के हैं, इसलिये मेरे विचारमें यह उस क्षेत्र के साथ अन्याय है। मेरा अनुरोध है कि इस जोन का विभाजन

कर उत्तर पश्चिम जोन बनाया जाये। रेलवे सेवा आयोग इलाहाबाद में स्थित है। जम्मू में रेलवे लाईन को श्रीनगर तक बढ़ाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। श्रीनगर और जोगिन्दर नगर के उम्मीदवारों को इंटरव्यू आदि के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है। क्या उनको रेलवे में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये? अब समय आ गया है कि रेलवे जोनों का पुनर्गठन किया जाये ताकि उत्तर और पश्चिम रेलवे की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

रेलवे का कार्यक्रम बहुत असंतोषजनक है, रेलगाड़ियां निर्धारित स्थान पर रुकती नहीं हैं। कोई भी भीड़ जंजीर खींच कर कहीं भी रेलगाड़ी रुकवा सकती है, रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या कर रही है? सरकार को रेलवे कर्मचारियों तथा रेलवे समिति की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय अपनाने चाहिए। रेलवे दुर्घटना के समय चोट लगने, पूर्ण बेकार हो जाने तथा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है, वह एक समाजवादी कदम है जिसका सर्वत्र स्वागत किया जायेगा। रेलवे मंत्री महोदय को रेलवे व्यवस्था के विकास के लिये परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर परिवहन तथा संचार की एक दशिक नीति बनानी चाहिये ताकि समूचे देश में समान विकास हो सके।

राजगीर से गया तक रेलवे लाईन बिछाये जाने की आवश्यकता है। अलाभकर ब्रांच लाइन्स समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। इस लाईन को बिछाये जाने से मेन लाईन पर भीड़-भाड़ कम हो जायेगी। अंत में मेरा यह कहना है कि मंत्री महोदय इस संबंध में दृढ़ता के साथ कार्यवाही करें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I do not agree with every points, the hon. Minister have said in his budget speech. I want to know the number of passengers trains which had to be cancelled to facilitate the movement of trains carrying foodgrains and also what is the number of such trains. The responsibility of inefficiency in Railway totally lie in Railway administrations. The Railway administration is not capable of carrying out its duty. It has many causes. One of the causes is that zonal offices of Railway have less powers because of Railway Board. They have to go to the Railway Board for every decisions. The Railway Board should be scrapped and thus we can also save much money by taking such steps.

The hon. Minister has attributed the ills in Railway to the indiscipline among employees. In this respect I would like to say that the Railway administration is imposing recognised unions on other employees. This is a very wrong step. There are many other unions which have sizeable followers. They should be given recognition. On the other hand the administration is trying to carry out work with only one recognised union. This is a wrong approach. Other unions should also be given recognition.

Agitations are likely to take place on the question of Pay Commission's Report. Even after eight to ten years the Government is not implementing the report. Unless the economic condition of the people is not improved, they cannot remain happy. The vulnerable section of society is hard hit.

I want to know whether saving of Rs. 30 crores and 50 lakhs was effected by carrying out construction works in less cost or by shelving the construction works, which were already finalised. Regarding Guna-Mukshi line, the work is not being carried out properly and thus it is incurring loss.

The new railway lines are not remunerative only because there are no station in between as in the case of Ujjain-Dewas-Indore line, since there are no approach roads, adequate traffic is not available there. Therefore approach roads should also be provided wherever new line are provided.

Regarding dieselisation, I feel that coal and power should also be adequately utilised. Complete dependence is not wise.

9-10 crores of rupees are spent annually for the maintenance of R. P. F., but theft and pilforage has become four-fold, mostly with the collusion of R. P. F. personnel.

The Minister of Railways (Shri L. N. Misra) : This is wrong.

Shri Hukam Chand Kachwai : I, therefore, have to say, contrary to whatever the hon. Minister might go on saying, that this system has failed.

Regarding provision of more jobs to minorities and Harijans etc., it should be clearly stated as to which communities constitute minorities and to what extent jobs are being increased for them.

Territorial Army personnel and their families should be looked after in a better way. Medical care should be provided to their families in their absence on duty in border areas and elsewhere.

Resentment among all the 750 categories of railway staff is mounting due to indifferent attitude of officers. Neither my party nor I myself want that rail-movement may come to a stand still in these days of economic stringency but the hon. Minister also should on his part ensure that the causes of discontent should be removed to restore cordiality.

It is good that adequate compensation has been provided to be given to victims of railway accident for which it has been said that separate provision has been made in the Budget but I find that as many as ten other items have been included in that particular demand. This is not fair, because next year you might demand more funds because after spending the amount on these other items you may face losses.

Regarding unions, I feel that a Committee of all railway unions should be constituted to consider ways and means of solving the present problems facing the Railways.

I am not in favour of reduction of freight on foodgrains. Why should Railway suffer on account of states.

Regarding bonus to employees, it is their rightful claim and must be granted to them.

I hope the hon. Minister will consider these points.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : (गौहाटी) रेल मंत्री महोदय के बजट का समर्थन करते हुए मैं अपने राज्य एवं निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा ।

बंगाई गांव से गौहाटी तक का रेलमार्ग बड़ी लाइन से बदलने के लिये मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं । यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाना चाहिये परन्तु खेद है कि मेघालय को इस लाइन से जोड़ने का हमारा अनुरोध नहीं माना गया है । पर्वतीय क्षेत्रों को देश के शेष भागों से जोड़ा अन्य कारणों के साथ-साथ भावात्मक एकता के लिये भी आवश्यक है और आपको शायद पता नहीं है कि मेघालय न तो रेल द्वारा और न ही विमान द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है । इसलिये जब कभी तोड़फोड़ की कार्यवाहियां होती हैं तो पहला आघात इन्हीं पर होता है क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इसी प्रकार देश की भावात्मक एकता को आघात पहुंच सकता है । अतः मंत्री महोदय को इस ओर अवश्य ध्यान देना

चाहिये और न्युबंगई गांव को पंचरत्न और जोगीगोया के रास्ते थुरा से जोड़कर या गौहाटी को ग्वालपाड़ा के रास्ते थुरा तक लाइन बढ़ाया जाना चाहिये। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि मे तल्य स्थित कोयला खानों से कोयला निकालने से भी इस से सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में उनका ध्यान उनके भाषण के पृष्ठ 16 की ओर दिलाता हूं।

पृष्ठ 13 में उल्लिखित नंगल डेम तलवाड़ा और मांल्दा-बेलरघाट लाइनों का कार्य भी शिघ्र होना चाहिये क्योंकि ये दोनों पिछड़े क्षेत्रों में हैं।

भर्ती संबंधी नीति के बारे में मैं चाहता हूं कि रेलवे लोक सेवा आयोग सभी जोनों में होने चाहिये।

श्री ललित नारायण मिश्र : ये आयोग सभी जोनों में बनाए जाने का निर्णय कर लिया गया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और मुझे आशा है कि इनके महापति रेल-प्रशासन से संबंधित नहीं होंगे।

श्री ललित नारायण मिश्र : जी नहीं। उन्हें संघलोक सेवा आयोग चुनेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में हड़ताल के कारण यात्री और माल यातायात में भारी बाधा पड़ी है। मैं अनुभव करता हूं कि श्रमिक संघ का पूरा जोर इस समय केवल अधिकार प्राप्ति पर ही होता है और अपने कर्तव्यों के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की जा रही है विशेषकर आजकल की आयात स्थिति में भी—मैं उन्हें इसकी भी याद दिलाना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूं कि हम कुछ लोग जिनका श्रमिक संघों से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में सदा उनके साथ हैं।

खेद है कि रेलवे में श्रेणी I और II के अधिकारियों को भिन्न माना गया है जबकि उनके कर्तव्यों में कोई अन्तर नहीं है। पदोन्नति तथा अन्य मामलों में उन्हें समान अवसर मिलने चाहिये क्योंकि बहुत पहले 1942 में रेलवे बोर्ड ने और बाद में पहले और दूसरे वेतन आयोगों ने भी इस अन्तर को समाप्त करने की सिफारिश की थी। प्रशासन सुधार आयोग की भी यही राय थी परन्तु खेद है कि तीसरे वेतन आयोग ने कुछ आधारहीन और भ्रामक तर्क सुन कर इस अन्तर को बनाए रखने की सिफारिश की है और इसके पक्ष में तीन कारण बताए हैं परन्तु ये तीनों कारण तर्क और वास्तविकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। आशा है मंत्री महोदय इन पर गम्भीरता से ध्यान देकर यह विषमता दूर करेंगे क्योंकि ऐसा न करने से समान काम-समान काम के के सिद्धान्त का भी उल्लंघन होता है। की-पंचिंग चालकों जैसी कुछ श्रेणियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें कम वेतन मिलेगा—यह बहुत ही आश्चर्यजनक है क्योंकि वेतन आयोग तो मुद्रा स्फीति के प्रभावों से सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिये बनाया गया था। फिर भी यदि उन्हें अधिक की बजाय कम वेतन मिलता है तो यह बहुत ही अयुक्तिसंगत दृष्टिकोण है।

इस दृष्टिकोण को किसी भी ढंग से उचित नहीं कहा जा सकता। पिछली बार जब हम उनसे मिले थे, तो हमें आश्वासन दिया गया था। अतः इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

यह ठीक है कि यदि बजट में बहुत अधिक घाटा है तो वह किसी तरीके से पूरा किया जाना चाहिये। परन्तु दूसरी ओर साधारण जनता पर बोझ डालने से पूर्व हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि अन्य सभी स्रोतों पर विचार कर लिया गया है। आज रेलवे को जो हानि हो रही है उसका 31% भाग चोरियों आदि के कारण है। संसार के अन्य विकसित देशों में यह केवल 2 से 5% तक होती है। अतः रेलवे की जिम्मेदारी है कि हानि को रोके। इस इतनी बड़ी हानि के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं नियत किया गया है।

मैंने वकील के रूप में रेलवे के मुकदमें व रेलवे के विरुद्ध मुकदमें लड़े हैं। मेरा अनुभव है कि इन मुकदमों के बारे में समुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। रेलवे अधिनियम की धारा 82-ख में उपबन्ध है कि यदि व्यक्ति द्वारा कोई दावा किया जाये तो तत्काल जांच की जाये जिससे दावे की वास्तविकता का पता लग सके। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि मैंने एक भी ऐसा मामला नहीं देखा, जिसमें उचित ढंग से जांच की गई हो। बहुत ही मामूली तरीके से जांच की जाती है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिये कोई प्रयास नहीं किया जाता। अन्त में रेलवे को बहुत अधिक व्याज देना पड़ता है। यदि इस ओर ही प्रयाप्त ध्यान दिया जाये तो काफी धन राशि की बचत हो सकती है।

मेरा एक और अनुभव है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी जनता के प्रतिनिधियों की मांगों की ओर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रायः 99 प्रतिशत मामलों में जवाब 'न' में दिया जाता है। यदि हमारे द्वारा कोई मामला उठाया भी जाता है तो हमारे पत्र की केवल प्राप्ति स्वीकार ही ठीक प्रकार से की जाती है। उसके पश्चात् उस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। रेलवे लाइन पार करके मनमंजूर दुर्घटना-ग्रस्त हो गये एक युवक को नौकरी देने के बारे में मैंने एन० एफ० रेलवे के जनरल मैनेजर को लिखा उनसे नकारात्मक उत्तर मिलने पर मैंने उप-रेलवे मंत्री को पत्र लिखा। उसका उत्तर भी मुझे उन्होंने शब्दों में प्राप्त हुआ जिनमें जनरल मैनेजर का था। इससे स्पष्ट है कि पत्र पर अधिक विचार नहीं किया जाता।

मैं समझता हूँ कि इसी कारण से रेलवे बोर्ड की अधिक आलोचना की जाती है। अधिकारियों को समझना चाहिये कि यह लोक महत्व की सेवा है, व्यापारिक कम्पनी नहीं। इसी दृष्टि से उन्हें जनता की समस्याओं पर विचार करना चाहिये। यदि जनता की मांगों को किन्हीं कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं किया जा सकता, तो हमें स्पष्ट रूप से बताया जाये कि इन कठिनाइयों के कारण किसी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

***श्री जे० माता गौडर (नीलगेरि) :** 1974-75 का रेलवे बजट 27 फरवरी, 1974 को पेश किया गया जबकि पिछले वर्षों में बजट पर चर्चा भी समाप्त हो चुकी होती है। परन्तु इस वर्ष राजनैतिक कारणों से इसे विलम्ब से पेश किया गया है। रेल किरायों में और भाड़े में वृद्धि का असर उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों के चुनाव पर न पड़े, इस कारण इसे चुनावों से पहले पेश नहीं किया गया।

रेलवे बोर्ड में आज इतनी अदक्षता एवं भ्रष्टाचार फैल चुका है कि स्वयं सत्तारूढ़ दल के सदस्य रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रेलवे बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार व चोरियों आदि का उल्लेख किया गया। रेलवे मंत्री इस आलोचना को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यह आलोचना स्वयं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने की है न कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने। न ही इसके लिये विरोधी दलों के सदस्यों पर दोषारोपण किया जा सकता है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised Translated version of the English translation of the speech delivered in Tamil.

आज रेलवे में बार-बार हड़तालें हो रही हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि रेलवे मंत्री द्वारा आश्वासनों की पूर्ति नहीं की जाती। दक्षिण-पूर्व रेलवे के लोकोमैन हड़ताल पर हैं। इसके कारण पटसन, कोयला और इस्पात जमा हो रहे हैं। पिछले वर्ष इन दिनों 8000 डिब्बे रोज चलते थे परन्तु आज केवल 4000 ही चल रहे हैं। इस हड़ताल को रोकने के लिये कोई विशेष उपाय नहीं किये गये।

द्विध्यान अर्थशास्त्रियों के अनुमानों के अनुसार रेलवे को भ्रष्टाचार के कारण प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। यदि इसे समाप्त करने के प्रयास किये गए होते तो आज तीमरे दर्जे के यात्रियों के किराये में वृद्धि करने की आवश्यकता न पड़ती।

तीमरी योजना के अन्त, अर्थात् 1966-67 तक रेलों को लाभ हो रहा था परन्तु उसके पश्चात् हर वर्ष रेलों को हानि हो रही है। 1974-75 में भी हानि की ही संभावना है। जिसको पूरा करने के लिये भाड़े बढ़ाये गए हैं। भाड़ों की वृद्धि से 136.38 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि भाड़ों की वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड ने पिछले 7 वर्षों से निरन्तर होने वाली हानि के कारण जानने के प्रयास किए हैं? इस बात को जानने का कोई प्रयास नहीं किया जाता और उस कमी को पूरा करने के लिये किराये और भाड़े बढ़ा दिये जाते हैं।

रेलवे की इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि किसी भी मंत्री को लगातार पांच वर्ष तक रेल मंत्री के पद पर नहीं रहने दिया गया। यदि कोई मंत्री इतने समय के लिये इस पद पर रहे तो वह रेलवे की समस्याएं समझ सकता है, उन्हें हल करने की योजनाएं बना सकता है, उन्हें कार्यान्वित कर सकता है। परन्तु ऐसा नहीं होने दिया गया। एक नया मंत्री आता है, तो वह भूतपूर्व मंत्री द्वारा तैयार योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करता। यह स्वाभाविक भी है। जो भी नया मंत्री आता है, वह रेलवे पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिये नई योजनाएं बनाता है परन्तु फिर वह कार्यान्वित नहीं होती कि उसे वहां से बदल दिया जाना है।

मुझे संदेह है कि रेल मंत्री रेलवे बजट के सभी प्रस्तावों से परिचित हैं। रेलवे में सबसे कम किराया 30 पैसे है। दूसरी ओर उस व्यक्ति को, जो अपने मित्र को स्टेशन पर छोड़ने जाता है, 50 पैसे का प्लेटफार्म टिकट खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार की विषमता बजट में नहीं होनी चाहिये थी कि यात्रा करने वाला 30 पैसे दे और अपने मित्र को विदा करने वाला स्टेशन के पीरसर में प्रवेश करने मात्र के लिये 50 पैसे दे। गत सात वर्षों में रेलवे को प्रतिवर्ष लगातार घाटा होता आ रहा है और रेलवे के कार्यकरण में कुशलता लाने तथा उसके लाभ को बढ़ाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

जहां तक माल की ढुलाई का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि माल परिवहन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि आशा की जाती है। हां, भाड़े की दर में वृद्धि अवश्य हुई है और इस वृद्धि के परिणामस्वरूप रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हुई। फिर भी रेलवे को वर्ष प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है और घाटा बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि माल-परिवहन में वृद्धि के आंकड़े घटते गये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि 50 लाख टन प्रति वर्ष हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 80 लाख टन हुई। किन्तु 1960-61 से आगे वृद्धि केवल 40 लाख टन हुई। रेलवे प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक कभी भी विचार नहीं किया कि माल परिवहन के आंकड़े

घटते क्यों जा रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 250 लाख टन वृद्धि का और 1,00,000 बैगन खरीदने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में केवल 12,000 बैगन प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की बात कही है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि बैगन-उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता का केवल 60 प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है। यदि बैगन ही अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे, तो पंचवर्षीय योजना की अवधि में 250 लाख टन अतिरिक्त माल की ढुलाई कैसे संभव होगी? क्या इस प्रश्न पर भी रेलवे प्रशासन ने विचार किया है?

वर्ष 1974-75 के रेलवे बजट में माल-भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि से कोयले के भाव 20% बढ़ जायेंगे और कोयले पर आधारित उद्योग के सभी उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी। ऐसा अनुमान है कि 1974-75 में माल-भाड़े में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे निस्संदेह सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। माल-भाड़े की दरों में वृद्धि के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1960 से आगे प्रतिवर्ष भाड़े की दर में वृद्धि होती जा रही है। फिर भी रेलवे का घाटा बढ़ता जा रहा है और रेलवे प्रशासन ने घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये कुछ भी नहीं किया है। वर्ष 1974-75 के बजट में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के किराये में वृद्धि से 16.48 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह भार जनसाधारण पर पड़ा है। मुझे कतई दुख न होता यदि यह भार प्रथम श्रेणी के यात्रियों या वातानुकूलित यानों में यात्रा करने वालों पर पड़ता। ऐसा मालूम हुआ है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे को प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये का घाटा होता है। रेलवे सम्पत्ति की चोरी से प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये का घाटा होता है। यदि रेलवे प्रशासन ने बिना टिकट यात्रा और चोरी को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये होते तो आम जनता पर 16.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालने की आवश्यकता ही न पड़ती।

मैं इस बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दक्षिण रेलवे की घोर उपेक्षा की जा रही है। श्री हनुमन्तैया ने दक्षिण रेलवे के लिए कुछ योजनाएं बनायी थीं, किन्तु उनको रेलवे मंत्रालय से हटा दिया गया। जलारपेट, तिरुपत्तूर और करपाडी में गुड़ शक्कर जमा होता जा रहा है और वहां इसकी महाराष्ट्र को ढुलाई के लिए माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। श्री हनुमन्तैया ने दक्षिण रेलवे में कुछ मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव किया था। इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि दक्षिण रेलवे में 60 प्रतिशत रेलवे लाइन मीटर गेज लाइन है? वर्ष 1974-75 के रेल बजट में भी दक्षिण रेलवे के लिए कोई नया सर्वेक्षण, अथवा नयी लाइन बिछाने का प्रस्ताव नहीं सम्मिलित किया गया है? मद्रास नगर में भूमिगत ट्यूब रेलवे लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। तूतीकोरिन पत्तन को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिये क्या प्रस्ताव है ताकि दक्षिण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में यह सहायक हो सके, क्योंकि पांचवीं योजना में यह पत्तन एक बड़ा पत्तन बन जायेगा। अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उटकमंड को पुनः गाड़ी चलायी जाये। यह गाड़ी कोयले की कमी का बहाना लेकर बंद कर दी गई थी। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह दक्षिण रेलवे के विकास पर ध्यान दें और मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उन पर विचार करें तथा आवश्यक कार्यवाही करें अन्यथा दक्षिण भारतवासी उनकी निष्पक्षता पर संदेह करेंगे।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। बजट में किये गये नियतनों के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की कुछ समस्याएं और नीति सम्बन्धी कुछ प्रश्नों तक ही अपने भाषण को सीमित रखूंगा। जहां तक नीति सम्बन्धी निर्णय का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री के बदल जाने पर नीति में परिवर्तन हो जाता है। एक

मंत्री कहता है कि नयी रेलवे लाइन बिछाने का आधार उसकी लाभप्रदता होनी चाहिए, दूसरा कहता है कि इसका आधार जन उपयोग होना चाहिए। अब श्री एल० एन० मिश्र आये हैं और उनका कहना है कि इसका आधार क्षेत्र का पिछड़ापन होना चाहिए। मैं भी इस विचार का समर्थक हूँ कि नयी रेलवे लाइन पिछड़े क्षेत्रों में बिछायी जानी चाहिए ताकि वहाँ उद्योगों आदि का विकास हो और पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। मैं चाहूँगा कि इस बारे में सरकार अपनी नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य दे।

वर्तमान पद्धति अंग्रेजों से विरासत में मिली है। हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए। क्षेत्रीय रेलों को अधिक शक्तियाँ दे कर हमें विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। महाप्रबन्धनों को विशेष तौर पर स्थानीय मामलों में अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

श्री हनुमन्तैया के समय गाड़ियों का विलम्ब से चलना बन्द हो गया था तथा गाड़ियाँ समय पर चलती थी। परन्तु न जाने क्यों अब स्थिति पहले की तरह बिगड़ गई है।

आरक्षणों के बारे में संसद सदस्यों की समिति ने विचार किया था और सुझाव दिया था कि आरक्षणों संबंधी गोलमाल का पूरी तरह उन्मूलन किया जाये। उनकी सिफारिशों का क्या बना? यदि कोयले को धोकर सीधे भेज दिया जाता है तो मालगाड़ियों की 35 प्रतिशत क्षमता बच जायेगी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उसे कहाँ धोया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे पास कोयला धोने के कारखानों की बहुत कमी है।

श्री के० गोपाल : दो टायर वाले स्लीपरों में यात्रियों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तथा उनके आरक्षणों में बहुत धांधली होती है।

कन्या कुमारी से काश्मीर तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का क्या बना ?

पिछले वर्ष मैंने तुतीकोरिन और सलेम के मध्य रेलवे लाइन की मांग की थी। इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अपने निर्वाचन-क्षेत्र करूर में एक पुल के लिये मंजूरी ली थी परन्तु रेलवे ने उस बारे में कुछ नहीं किया। मद्रास नगर के लिये भूमिगत रेलवे लाइन की मांग बहुत समय से चली आ रही है। इस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इरोड और त्रिचिनापल्ली के मध्य एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए तोत्र मांग रही है। गाड़ी चालू करके भी रद्द कर दी गई है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : रेलवे केवल एक सरकारी विभाग ही नहीं है अपितु एक राष्ट्रीय संगठन भी है।

रेलवे मंत्री ने जो पुस्तिकाएं परिचालित की हैं उनसे बहुत से रोचक तथ्य ज्ञात होते हैं। हमें गर्व है कि हमारी रेल सेवा एशिया में प्रथम तथा विश्व में चतुर्थ स्थान रखती है।

क्या रेलवे मंत्री बतायेंगे कि उनकी रेलवे लाइनों को बिछाने के लिये कौनसी प्राथमिकता है और रेलों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के लिये कौनसी प्राथमिकताएं हैं। वातानुकूलित गाड़ियों के किरायों में वृद्धि उचित ही है। तीसरे दर्जे के भाड़े में तो वृद्धि की गई है परन्तु खेद की बात है कि उनकी सुविधाओं में निरन्तर कमी हो रही है। मैं समझता हूं कि प्रति सवारो कम टिकट के मूल्य से काफी कम होता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : मुझे घोषणा करनी है कि खालों तथा चमड़े पर निर्यात शुल्क बढ़ाने वाली दिनांक 1 जनवरी, 1974 की अधिसूचना का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर 6 मार्च, 1974 मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे चर्चा आरम्भ की जायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 6 मार्च, 1974 / 15 फाल्गुन 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 6th March, 1974/Phalgun 15, 1895 (Saka)
